Wednesday, 21 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20-बुधवार, 21 अगस्त, 1968/30 श्रावण, 1890 (शक)

No. 20 – Wednesday, August 21, 1968/Sravana 30, 1890 (Saka)

चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Czechoslovakia ... –	1669-1675

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
571 तिब्बत की जनता को मानवीय अधिकारों से वंचित करना	Deprivation of Human Rights in Tibet ...	1675–1687

अ. सू. प्र. सं /S. N. Q. No.

8 बिहार राज्य में मुन्गेर जिला के एक गांव में खाद्य-पदार्थों की विषाक्तता के कारण मौतें	Death due to food poisoning in a Village, District Monghyar, Bihar	1687-1692

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.

572 आकाशवाणी के कर्मचारियों का विदेशों के प्रसारण संगठनों में भाग लेना	A. I. R. Staff Member's Contributions to Foreign Broadcasting Organisations ...	1692
573 रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस के प्रसारण	Radio Peace and Progress Broadcasts ...	1692–1693
574 रोडेशिया के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade relations with Rhodesia	1693
575 भूतपूर्व सैनिकों को दी गई खराब मोटर गाड़ियां	Condemned vehicles for Ex-servicemen ..	1693–1694
576 पाकिस्तानी नावों की वापसी	Release of Pakistani Boats	1694

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the Housa by him.

ता.प्र.संख्या /S. Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
577 नागालैंड में सैनिक कार्यवाही बन्द रखने के समझौते की अवधि में वृद्धि	Extension of Agreement on Suspension of Operations in Nagaland —	1694-1695
578 अमृतसर में टेलीविजन	T. V. for Amritsar	1695
579 नेपाल-पाकिस्तान व्यापार मार्ग	Nepal-Pak. Trade Route	1695
580 श्री लंका के तमिल भाषी लोगों की कठिनाइयां	Difficulties of Tamil speaking Persons of Ceylon	1696
581 ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय	Office of Mysore Trade Agent in U. K.	1696
582 भारत-बर्मा पर्वतीय क्षेत्र में छापामार युद्ध की चीन की योजना	Chinese Plan of Guerilla Warfare in Indo-Burmese Mountains	1696-1697
583 जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति	Japan-India Business Co-operation Committee	1697
584 भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिये पालीटैक्निक डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों की दक्षता	Eligibility of Polytechnic Diploma Holders for admission to Indian Military Academy ...	1697
585 भारतीय विदेश सेवा के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Pillai Committee Report on I. F. S.	1697-1698
586 चलचित्र उद्योग में विवाद	Disputes in Film Industry ..	1698
587 गांधी शताब्दी समारोह समिति	Gandhi Centenary Celebrations Committee	1698-1699
588 भारत द्वारा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Missiles in India	1699
589 पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarines	1699
590 उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्र का मानचित्र	Drought Map of Orissa ...	1699-1700

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
591	कार्य से हटाये गये व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिये वैकल्पिक कार्य	Alternative jobs to discharged trade Apprentices	1700
592	भारतीय वायु सीमा का चीन - पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन	China/Pak. Violations of Indian Air Space	1700-1701
593	चीन द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अन्तर्महाद्विपीय प्रक्षेपणास्त्रों की उड़ानों के बारे में प्रबन्ध करना	China's arrangements with Pakistan and Afghanistan about I. C. B. M. over flights	1701
594	कांग्रेस अध्यक्ष के लिये राजनयिक पारपत्र	Diplomatic passport for Congress President	1701
595	रेडियो पाकिस्तान तथा रेडियो पेकिंग द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian propaganda by Radio Pakistan and Radio Peking	1702
596	काश्मीर के बारे में पाकिस्तान-ईरान की संयुक्त विज्ञप्ति	Pak-Iran Joint Communique about Kashmir	1702
597	जम्मू तथा काश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की सेनाओं का जमाव	Concentration of Pakistan's Armed Strength on Jammu and Kashmir Borders	1702-1703
598	काश्मीर विवाद के सम्बन्ध में पूर्वी यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण	East-European Countries' stand on Kashmir Issue	1703
599	नासिक में मिग विमान कारखाना	MIG Plant at Nasik	1703-1704
600	नागा समस्या	Naga Problem	1704

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4673	आकाशवाणी केन्द्र नागपुर के कर्मचारियों को तंग किया जाना	Victimisation of Staff of AIR Nagpur ...	1704-1705

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4674	भूमि अर्जन के लिये मुआवजा	Compensation for acquisition of Land ..	1705
4675	विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts ...	1705-1706
4677	भारतीय सेना के मेजर द्वारा कुमारी बिल्ली (श्री फिजो की भतीजी) को बचाने का यत्न	Indian Army Major's attempt to save Kumari Billy (Shri Phizo's Niece)	1706
4678	कनिष्ठ सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता	Education Allowance to Children of J.C.Os.	1707
4679	रूस से सैनिक प्रतिनिधि मंडल	Military Delegation from USSR	1707
4680	खाद्य उत्पादन के लिये अणु शक्ति	Atomic Energy for food Production ..	1707-1708
4681	आकाशवाणी में गढ़वाली संस्कृति सम्बन्धी विशेषज्ञ निकाय	Exports body on Garhwali culture in AIR	1708
4682	आकाशवाणी का वन्दना कार्यक्रम	Vandna Programme of AIR	1708-1709
4683	गांधी शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में पुस्तकें	Publications in connection with Gandhi Centenary Celebrations ...	1709
4684	आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से गांधी शताब्दी समारोह के लिये कार्यक्रम	Programme for Gandhi Centenary Celebrations from AIR Darbhanga	1709
4685	नाटक मंडली द्वारा नाटक खेला जाना	Performance by Drama Troups	1710
4687	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers	1710
4688	योजना आयोग में हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers in Planning Commission	1710

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
4689	चौथी पंचवर्षीय योजना में छविगृह (सिनेमा)	Cinema Houses under Fourth Plan...	1710-1711
4690	कीटाणु युद्ध के बारे में ब्रिटेन द्वारा अनुसन्धान	U. K. Research on Germs Warfare	1711
4691	कृषि सम्बन्धी प्रसारण	Broadcasts on Agriculture	1711-1712
4692	मेरठ छावनी में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees in Meerut Cantonment	1712
4693	मेरठ में बाबूगढ़ फार्म	Babugarh Farm, Meerut	1712
4694	प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक मजदूरों की छुट्टी	Leave to Industrial workers in Defence Establishments – ...	1712-1713
4695	भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और चीन द्वारा युद्ध की तैयारी	Pak-China War Preparations against India	1713
4696	कलकत्ता में रूसी वाणिज्य दूतावास	Russian Consulate at Calcutta	1713-1714
4697	तिब्बत में चीन द्वारा प्रचार	Chinese Propaganda in Tibet ...	1714
4698	ईराक में सैनिक क्रांति	Coup in Iraq	1714-1715
4699	भारतीय वायु सेना की प्रहार शक्ति	Striking Power of Indian Air Force ..	1715
4700	सैनिक समाचार का मुख्य सम्पादक	Editor in Chief of Sainik Samachar ...	1715-1716
4702	प्रतिरक्षा मंत्री को रूस का आमंत्रण	USSR's invitation to Defence Minister ..	1716
4703	ताइवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Taiwan... ...	1716
4704	चीन के कब्जे में भारतीय राज्य क्षेत्र	Indian Territory under China's Occupation	1716-1717

4705 हनोई को भारतीय राजदूत	Indian Envoy to Hanoi	1717
4706 लेह जाने वाले भारतीय वायु सेना के लापता विमान की खोज	Search of Leh-Bound I. A. F. Missing Plane	1717
4707 भारतीय मिशनों में नियुक्त भूतपूर्व संसद सदस्य	Ex-M.Ps. working in Indian Missions ..	1718
4708 प्रत्यय-पत्र (स्क्रेडिटेशन) सम्बन्धी नियम	Accreditation Rules	1718-1719
4709 समाचार पत्रों के प्रतिनिधि	Press Representatives	1719
4710 आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	1719-1720
4711 छिपे नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Naga Undergrounds	1720
4713 कच्चाटीबू द्वीप	Kachchateebu Island	1720-1721
4714 अफ्रीकी-एशियाई मुस्लिम देशों का इस्लामिक ब्लाक	Islamic Bloc of Afro-Asian Muslim countries ...	1721-1722
4715 सीमा सड़क संगठन में इन्जीनियरों के रिक्त स्थान	Vacancies for Engineers in Border Roads Organisation	1722
4716 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर चलचित्र	Film on Freedom Struggle of 1857...	1722
4717 चीन और भारत के बीच विवाद	Sino-Indian Dispute	1722-1723
4718 विदेशों में भारतीय उत्प्रवासी	Indian Emigrants Abroad	1723
4719 एशिया महाद्वीप में विदेशी सैनिक अड्डे	Foreign Military Bases in Asian Continent	1723-1724

4720	आयोजन के बारे में पोलैंड का तरीका	Polish Method of Planning	1724
4721	कच्छ सत्याग्रह से सम्बद्ध संसद् सदस्यों के बारे में समाचार	News about M.Ps. in Kutch Satyagraha ...	1724
4722	विदेशों में भारतीय लोग	Indians in Foreign Countries	1724-1725
4724	'परिवार' फिल्म के लिये ऋण	Loan for Film 'Parivar' ...	1725
4725	नोबोस्ती प्रेस सूचना विभाग करार	Novosti P. I. B. Agreement ..	1725-1726
4726	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	1726-1727
4727	पाकिस्तानी राष्ट्रपती अयूब खां की ब्रिटेन यात्रा	President Ayub Khan's Visit to U. K.	1727
4728	आकाशवाणी के साम्यावादी विचारधारा वाले कर्मचारी	Staff in A. I. R. with Communist Iedology	1727
4729	आकाशवाणी केन्द्र नागपुर के कर्मचारियों को मुअत्तल करना तथा नौकरी से निकालना	Suspension and Termination of Services of Employees of A. I. R. Nagpur ...	1728
4730	मध्य प्रदेश में विकास योजनाएं	Madhya Pradesh Development Schemes ...	1728
4731	मध्य प्रदेश के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना	Fonrth Plan for Madhya Pradesh	1728-1729
4732	पारादीप में स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान	Naval Training Establishment at Paradeep	1729
4733	मरमागोआ में नौसैनिक अड्डा	Naval Base at Murmagoa ...	1729
4734	सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये धन	Funds for Development of Boarder Roads	1729-1730

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4735	चीनी सैनिकों द्वारा नाथुला पर भारतीय सैनिकों पर आक्रमण	Attack on Indian troops by Chinese troops at Nathula	1730
4736	समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार	Samachar Bharati and Hindustan Samachar	1730-1731
4737	उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना	Setting-up of Industrial Undertakings in drought hit areas of U. P. and Bihar ...	1731
4738	विभिन्न देशों द्वारा प्रकाशित मानचित्र (एटलस)	Atlas Published by Various Countries ..	1731-1732
4739	प्रतिरक्षा कारखानों/प्रयोगशालाओं में विस्फोट	Explosions in Defence Factories, Laboratories	1732
4740	हाजीपीर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Residents in Hazi Pir Area by Pakistan	1732-1733
4741	भारत में मुसलमानों के सम्बन्ध में राष्ट्रपती अय्यूब खां का वक्तव्य	Statement of President Ayub Khan about Muslims in India	1733
4742	भारतीय चलचित्र संस्था के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच	Enquiry against Principal of Film Institute of India	1733-1734
4745	रूसी युद्धपोतों का करांची जाना	Soviet Warship's visit to Karachi	1734
4746	गंगटोक में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak National in Gangtok ...	1734-1735
4747	कनाडा को लिबरेटर विमान प्रस्तुत करना	Presentation of Liberator Plane to Canada	1735
4748	फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा चेकोस्लोवाकिया प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में भोज	Reception to Czech Delegation by Chairman of Film Finance Corporation	1735

अता. प्र. संख्या./U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4749	दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य में वृद्धि	Price Increase by Dailies	1735-1736
4750	भारत में मिग विमानों का निर्माण	Production of MIGs in India	1736
4751	पुरन्धर में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण केन्द्र	N. C. C. Training Centre at Purandhar ...	1736
4752	स्वर्गीय श्री जवाहार लाल नेहरु की पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of late Jawahar Lal Nehru's Books	1736-1737
4753	दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantonment Board	1737
4754	सरकारी उपक्रमों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन	Advertisements given by Public under-takings ...	1737-1738
4755	राजस्थान में अणुशक्ति परियोजना	Atomic Power Project in Rajasthan ...	1738
4756	राजस्थान में परमाणु शक्ति परियोजना	Atomic Power Project in Rajasthan ...	1738
4757	शाखा डाकघरों में भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen in Branch Post Offices ...	1738-1739
4758	विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts	1739
4759	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassies Abroad	1739
4760	संयुक्त राष्ट्र संघ में मत-दान	Voting in UNO	1740
4761	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमि-टेड में तैयार किये गये ट्रांजिस्टर	Transistors produced in Bharat Electronics Ltd.	1740
4762	नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर आमंत्रित व्यक्ति	Invities to the Chinese Embassy function in New Delhi	1740-1741

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4763	योजना आयोग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा रूस का दौरा	Visit of Planning Commission Delegation to USSR	1741
4764	मालागासी शान्ति समिति द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन	Conference Proposed by peace committee of Malagasy	1741-1742
4765	विद्रोही नागाओं का इधर उधर घूमना	Movement of Hostile Nagas	1742-1743
4766	फिल्म उद्योग	Film Industry ..	1743
4767	अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये इन्डोनेशिया के साथ करार	Agreement with Indonesia for Training of Officers	1743
4768	कर्मचारियों की सेवाओं का बढ़ाया जाना	Extension of Service of staff	1743-1744
4769	पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा त्रिलोक चन्द्र गुप्त की गिरफ्तारी	Arrest of Trilok Chandra Gupta by Pak. Authorities	1744-1745
4770	संगीत नाटक विभाग में मनीपुर के कलाकार	Artistes from Manipur in Song and Drama Division	1745-1746
4771	श्री लंका में भारत मूलक लोग	Persons of Indian domicile in Ceylon ...	1746
4772	नागालैंड के लिये पृथक राज्यपाल	Separate Governor for Nagaland	1746-1747
4773	आयुध कारखानों में तकनीकी कर्मचारी	Technical Hands in Ordnance Factories ..	1747
4774	केन्द्रीय सेवाओं का गठन	Constitution of central services ...	1747
4775	प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षु	Scheduled castes/Tribes civilian Apprentices in the Defence Establishments	1748
4776	केन्द्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवासन संगठन सेवा	Central Passport and Emigration Organisation Service	1748-1749

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

4777 मरकारा (मैसूर) में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने से इन्कार	Refusal by N.C.C. Cadets in Mercara (Mysore) to Salute National Flag	1749–1750
अतारांकित प्रश्न संख्या 3117 दिनांक, 7-8-1968 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to Unstarred Question. No. 3117 dated the 7th August, 1968 ..	1750
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1750–1753
पंजाब विनियोग लेखे के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court's Judgement on Punjab Appropriation Act	1750
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	1753
छत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty Sixth Report ...	1753
बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition Re. grievances of State Employees of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal	1753–1754
नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation under Rule 357 ..	1754
श्री जी.भी. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	1754
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1754
बाईसवां प्रतिवेदन	Twenty-Second Report	1754
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	1755
(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1968	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1968	1755

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1968	Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1968	1756
स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक	Gold Control Bill	1756-1778
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as reported by Joint Committee	1756
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee ...	1756
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai ...	1757
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	1758
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	1759
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Yashwant Singh Kushwah ...	1760
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	1761
खंड 2 से 11	Clauses 2 to 11	
चैकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. situation in Czechoslovakia ..	1778
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	1778-1781

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार 21 अगस्त, 1968/30 श्रावण, 1890 (शक)
Wednesday, August 21, 1968/*Sravana* 30, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair* }

चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में
RE : SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या प्रश्न काल की कार्यवाही आरम्भ करने से पहले आप हमें चेकोस्लोवाकिया पर रूस द्वारा किये गये आक्रमण तथा मानव अधिकारों को नष्ट किये जाने की समस्या के बारे में प्रश्न उठाने के लिये कुछ समय देने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनायें तथा सभी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शायद सरकार भी इस पर विचार कर रही होगी........ —........

उप प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने संदेश भेजा था कि मैं एक वक्तव्य दूंगी, किन्तु मैं इस वक्तव्य को कुछ देर बाद मध्यान्ह पश्चात दूंगी ....(व्यवधान)

Shri Rabi Ray (Puri) : The hon. Prime Minister should condemn it. This is a question of human rights and these should be discussion on it.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आपको धिक्कार है। इसके प्रति अविलम्ब कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिये ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : जानबूझ कर दिन दहाड़े की गई इस हत्या को आप क्यों सहन कर रहे हैं ? सरकार को इसकी निन्दा करनी चाहिये । आपको इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव लाना चाहिये .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब बैठने की कृपा करेंगे ? यह किसी दल का प्रश्न नहीं है । दर्जनों कांग्रेसी सदस्यों ने भी यही कहा है । हम सब जिनमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं और सम्पूर्ण देश शामिल है, चेकोस्लोवाकिया की स्थिति से चिन्तित है । इसके बारे में दो मत नहीं है । हम जो करना चाहते हैं उसे हमें बिना शोर मचाये गरिमापूर्ण ढंग से करना चाहिये । आज प्रातः कई माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और हम चर्चा कर रहे थे ......

Shri Rabi Ray : All of us met you. This is a question of human rights.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री महोदया ने भी कुछ सन्देश भेजा है । डा० राम सुभग सिंह ने मुझे इसके बारे में बताया है । इस विषय में दो मत नहीं है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये और अपना मत प्रकट करना चाहिये ।

Shri Rabi Ray : It will be better if the Prime Minister condemns it.

अध्यक्ष महोदय : चेकोस्लोवाकिया की स्थिति से हम सब परेशान और चिन्तित हैं । यह स्वाभाविक है कि हमें किसी रूप में देश और देश की जन्ता के मत को व्यक्त करना होगा संसद जनता की भावना को प्रतिबिम्बित करता है । हमें अपना कर्त्तव्य पालन करना है किन्तु मुझे कुछ समय दीजिये । दोपहर के पश्चात हम विचार करेंगे कि हम किस तरह करें और क्या करें ....**(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यह अत्यावश्यक मामला है । तीन या चार देशों की सेनाएं चेकोस्लावाकिया की ओर बढ़ रही हैं । यदि हम अपना मत प्रकट करने में समय लगायेंगे तो तब तक आक्रमक देश इसे हड़प जाएंगे और हमारा मत व्यक्त करने का कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हम न केवल किसी दल के अपितु सम्पूर्ण देश द्वारा इस कृत्य की भर्त्सना और चिन्ता सम्बन्धी विचारों को शीघ्र अभिव्यक्त करें ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : क्या प्रधान मन्त्री हमें वह आश्वासन देंगी कि कि वह 12 बजे हमें यह बतायेंगी कि वह क्या करना चाहती है । हमें उत्तर 12 बजे अवश्य मिल जाना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This should also be made clear whether they have received any letter or message from the Czechoslovakia Government or not ?

Shri Sheo Narain (Basti): This is a serious matter. The hon. Prime Minister has given an assurance to make a statement. She should make a reasonable statement.

Shri Rabi Ray : To-day at 8 o'clock it was broadcast from All India Radio that armies of all the three countries had mached into the territory of Czechoslovakia. In this connection the most important question is of human rights. Therefore, it will be

better that we condemn it to-day on behalf of the Lok-Sabha and the whole Nation, The hon. Prime Minister should condemn it.

श्री नाथपाई (राजापुर): मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक बात कहना चाहता हूँ। जो बात मुझे स्वतन्त्र रूप से कहनी है और उसे बाद में कहूँगा। आप न केवल इस सभा के लिए अपितु सम्पूर्ण देश के लिये पहले ही बोल चुके है। मित्रता के नाम पर एक छोटे देश पर इस प्रकार के नृशंस आक्रमण से हम बहुत चिन्तित हो गये हैं। इस समय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि निर्देश 2 के अन्तर्गत आप ऐसा निर्देश देने की कृपा करें कि सभा के सामने जो कार्य है, उसे निलंबित किया जाय और जो हमारा मौलिक, सारभूत प्रस्ताव है, उसे सभा में विचार के लिये शीघ्र लिया जाय ?

श्री हनुमन्तैय्या (बंगलौर) : सभा आपके प्रति सम्मान का भाव रखती है। आपने थोड़े शब्दों में सभा की और देश की भावनाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैं निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूं। मैं विरोधी दलों के नेताओं और सदस्यों की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। वे स्वयं कहते हैं कि प्रधान मन्त्री को एक विशेष ढंग से वक्तव्य देना चाहिये।

श्री म० ला० सोंधी : आक्रमण की निन्दा करनी चाहिये ....(**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसे प्रश्न पर तो कांग्रेसी सदस्य भी शोरगुल मचाना चाहते हैं ?

श्री हनुमन्तैय्या : उन्हें प्रधान मन्त्री से इस मामले में बात चीत करनी चाहिये। बिना परस्पर बातचीत के एक सन्तोषजनक वक्तव्य कैसे तैयार किया जा सकता है ?

निर्णय लेने से पहले हमें इस मामले के सभी पहलुओं को जानना है। यदि हम एक बार निर्णय ले लेते हैं तो फिर हमें उस पर दृढ़ रहना होगा और इसे न केवल देश के सभी दलों द्वारा बल्कि विश्वमत द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिये। इसलिये, यदि यह एक या दो घंटे की बात है तो कोई हानि नहीं है। इस मामले में सभी दलों का संयुक्त मोर्चा बनना सम्भव हो सकेगा।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो विरोधी दलों के नेताओं से सरकार के साथ सहमत होने के लिये आधार खोजने हेतु बार-बार निवेदन करते रहे हैं, ताकि यह सभा संगठित होकर उद्देश्य पूर्ण कार्य कर सके।

श्री नाथपाई : अब सभा स्थगित की जानी चाहिये ताकि हम प्रधान मन्त्री से विचार-विमर्श कर सकें। सभा तुरन्त स्थगित हो सकती है और उनसे हम मिल सकते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : वे पिट्ठू हैं............(**व्यवधान**)

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : मैं इस प्रकार के ताने का विरोध करता हूं। वे हमें पिट्ठू क्यों कहते हैं ?

श्री म० ला० सोंधी : आपको धिक्कार है। यदि यह देश पिट्ठू बनता है तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम भारत के युवकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम भविष्य का

प्रतिनिधित्व करते हैं। भूतकाल समाप्त होना चाहिये। आप दुगने पिट्ठू हो, आप अपनी बुद्धि से नहीं सोचते..................(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कांग्रेसी सदस्यों को ऐसे प्रश्न पर भी कोलाहल मचाना चाहिये ?

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : क्या हमें ऐसे आक्षेपों को सहन करना चाहिये ?

श्री हनुमन्तैय्या : श्री म० ला० सोंधी को चाहिये कि हमें गालियां देने की बजाय अपने देशभक्ति पूर्ण तथा उचित आक्रोश को सोदेश्य समुचित ढंग से प्रकट करना चाहिये। हम गालियां पाने के पात्र नहीं है।

Shri Rabi Ray : You are also a patriot.

श्री हनुमन्तैय्या : हम कांग्रेसी भी उनके साथ हैं—...............

श्री नाथपाई : आक्रमण की निन्दा करने में।

श्री हनुमन्तैय्या । सांझा मत अभिव्यक्त करने में सर्वसम्मति एक दूसरे पर चिल्लाकर प्राप्त नहीं की जा सकती।

एक माननीय सदस्य : हमें अपना उचित आक्रोश प्रकट करना चाहिये।

श्री हनुमन्तैय्या : दूसरे दल भी हैं, तथा साम्यवादी दल, और हमें उनको भी अपने विश्वास में लेना होगा, वे हमारे देश के लिये विदेषी नहीं है..................

श्री नाथपाई : हम उनका स्वागत करते हैं। वे हमारे साथ शामिल हो सकते है।

श्री हनुमन्तैय्या : इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि इस देश को राष्ट्रीय मामलों में, विशेषकर वैदेशिक मामलों में मैतक्य तैयार करना चाहिये। यह उनका तथा सभा के नेता का कार्य है कि इस विषय पर एक या दो घंटे विचार करें और तब एक वक्तव्य तैयार करें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक निवेदन है कि जब मिश्र पर आक्रमण किया गया था तब हमने प्रधान मन्त्री से कोई बातचीत नहीं की थी। प्रधान मन्त्री सभा में आई थीं और उन्होंने उस आक्रमण की निन्दा की थी, जो उन्होंने बहुत ठीक किया था। इस समय चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण हुआ है। इसलिये, प्रधान मन्त्री को तुरन्त सामने आना चाहिये और इस आक्रमण की निन्दा करनी चाहिये।

श्री बलराज मधोक : हमें दुख है क्योंकि यह प्रश्न लगभग तीन दिन पहले उठाया गया था। और हमने एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किन्तु भारत सरकार ने एक स्पष्ट वक्तव्य के साथ सामने आने से इन्कार कर दिया है। हमने प्रधान मन्त्री से एक स्पष्ट वक्तव्य के साथ सामने आने की आशा की थी.....................

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है इससे लाभ नहीं होगा··· ·············

श्री रंगा : मुझे बताया गया है कि आकाशवाणी से यह समाचार अभी प्रसारित नहीं हुआ है। क्या यह बात सही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : आकाशवाणी में समाचार प्रसारित हुआ है। बड़े दुख की बात है कि माननीय सदस्य हमारा रेडियों तक नहीं सुनते।

Shri Kanwar Lal Gupta : The latest news is that the President's palace has been seized by the Russian forces.

श्री रंगा : मुझे खुशी है कि आकाशवाणी ने यह समाचार प्रसारित किया है। किन्तु सरकार को इस मामले पर विचार करने तथा विचार प्रस्तुत करने के लिये और हमारे विचारों को देश तथा विश्व के समक्ष रखने में हमारी सहायता करने में कितना समय लगेगा ?

मुझे यह भी बताया गया है, जो पता नही सही है अथवा गलत, कि सोवियत तथा अन्य सेनाओं ने प्राग को घेर लिया है और अब उस पूरी सरकार तथा सम्पूर्ण देश को अपने कब्जे में करने तथा उस देश की आत्मा को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या हम कई घंटों तक प्रतीक्षा करते रहेंगे ? मेरे माननीय मित्र श्री हनुमन्तैय्या मैतक्य के बारे में कह रहे थे और उन्होंने कहा है कि हमें समझौते का आधार खोजना चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि किन बातों को राष्ट्रीय दृष्टि से देखते हुए हमारे लिये अपने मत को व्यक्त करना सम्भव हो सकेगा। परन्तु यह क्या बात है जो प्रधान मंत्री ने की है। यह क्या है जो उनके सम्पूर्ण मंत्री मंडल ने किया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने तो पहले ही चर्चा आरम्भ कर दी है।

श्री रंगा : जबकि हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन्होंने कभी हम में से किसी से भी परामर्श करने, हम तक पहुंचने तथा हमें कुछ बताने, जानकारी देने तथा हमें अपने विश्वास में लेने का प्रयत्न किया है ?

Shri S.M. Joshi (Poona) : I agree with what the Congress leader Shri Hanumanthaiya stated that they are also worried, sad and harrified of the situation that has developed in Czechoslovakia. I am ready to accept it also that no motion can be brought here all of a sudden. But if we want to express our feelings, the motion put by our friend, that the House should be adjourned now and all the leaders should meet and discuss about the nature of the substantive Resolution and it will be better if we start our proceedings after taking the decision in this way.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक श्री रंगा के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम परस्पर एक बैठक करने वाले थे और क्योंकि यह प्रश्न काल था और मेरे लिये यह प्रश्न-काल है, मुझे तुरन्त यहां आना था। मैं सोचती हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिये यह उचित नहीं है कि वे यह अनुमान लगायें कि मै क्या कहने वाली हूँ। उन्हें विदित नहीं है मैं क्या कहने जा रही हूं ?

श्री म०ला०सोंधी : उन्होंने अपने पिछले वक्तव्य में सभा को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने का अधिकार है। इस प्रकार के व्यवधान को सहन नहीं किया जा सकता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये बड़े गम्भीर मामले हैं और यदि विपक्षी मुझे मिलना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से परस्पर बैठकर विचार-विमर्श कर सकते हैं। किन्तु यदि श्री नाथपाई मुझे यह कहने की अनुमति देंगे, तो मैं नहीं सोचती कि इसके लिये सभा को स्थगित करना उचित होगा।

श्री रवि राय : क्यों नहीं ?

श्री म०ला०सोंधी : क्यों नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं। बात यह है कि वहां की स्थिति गम्भीर है और जो हम कहते हैं वह वहां की स्थिति में कोई अन्तर लाने वाला नहीं है। यहां हमारे कुछ कहने से सोवियत टैंक वापिस लौटने वाले नहीं है। हमारी सरकार को वक्तव्य देने से पहले अपने प्रत्येक शब्द पर विचार करना है। इसलिये, मैंने कहा है कि मैं बाद में वक्तव्य दूंगी। मैं 12 बजे से बाद तक सभा में रहूंगी और उसके बाद ही मैं यह कार्य कर सकती हूँ ....

श्री म०ला०सोंधी : विलम्ब।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किन्तु मैंने बताया है कि किसी समय दोपहर बाद मैं वक्तव्य दूंगी। ....

श्री म०ला० सोंधी : आप चेम्बरलेन की नीति अपना रही हैं कि यह दूर का देश है।

श्री मी०रु० मसानी : नियम 32 के अन्तर्गत मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभा को स्थगित करें। इस नियम में यह कहा गया है कि पहला घंटा प्रश्नों पर लगाया जायेगा, किन्तु आपको भिन्न निर्देश देने का अधिकार भी है। इसलिये, मैं निवेदन करता हूं कि आप प्रश्न काल को विलम्बित करने का निर्देश देने की कृपा करें और सभा को तुरन्त स्थगित करें क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें जैसा करना चाहिये उसके बारे में हमें प्रधान मंत्री को 12 बजे अपने प्रस्ताव बताने दें। आपको नियम 32 के अन्तर्गत प्रश्न काल को निलम्बित करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस मामले में सभा की राय भिन्न हो। यदि सभा स्थगित होना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं स्वयं इसका निर्णय नहीं लूंगा, और न मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले पर भिन्न मत रखे।

यदि नेता लोग प्रधान मंत्री को मिलना चाहते हैं तो वे निश्चय ही मिल सकते हैं, बाकी सदस्य प्रश्न काल जारी रख सकते हैं। यदि प्रधान मंत्री आज वक्तव्य देंगी तो मध्यान्ह पश्चात हम उस पर चर्चा करेंगे।

श्री बलराज मधोक : आज शीघ्रातिशीघ्र।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं यही कह रहा हूं, इसलिए अभी हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे हमारा बनाया हुआ स्तर गिर जाये।

श्री कँवर लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री को विपक्षी नेताओं से मिलना स्वीकार्य है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी नहीं, प्रश्न काल के बाद मिल सकते हैं। यदि वे नहीं चाहते कि मैं इस समय उपस्थित रहूं तो श्री भगत मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि मध्यान्ह पश्चात किसी भी समय इस मामले पर बहस होगी और प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, परन्तु मैं उनको आश्वासन नहीं दे सकता कि किस प्रस्ताव पर बहस होगी, क्योंकि मेरे पास अनेक प्रस्ताव आये हैं।

यदि नेता लोग प्रश्न काल के समय प्रधान मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि वे जा सकते हैं। श्री भगत और दूसरे मंत्री प्रश्न काल जारी रख सकते है और सरकार की ओर से इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सब कुछ नेताओं और प्रधान मंत्री पर निर्भर करता है। परन्तु मैं राय दूंगा कि हम प्रश्न काल जारी रखें।

Shri Ram Sewak Yadav : Prime Minister and leaders could go and talk now.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तिब्बत की जनता को मानवीय अधिकारों से वंचित रखना

+

*571	**श्री रंगा :**	**श्री चं० चु० देसाई :**
	श्री कृ० मा० कौशिक :	**श्री म० ला० सोंधी :**
	श्री गाडिलिंगन गौड़ :	**श्री नन्द कुमार सो ानी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशिया की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तित परिस्थितियों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1968 को मानवीय अधिकारों का वर्ष घोषित किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र महा सभा के आगामी अधिवेशन में तिब्बत की जनता को मानवीय अधिकारों से निरंतर वंचित रखे जाने के विरुद्ध एक संकल्प प्रस्तुत करेगी या प्रस्तुत करने वाले अन्य देशों का समर्थन करेगी और सम्पूर्ण मानव समाज और चीन को अन्तःकरण से अपील करेगी कि वे तिब्बतियों को उनके चंगुल से मुक्ति दिलायें ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : सरकार संयुक्त राष्ट्र महा सभा के किसी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेगी जिसमें ऐसे कार्यों पर रोक लगाने की मांग

की जायेगी । जिससे तिब्बत की जनता को आधारभूत मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है ।

श्री रंगा : अभी सभा में इस विषय पर जोरों की चर्चा हो रही थी कि चेकोस्लोवाकिया में क्या हो रहा है और उसकी जनता के मानवीय अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है । अब सभा को, यदि अधिम नहीं तो कम से कम पिछले 12 वर्षों से तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में दुःख व्यक्त करना चाहिए ।

भारत सरकार इस समय इस मामले पर आगे आकर क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र से कहती है कि मानवीय अधिकारों के आधार पर इस प्रश्न की जांच की जाय, और समस्त विश्व को यह बताया जाय कि तिब्बत की जनता का नागरिक व मानवीय अधिकारों को कितनी बेरहमी ढंग से खत्म किया जा रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : तिब्बत तथा चेकोस्लोवाकिया के दो प्रश्नों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एक मामले में यह दो स्वतंत्र देशों का प्रश्न है ।

श्री बलराज मधोक : सभा को गुमराह मत करिये । तिब्बत चीन का कभी अंग नहीं था ।

श्री म० ला० सोंधी : तिब्बत चेकोस्लोवाकिया से भी पहले स्वतंत्र था ।

श्री ब० रा० भगत : चाहे सदस्य कितना भी शोर क्यों न मचाएं परन्तु तथ्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

श्री बलराज मधोक : मैं उनको चुनौती देता हूं । वह गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था ।

Shri Rabi Ray : Tibet was never part of China. It should be withdrawn. He is making a wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, मन्त्री महोदय ने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है, यदि वे सोचते हैं कि सभा उत्तर को सुनाना नहीं चाहती तो वे गल्ती पर हैं और उस तरीके पर चलना बहुत गल्त होगा । ऐसा नही चल सकता है ।

Shri Rabi Ray : He is making a wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : गलत का मतलब यह नहीं है कि वे इस प्रकार हस्तक्षेप करें । परन्तु वह प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होने देना चाहते । यदि वे चाहते हैं कि मंत्री महोदय उनकी इच्छा के अनुसार बोलें तो स्वभाविक है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे । वे जो कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं, उनको कहना चाहिए ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक विश्व को तिब्बत की स्थिति से अवगत कराना है, सभा यह जानती है कि यह मामला महा सभा में उठाया गया था और भारत ने एक प्रस्ताव

का समर्थन किया था, समस्त विश्व तिब्बत की स्थिति से परिचित है और यह जानता है कि जनता के अधिकारों का किस प्रकार दमन तथा हनन किया जा रहा है।

श्री रंगा : भारत सरकार स्वयं इस प्रस्ताव को क्यों प्रस्तुत नहीं करती ? मैं पहली बार सरकार को ऐसा करने को नहीं कह रहा हूं। दूसरे कई देशों ने, जो तिब्बत से बहुत दूर है और तिब्बत की संस्कृति से उतने परिचित नहीं हैं जितना कि हम। बहुत बार संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आगे आए कम से कम अब क्यों नहीं भारत सरकार साहस करके इस प्रश्न को, एक मित्र देश के नहीं बल्कि साम्यवादी चीन के विरुद्ध उठाती जिसने अकारण ही हमारे देश पर आक्रमण किया था। क्या मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिला सकता हूं कि एक बार सयुक्त राष्ट्र ने रुस में **बल पूर्वक श्रम** कराये जाने के ऊपर एक समिति नियुक्त की थी। उस समय रुस ने आयोग को वहां आने नहीं दिया, फिर भी आयोग ने अपना कार्य जारी रखा और रुस के लोगों की जीवन की हालतों पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया उसके बाद बहुत सी बातें प्रकाश में आई। क्यो नहीं हमारी सरकार ऐसा कदम उठाती है ? और संयुक्त राष्ट्र में जाकर उनसे सहायता नहीं मांगती जिससे कम से कम कुछ हद तक इन लोगों की सहायता हो जाती।

श्री ब० रा० भगत : हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस पर हर दृष्टिकोण से विचार किया जाये। सबसे प्रथम महत्व की बात यह है कि इसमें तिब्बत की जनता की सहायता करनी चाहिए। भारत और चीन के तनाव पूर्ण सम्बन्धों के कारण यदि भारत आगे आता है और महासभा में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो सम्भवतः चीनी लोग इसका शोषण करेंगे (व्यवधान) माननीय सदस्य मेरे दिए हुए तर्क से सहमत नहीं होगें। तिब्बत के प्रश्न पर विचार बिना भारत-चीन के तनावपूर्ण सम्बन्ध को लाये करना चाहिए हमारे विचार में इससे तिब्बत की जनता की स्थिति विकट हो जाएगी और चीन जानबूझकर राजनीतिक लाभ का शोषण करेगा। इन विचारों से, कि तिब्बत की जनता के अधिकारों का दमन रोका जाय, सहमत होते हुए मैं समझता हूं कि हमारा कदम ठीक है यथा यदि यह मामला महासभा के समक्ष आता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। यह एक ऐसी उचित कार्यवाही है, जिसको हम उठा सकते हैं।

श्री कृ० मा० कौशिक : विधिवेताओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने तिब्बत में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर विचार किया है और उन्होंने सिफारिश की थी कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाये। क्या मैं सरकार को याद दिला सकता हूं कि नवनगर के जानसाहेब ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्टियरिंग समिति में भारतीय प्रतिनिधि के रुप में यह आश्वासन दिया था कि तिब्बत का प्रश्न शान्तिपूर्वक सुलझाया जा सकता है और वहां इसकी गांरटी भी दी थी, इसको दृष्टि में रखते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि वे कब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री कृ० मा० कौशिक : मेरा अभिप्राय यह है कि क्या उनके मन में यह बात है।

श्री ब० रा० भगत : इस बात को हमने हमेशा ध्यान में रखा है।

श्री म० ला० सोंधी : क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष पेंकिग की दिवारों पर लगे हुए इश्तहारों के अनुसार चीन के विदेश मंत्री श्री चेन यी, जिन पर लाल रक्षकों द्वारा चीन के विदेशी कार्यालय की दीवार फांदकर बुरी तरह आक्रमण किया गया था, पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इन्डोनेशिया, बर्मा, और शायद तिब्बत के प्रति तथाकथित खराब नीति अपनाई है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने सांस्कृतिक क्रांति के प्रभावों का अध्ययन किया है जिसने विदेशी नीति के मामलों पर चीन शासकों के मध्य काफी विरोध पैदा कर दिया है और जिसमें तिब्बत का प्रश्न शामिल है ? क्या प्रधान मन्त्री निष्पक्ष रूप से तिब्बत के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के पूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करने की स्थिति में है जैसाकि चीन के मामले का उदाहरण है, इसके व्यवसायिक कूटनीतिज्ञता का नष्ट होना है, और तिब्बत में बड़ी संख्या में लाल रक्षकों द्वारा लड़ाई और उसका विरोध करने वालों का उदय होना है। रुस के मामले में तिब्बत के साथ साथ चीन के दक्षिणी सीमा की नए सिरे से जांच पड़ताल करने का स्पष्ट उदाहरण है। मुझे आशा है कि मेरे साम्यवादी मित्र इसका समर्थन करेंगे कि पेंकिग के समर्थक लॉबी का उदय हुआ है और जो इस तथ्य से विश्वास लेते हैं कि गतवर्ष चीन ने कई देशों के साथ हिंसात्मक उपद्रव किये और अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ फलस्वरुप वार्सा में राजदूत स्तर पर वार्त्ता संतषोजनक और शान्तिपूर्वक रीति से................

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? आप समस्त विदेश नीति के बारे में अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : यह एक महत्वपूर्ण पृष्ठ भूमि है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो भारत और चीन के मध्य तनाव चाहते हैं। मैं यह कहने में नहीं हिचकिचाता कि भारत और चीन के मध्य अच्छे सम्बन्धों की मैं आशा कर रहा हूं। मै जान सकता हूं कि क्या तिब्बत के बारे में अन्य लोगों द्वारा तैयार किया हुआ प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले दूसरी सम्भावनाओं के जरिए सरकार शांत तरीके से चीन से तनाव कम नहीं कर सकती। भारत सरकार को संयतपूर्ण शब्दों में प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत करके आगे आना चाहिए और उन अनुकूल प्रवृत्तियों का दृढ़ता के साथ समर्थन करना चाहिये।

श्रीमती इन्द्रा गांधी : हमने दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाए रखा है और हम निश्चय ही किसी भी विशेष प्रस्ताव की भाषा को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमने इस विषय पर काफी विचार किया है और हम नहीं सोचते कि तिब्बतियों के हित में यह नहीं होगा कि हम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।

श्री रंगा : क्या उन्होंने दलाई लामा से सलाह ली है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मेरा मतलब मानवीय अधिकार आयोग के दूसरे सदस्य देशों से है ....(व्यवधान)

श्री हेम बरुआ : चीन ने तिब्बत को एक विशाल जेलखाना बना दिया है। चीन ने तिब्बत में सैनिक द्वारा अधिकार पूरा कर लिया है और भारत के विरुद्ध चीन ने तिब्बत को सैनिक तैयारियों का अड्डा बना लिया है। इसने भारत की सुरक्षा पर भी प्रभाव डाला है। इस सन्दर्भ में मैं जान सकता हूं कि सरकार सुरक्षा के हितों के लिए ऐसे कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है जिससे कि तिब्बत को तटस्थ किया जा सके और जहां तक तिब्बत का सम्बन्ध है इसकी पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति फिर से लाई जाय। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक "ग्लिम्सिज आफ वर्ल्ड हिस्टरी" 1939 संस्करण के पेज 842 में लिखा है "तिब्बत स्वतंत्र था।"

श्री हेम बरुआ : अगर तिब्बत की यह स्थिति है तब वैदेशिक कार्य मंत्रालय के मन्त्री ने ऐसा क्यों कहा है कि तिब्बत चीन के नियंत्रण में था। ऐसा कहना बहुत गलत है। यह श्री नेहरू और उनकी सरकार का खण्डन करता है। यह जनता की नीति का भी खण्डन करता है। उस संदर्भ में मैं जान सकता हूं कि सरकार क्या निश्चित कदम उठा रही है या उठाने का विचार है जिससे कि तिब्बत को तटस्थ करके सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके और तिब्बत की स्वतंत्रता को पुनः ला सके ? क्या सरकार इस देश में दलाई लामा के नेतृत्व में प्रवासी सरकार को मान्यता देने को तैयार है या नहीं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमने तिब्बत पर चीनी प्रभुसत्ता मान ली है।

श्री म० ला० सोंधी : अधिराजत्व।

श्रीमती इंदिरा गांधी : पहले कोई भी स्थिति रही हो, परन्तु संसार में स्थितियां बदलती रहती हैं और मैं समझती हूं कि हमें वस्तु स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये। हम तथ्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। तिब्बत में व्याप्त मानवीय समस्याओं के प्रति हमें गहरी चिन्ता है। हमें दुखः है कि वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। युवकों और अल्पवयस्कों को उनके अभिभावकों से अलग करके उन्हें पेकिंग अथवा चीन के किसी अन्य भाग में ले जाया जा रहा है। यह भी सत्य है कि तिब्बत को हमारे विरुद्ध प्रचार के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है।

श्री नाथ पाई : केवल प्रचार के लिये ही नहीं, अपितु आक्रमण के लिये भी।

श्री हेम बरुआ : मैंने 'युद्ध की तैयारी" का उल्लेख किया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक आक्रमण का सम्बन्ध है, हमने अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था को देखना है तथा उन्हें दृढ़ करना है। वह हम कर रहे हैं। हमने अपने प्रचार को भी देखना है, उसे दृढ़ करना है तथा उसे अधिक प्रभावशाली बनाना है। परन्तु वस्तुतः मुझे इस प्रश्न से यह समझ में नहीं आता कि इस मामले को मानवीय अधिकार आयोग को सौंपने से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री नाथ पाई : महा सभा।

श्री नम्बियार : भारत में एक प्रवासी सरकार क्यों नहीं स्थापित हो सकती ?

श्री स्नैल : प्रधान मन्त्री ने यह ठीक ही कहा है कि तिब्बत अथवा संसार के दूसरे भागों में चाहे जो हो रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले अपने देश की सुरक्षा का ध्यान रखना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अभी हाल ही में दो घटनाएं घटी हैं। रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की बिक्री तथा चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण, जिसका समाचार हमने आज ही सुना है। इन दो बातों ने भारत तथा संसार के लोगों में इस भावना को जागृत किया है कि भारत को अपनी विदेश नीति को नया रूप देना चाहिये। यह बुद्धिपूर्ण कहा गया है कि अपनी विदेश नीति को नया रुप देते समय वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने पड़ौसियों से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करें। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस आधारभूत नीति से सहमत है कि हमें अपने पड़ौसियों से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिये। यह सब मानते हैं कि हमारे पड़ौसियों में चीन सबसे खतरनाक है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चीन से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी विदेश नीति को नया रूप देगी ....(व्यवधान) ? मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए। आपने इसका उत्तर नहीं देना है ; प्रधान मंत्री ने देना है। आपके अपने विचार हैं, मेरे अपने। यदि सरकार इस बात से सहमत है कि हमें अपने पड़ौसियों से सुरक्षा प्रबन्धों में परिवर्तन करना है तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह उत्तम होगा कि हम इस प्रश्न को पुनः उठायें, चाहे हम तिब्बत के लोगों के बारे में इस समय कितना ही अनुभव करते हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह किसी सीमा तक संगत है। इस सीमित मामले में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं ; श्री सोंधी ने कहा है कि हमें यह नहीं समझना चाहिये कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सदा ही खराब रहेंगे। परन्तु ऐसा कोई वातावरण अथवा कोई ऐसी बात पैदा की जानी चाहिये जिससे कि हम अपने सम्बन्ध सुधार सकें।

श्री नम्बियार : सर्वोत्तम उपाय यह है कि भारत में एक तिब्बती सरकार स्थापित की जाये।

श्री रा० डो० भण्डारे : मैं अच्छी तरह अनुभव करता हूँ कि तिब्बत के बारे में कोई प्रस्ताव भेजने में भारत सरकार के समक्ष कठिनाई है। परन्तु इस विचार से कि संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। यदि यह प्रस्ताव उठे, तो क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि यदि छोटे राष्ट्र इस प्रस्ताव को रखने तथा समर्थन देने को तैयार हैं तो क्या भारत सरकार एक पग आगे बढकर इन छोटे राष्ट्रों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने मे सहयोग देने को तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हम किसी प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में सहयोग नहीं दे रहे हैं। परन्तु हम उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

Shri Rabi Ray : Let the Govt. not admit it but we have a firm belief that Tibbet has never been a part of China. I, therefore, want to know that in view of the atrocities going on there, whether the Govt. of India will try to amend its foreign policy, and as they have recognised Chinese Govt.. they will recognise the Taiuran Govt. too.

Shri B. R. Bhagat The hon. Member has reached Tauran from Tibbet. I do not find any relation between the two.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रधान मन्त्री ने तिब्बत के लोगों के हितों की बात कही। तिब्बत पर हो रहे चीनी अत्याचार को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। फिर भी इस मामले में एक प्रस्ताव को मानव अधिकार आयोग में ले जाने के बारे में हमने कोई कदम नहीं उठाया है। इस तथ्य की दृष्टि से कि तिब्बत पर चीनी अधिराजत्व को स्वीकार करने की भूल हम पहले कर चुके है, परिवर्तित स्थिति को देखते हुए जब भी यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में उठेगा, तो क्या भारत सरकार यह रुख अपनाएगी कि अब वह चीन के प्रवेश का समर्थन नहीं करती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य अपनी ही बात काट रहे है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव को रखने का यही उद्देश्य है कि ऐसे सब मामलों में चीन को मर्यादा सीमा में ला सकना सरल हो जायेगा।

श्री रंगा : कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।

श्री पं वेंकटासुब्बया : जब कि किसी प्रस्ताव के प्रायोजन अथवा सह-प्रायोजन के बारे में सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है, मैं जानना चाहूँगा कि जब भी कभी यह मामला संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी अन्य देश के समक्ष आयेगा, तो क्या सरकार चीनियों द्वारा तिब्बतियों पर किए जा रहे अमानवता पूर्ण व्यवहार के बारे में संसार का जनमत बनाने में आगे बढ़ कर भाग लेगी।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है, इस बारे में हम पहले से ही अन्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा यदि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयेगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। इसका समर्थन करते हुए अन्य सरकारों से विचार विमर्श भी किया जाता है। हम अन्य सरकारों को अवश्य ही अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे।

श्री बलराज मधोक : मन्त्री ने यह कहते हुए अपना भाषण आरम्भ किया है कि चैको-स्लोवाकिया के साथ तिब्बत का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता तथा तिब्बत चीन का एक भाग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वह इतिहासकारों की एक समिति बनाने को तैयार है जो कि भारत और चीन के संदर्भ में तिब्बत को लेकर तथ्यों का पता लगाये तथा यह निष्कर्ष निकाले कि तिब्बत चीन का एक भाग है कि नहीं। पहले आप यह कह कर एक गलती कर चुके है कि तिब्बत चीन के अधिराजत्व अथवा प्रभु सत्ता के अधीन है। क्या हम अपनी एक गलती को सुधार नहीं सकते जो हम पहले कर चुके है। अतः पहला प्रश्न यह है क्या आप इतिहासकारों की एक समिति नियुक्त करने को तैयार हैं जो यह पता लगायें कि क्या तिब्बत कभी चीन का भाग रहा है? कुछ भी हो, इसके भारत के साथ मित्रता पूर्ण सम्बन्ध रहे है। परन्तु इसका अपने पासपोर्ट तथा विदेशी नीति थी। यह कभी चीन का भाग नहीं रहा। इसके बाद आपने कहा है कि हमें चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिये। मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु हम चीन से अपने सम्बन्ध कैसे सुधार सकते हैं जब कि भारत और चीन को पृथक करने वाले भौगोलिक अन्तर को तिब्बत को बीच से हटा कर दूर कर

दिया गया है । जब तक तिब्बत स्वतन्त्र नहीं हो जाता तथा चीन से हमारा सीधा सामना समाप्त नहीं होता, चीन के साथ कोई शान्ति नहीं रह सकती । मेरा यह प्रश्न है, क्या आप तिब्बत को स्वायत्तता अथवा स्वतन्त्रता जो भी आप इसे कहे, दिलाने को तैयार हैं, ताकि आने वाले समय में चीन और भारत के सम्बन्ध सुधारे जा सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या माननीय सदस्य यह समझते है कि इस प्रस्ताव के प्रायोजन से तिब्बत स्वतन्त्र हो जायेगा ?

श्री बलराज मधोक : मेरे पहले प्रश्न का क्या हुआ ? क्या आप तिब्बत की स्वतन्त्रता अथवा उसके चीन के एक भाग होने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं ? मैं इस का विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि इतिहासकारों की कोई समिति बनाने से कोई लाभ हो सकता है । हमने देखा है कि जब भी विशेषज्ञ मिलकर बैठते हैं उनके मत प्रत्येक विषय पर भिन्न-भिन्न होते हैं ।

श्री प० गोपालन : पिछली बार, जब मानव अधिकारों के तथा कथित दमन का मामला संयुक्त राष्ट्र में आया तब भारत तथा कुछ अमरीकी देशों के सिवाय एक भी निर्पेक्ष देश ने इसका समर्थन नहीं किया । —(व्यवधान) ।

श्री ब० रा० भगत : मैं उन देशों की सूची दे सकता हूँ । उसका वर्णन मै माननीय सदस्य पर छोड़ता हूं । प्रस्ताव के मसौदे का सह-प्रयोजन आयरलैंड, मलेशिया, मालता, फिलीपाइन्ज, थाईलैंड तथा अन्य देशों ने किया था, (व्यवधान) । 43 देशों ने इसके पक्ष में मत दिये थे । मैं सारी सूची सभा पटल पर रख सकता हूँ ।

श्री शिवाजी राव देशमुख : हमारी माननीया प्रधान मन्त्री बुद्ध, अशोक और गांधी के देश की प्रधान मन्त्री है । इस तथ्य की दृष्टि से कि भारतीय धर्म बौद्ध मत दलाई लामा को सजीव बुद्ध मानता हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय व्यक्त की गई सहृदयता तथा क्षोभ-पूर्ण भावनाओं को ठोस रूप देने के लिए प्रधानमन्त्री क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार रखती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि फिर से पहले प्रश्न पर आऊं तो मैं उन देशों के नाम की सूची पढ सकती हूँ जो मुझे अभी प्राप्त हुई है । जिन्होंने पक्ष में मत दिया था, वे देश थे : नैदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा, पारागुए, पेरू, फिलिपाइन्स, स्पेन, थाईलैंड, तोगों, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका अपर वोल्टा, उरुगु,एवैन्जुएला, अर्जेन्टाईना, आस्ट्रेलिया, बैल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, कैनाडा, चिली, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डॉमिनिकन रिपब्लिक, एल सलवाडोर, गेटेमाला, हैटी, होंडुरास, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इजराईल, इटली, जापान, जोर्डन, लाइबेरिया, लक्षम्बर्ग, मादागास्कार, मलेशिया, माल्टा ।

अब जिन्होंने विपक्ष में मत दिया वे थे :मंगोलिया, मोरोक्को, नेपाल, पाकिस्तान. पोलैंड रूमानिया, सूडान, सीरिया, उक्रेनियन, सोवियत सोशियलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, तन्जानिया, संयुक्त गणराज्य, युगोस्लेविया, अल्बानिया, अल्गोरिया, बुदगारिया, बर्मा, बाईलोसस्सियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कांगों (ब्राजाविल) क्यूबा, चेकोस्लोवेकिया, इथोपिया, गिनी, हंगरी, इराक, माली।

तथा जिन्होंने मत नहीं दिया वे थे, पुर्तगाल, सोदी अरबिया, सेनेगाल सीरालियोन, सिंगापोर. स्वीडन, टुनीशिया, अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, श्री लंका, दहोमी, डेन्मार्क, फिलैंड, फ्रांस, घाना, ईरान, आइवरी कोस्ट, जमायका, कुवैत, लेबनान, मालादिव द्वीप, मैक्सीको।

यह प्रस्ताव 26 के मुकाबले 43 मतों से स्वीकृत हुआ तथा 22 अनुपस्थित थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने श्री शिवाजीराव देशमुख के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस उत्तर में उनके प्रश्न का उत्तर भी आ गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका था ··· (व्यवधान) यदि मामला उठता है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

Shri S. M. Joshi : While replying to the question which is now before the House, it has been siad from the Govt. said that before sponsoring or co-sponsoring that resolution, first of all we will have to ensure whether that will be in the intrest of the Tibbetans or not, I want to know from the Govt. whether the fact, whether it is in the interest of the Tibbetans or not, will be decided upon by us only or with their representative, the Dalai Lama who is sitting here ? If he says it is in their interest, and al o that we should sponsor it, are you prepatred to sponsor it ?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has understood my answer the otherway. Amongst other reasons, this too I had stated that China finding that India is taking up this matter and that India and China don't have good relations, will certainly exploit it...... (Interruptions) I never said in whose interest it is and in whose not...(interruptions).

श्री म० ला० सोंधी : यह अपमान है। आप कुजेन ब्राच का अनुकरण कर रहे हैं। यह एक अमरीकी झूठ है। आप इसका पूरा अनुकरण कर रहे हैं। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। हम कहीं भी इस बात पर वाद-विवाद कर सकते है।

श्री ब० रा० भगत : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी विचार धारा में अधिक संतुलन लायेंगे। कोई देश, कोई व्यक्ति मेरे मन-मानस पर नहीं छा सकता। मैंने इस देश के लिए अपना रक्त बहाया हैं।

श्री म० ला० सोंधी ; एक बार फिर बहाइये। यही आकर मत रुक जाइये। पिछली बातों को मत सोचिये। भविष्य की चिन्ता कीजिये।

श्री ब०रा० भगत : मैं कह रहा था कि इस बारे में अनेक बातों पर विचार करना होता है, और जब हम इस प्रश्न पर कोई निश्चय करते है, तो इन सब बातों पर पूर्णतया विचार करके करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक बात तो निर्णय करते समय यह विचारणीय होती है कि इस उद्देश्य को देखते हुए कि हमें मानव अधिकारों के दमन से सुरक्षित रहने के लिए इसका सामना करने तथा यथा सम्भव प्रयत्न करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। यही मैंने कहा था··· (व्यवधान)।

Shri Rabi Ray : Will you consult Dleia Lama ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसी आधार पर निर्णय किया जाता है कि भारत के लिये क्या उचित है तथा भारत के हितों के लिये क्या अच्छा है ? जरूरी नहीं कि इसका सम्बन्ध दलाई लामा से भी हो। ऐसा करने के लिए आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। श्री नम्बियार।

श्री नम्बियार : क्या मै जान सकता हूं कि इस दृष्टि से कि हमें तिब्बत को चीन के लोगों मित्रतापूर्ण सहायता देनी है, तथा दोनों देशों के मध्य अधिक अच्छी पारस्परिक समझ-बूझ उत्पन्न करनी है, तो क्या भारत सरकार के लिये दलाई लामा को भारत की सीमाओं से बाहर भेजने को सम्भावनाओं पर विचार करना सम्भव होगा ? वह भारत और चीन के मध्य मुसीबतें खड़ी कर रहे है।

श्री म० ला० सोंधी : वह प्रयत्न कर देखें। वह दलाई लामा को बाहर निकाल कर देखे। यह सरकार तबाह हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि दलाई लामा एक माननीय अतिथि है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल को जानकारी लेने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए न कि आश्वासन लेने के लिए। यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्नकाल में कोई आश्वासन मांगता है तो यह गलत है। प्रश्नकाल केवल जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें उत्तर मिलना चाहिये कि क्या वह दलाई लामा को बाहर भेजेंगे अथवा नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : न जाने कितने समय से भारत उन लोगों को सदा शरण देता रहा है जो कि धर्म के आधार पर अथवा अन्य कारणों से दूसरे देशों से निकाले गए है। यही कारण था कि जब दलाई लामा भारत आये तो हमने उनका स्वागत किया था।

श्री एस० एम० कृष्ण : श्री नम्बियार यह देखें कि पंचम लामा का क्या हुआ ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : केवल दलाई लामा ही नहीं बल्कि भारी संख्या में तिब्बती लोग भारत की शरण में है तथा भारत सरकार और अन्य संस्थाए······।

श्री रंगा : तथा राष्ट्र भी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी :उनको बसाने और उनकी देखभाल करने में सहायता दे रही है।

श्री नम्बियार : वह यहां राजनैतिक कार्य कर रहा है ।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र को यथेष्ट ढंग से बात करनी चाहिये । दलाईलामा हमारे माननीय अतिथि है । उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिये (व्यवधान) ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, it is heartening that our hon. Prime Minister has expressed concerned over the happenings in Tibbet and has stated that she will fight the cause of Tibet with full strength. I want to know whether the Dalai Lama has ever requested that it is in the interest of Tibbet that India should sponsor the cause of Tibet in U. N.O. ? And whether the Dalai Lama has given any detail about the atrocities committed by China in Tibbet ? May I know whethere the Government of India will recognise the Government of Dalai Lama while China adopts hostile attitude toward us with regard to Mizos, Pakistan and Nagas ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन प्रश्नों का उत्तर यहां कई बार दिया जा चुका है। वह जानना चाहते है कि क्या दलाई लामा की सरकार को मान्यता दी जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने दलाई लामा से बातचीत की है यद्यपि हाल ही में नहीं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की है, दलाई लामा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और इसलिये उनके लिदे इस प्रकार के कार्यों के राजनीतिक परिणामों का मूल्यांकन करना कठिन है ।

जहां तक चीनियों द्वारा तिब्बत में किए गए अत्याचारों के ब्योरे का सम्बन्ध है हमें दलाई लामा, अन्य तिब्बतियों तथा दूसरे स्रोतों से भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी ।

जहां तक माननीय सदस्य के अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कहूंगी कि अगर हम समझते है कि चीन कुछ गलती कर रहा है तो हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। हमें कुछ मूल्यों तथा सिद्धान्तों पर दृढ़ रहना चाहिये ।

श्री हनुमन्तैय्या : चीन तथा भारत सरकार द्वारा तिब्बत को स्वायत्तता देने के बारे में की गई संधि को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम भी साझीदार हैं, क्या यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य नहीं है कि हम तिब्बतियों के मानवाधिकारो की रक्षा के मामले में प्रत्यक्ष रूप से पहल कदमी करें और केवल प्रतीक्षा ही न न करते रहें ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राजनीतिक जीवन में हर एक को कई पहलूओं पर देखना पड़ता है और मैं नहीं सोचती कि इस प्रकार के मामले में हम योंही हवा में काम कर सकते है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the only religious and political head of Tibet, the Dalai Lama has written any letter to the Government of India that she should

determine her stand before the agenda of the General Assembly of the United Nation completes' on 29th August, if so, the reasons he has stated and the reply given by the Government of India thereto ?

Shri B. R. Bhagat : He had written so, but we have made our policy clear that we are ready to support any Resolution of this sort.

श्री बलराज मधोक : यह सन्तोषजनक उत्तर नही है ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब यहां अंग्रेजों का शासन था तब वे तिब्बत पर कुछ नियंत्रण रखते थे । क्या कारण है कि अब हमारा तिब्बत पर वैसा कोई नियंत्रण नहीं है ? जब कि चीनी लोग तिब्बत में तिब्बतियों के साथ इतना अमानुषीय व्यवहार कर रहे है तो हमारी सरकार इतनी कमजोर क्यों है कि वह सत्य बात भी नहीं कह सकती ? हमारें देश में कई चीनी एजेंट है, क्या सरकार उनको चीन भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ? मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार को यहां से बाहर भेजा जाय ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker. to protect human rights is a very important work but for the protection of the human rights of the Tibetane we will have to make China our enemy. So I want to know whether any body helps the Government to strengthen her in the field of agriculture, Industry and in the making of atom bombs, because only then we will be able to face China and whether our Government are in such a position at this time ? ..... (व्यवधान)

श्री चेंगलराया नायडू : वे देश द्रोही हैं, श्री नम्बियार जैसे लोगों को देश से बाहर चला जाना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, I should get the reply to my quession,

Shrimati Indira Gandi : The question regarding atom bomb has been discussed here many times.

श्री श्री० अ० डांगे : मैं प्रधान मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब हम तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं तो उनको पहले भारत के कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये कुछ करना चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : सभा में इस मत की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कि तिब्बत के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय वाक्पीठ में उठाया जाय, और यदि सम्भव हो तो यह हमारे द्वारा प्रायोजित हो अथवा कम से कम सह-प्रायोजित हो, क्या प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इस प्रश्न का उत्तर दे चुके है ।

श्री नाथपाई : सभा के प्रत्येक वर्ग की ऐसी मांग है ।

श्री हनुमन्तैय्या : बहुमत नीति परिवर्तन के पक्ष में है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमें अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना है, सरकार को दीर्घ-कालीन राष्ट्रीय हित को देखना होता है। हम समझते हैं कि हमारी वर्तमान नीति इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम माननीय सदस्यों के विचारों को अभिव्यक्ति का सदा स्वागत करते है और हम सदा उन पर आवश्यक रूप से विचार करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमें भारत के दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचक प्रश्न संख्या 8

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, to-day,because the questions have been started 17 minutes late, therefore 17 minutes more should be given after 12 O' Clock to Questions.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

बिहार राज्य में मुंघेर जिला के एक गांव में खाद्य पदार्थों की विषाक्तता के कारण मौतें

अ.सू.प्र.सं. 8 श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :
श्री न० ता० दास :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में खाद्य पदार्थों की विषाक्तता के कारण 50 से अधिक व्यक्ति मर गये हैं और मुंगेर में अस्पताल में पड़े हुए 73 व्यक्तियों की दशा चिंताजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उपचारात्मक उपाय क्या किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1 अगस्त, 1968 की रात को मुंगेर अस्पताल से लगभग दो मील की दूरी पर स्थित सतूरखाना नामक ग्राम के एक व्यक्ति इकरामुलहक् ने अपने पुत्र के खतना संस्कार के शुभ-अवसर पर एक दावत दी जिसमें 110 व्यक्तियों ने, जिनमें अधिकांश बच्चे थे, पुलाव, गोमांस और तरकारियां खायीं और तुरन्त ही वे बेहोश होने लगे। उनको अस्पताल लाते-लाते उनमें से 47 व्यक्ति जिनमें 41 बच्चे थे, मर गये। अन्य सभी व्यक्तियों में जिनमें 58 बच्चे थे और जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था खाद्य-विषाक्तता के चिन्ह पाये गये। स्थानीय साधनों का

उपयोग कर उनका तुरन्त आवश्यक उपचार किया गया। यह शक किया जा रहा है कि दावत देने वाले व्यक्ति के किसी सम्बन्धी ने शत्रुतावश भोजन में जहर मिला दिया था। उनके पेट से निकाला गया पदार्थ तथा पकड़े गये शेष भोजन को रासायनिक पीरक्षण के लिए भेज दिया गया है और इस विषय में पुलिस छान-बीन कर रही है। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302,/328 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और बताया गया है कि इस सम्बन्ध में उसने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have not read that statement. I was entangled in the discussion regarding Czechoslovakia. That statement is not so long and the hon. Deputy Minister should read that out.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : व्यवस्था के प्रश्न पर, यदि हमारे में से कोई यहां मन्त्री महोदय से उस विवरण को पढ़ने के लिये कहता है जो सभा पटल पर रखा जा चुका है तो उसकी इसको अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसके लिए तैयार है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : हम एक अजीब प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : As I have stated that I was entangled in Czechoslovakia. We came to see you and I could not read that.

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब किसी प्रश्न के उत्तर को सभा पटल पर रख दिया जाता है तो माननीय सदस्यों से ऐसी आशा की जाती है कि वे उसे पढ़े। सामान्य पद्धति तो इसी प्रकार की है। आज का विवरण छोटा हो सकता है लेकिन कल को पांच पेज का विवरण भी हो सकता है।

Shri Madhu Limaye : It is right. I will ask questions. I want to know from the hon. Minister that in this case of adding poison to food in which many persons have died, whether the Government think that these was any one's hand behind it, if so, whether it is a fact that the accused have run away ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : हमें प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 41 व्यक्ति मर गये हैं। यह कहा जाता है कि जांच के दौरान यह पता लगा कि इकरामुलहक तथा उसके छोटे भाई इनामुलहक के बीच मुकदमा चल रहा था जिसको इस भोज में नहीं बुलाया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि इनामुलहक का इसमें हाथ है तथा वह ही इस संकट के लिए उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह भाग गया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कोई भी नहीं भागा है।

Shri Madhu Limaye : Has he been arrested ?

श्री ब० सू० मूर्ति : अब तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

Shri Madhu Limaye : My second question is that whether any financial or medical assistance etc. are being given by the Government to the families of the persons who have died or have fallen ill ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्य संसदीय प्रक्रिया के विशेषज्ञ होने के नाते यह जानते हैं कि बिहार राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही होगी ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, there is President's rule in Bihar, otherwise this question would not have come here. I raise a point of order. We know that it is a State's matter but this has been brought here because there is President's rule in Bihar.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच कर रही होगी ।

श्री ब० सू० मूर्ति : इन मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : No Sir, we are responsible for this now because there is President's rule in the State. The hon. Minister is unaware of the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : यह समझा जाता है, नहीं तो यह प्रश्न यहां नहीं आता । इसके लिये वहां कोई उत्तरदायी राज्य विधान सभा तथा राज्य सरकार नहीं है । इसीलिये स्वास्थ्य का यह प्रश्न यहां आया है ।

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

An hon. Member : The hon. Law Minister should make it clear to him.

श्री न० ता० दास : मैं जानना चाहता हूँ कि इकरामुलहक ने कितने लोगों को आमन्त्रित किया ?

श्री ब० सू० मूर्ति : दो सौ ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं जानना चाहती हूँ क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि खाने में कुछ जहर मिलाया गया था ? अथवा क्या पकाने की प्रक्रिया के दौरान सामग्री में जहर मिलाया गया था जो भोजन के लिये प्रयोग में लायी गयी थी तथा भोजन बनाने वालों को भी उत्तरदायी ठहराया जाय ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह संदेह किया जाता है कि भोजन में विष मिलाया गया था; लेकिन यह पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है और पीड़ित व्यक्तियों के पेट से निकाला गया पदार्थ तथा पकड़े गये शेष भोजन को रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : These actions of adding poison to food have been done in a planned way, so I want to know whether there is any Pakistani collusion group after Inamul Haque etc. which want to kill people by adding poison to food, because it is clear

that such misdeeds are not the creations of one or two men and the cook and the waterman would also be an accomplice in these misdeads; whether the Government are making any investigation in this respect to stop such heinous actions ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं सोचता कि ऐसा सुझाव देने के लिए कोई प्रमाण है ।

Shri Bhogendra Jha : The hon. Deputy Minister is giving a strange reply. Actually this question is concerned with the protection of the population while his department is concerned with the decrease of the population, therefore, I understand that the satisfactory answers are not being given by him. May I expect that he will give a proper reply ? The question is concerned with the protection of the population and therefore, I will like that he should give less attention toward decreasing the population. The question is that two things arise out of this mass deaths; first is that whether there was any intention or active efforts behind mixing poison in food in such a large scale and what action is being taken on the informations and results, the Government have achieved so far ? May I know whether it was possible to check the large scale deaths by giving immediate medical aid ? People believe that it was possible to save the lives of those persons but the medical aid was delayed and as a result those deaths occured. I want to know if care should have been taken and delay should have not been made in providing medical aid, whether the lives of some persons or all the persons could have been saved; what is the information of the Government regarding the occused of the medical department, and whether any action is proposed to be taken against such people ?

श्री ब० सू० मूर्ति : अस्पताल ले जाने से पूर्व 41 व्यक्ति मर चुके थे । जहां तक दूसरी जानकारी का सम्बन्ध है, यह सन्देह किया जाता है कि खाने में कुछ जहर मिला हुआ था और इसका कारण दोनों भाईयों के बीच शत्रुता का होना है । लेकिन यह सब आरोप हैं ।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, I want to know whether the Government have made any enquiry but the hon. Minister is not giving a proper reply. In this way the time is being wested. I request to call the hon. Health Minister............

Mr. Speaker : Shri Bibhuti Mishra,

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the hon. Deputy Minister will try to find out that such poison has disappeared from a Government factory in Patna, from Barauni, Bokaro and that poison was mixed in the food, which was served in the party given by Ekramul Haque in celebration of circumcision ceremony of his son and the first batch in which mostly there were children began to become unconcious soon after taking the food and began to fell near the door and as a result all the members of the family of his brother were saved and most of the outsiders who had taken food died ? Have the Government made any enquiry through their agency in this respect that there is such poison in the Government factory of Patna. in Bokaro of Barauni, which if mixed in food results in the death of the person who takes that food ? May I know whether the Government have made any investigations, if so, what is the report ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इन सब बातों की जांच की जा रही है और जब पता चल जायेगा तो हम सभा पटल पर एक विवरण रख देंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know after what time the persons died after taking the poison added food and after what time they were taken to the Hospital ? Is it a fact that there were no such medicines available in the Hospital which could save

the lives of those affected persons immediately, and much delay made in making the medicine available ? Whether it is also a fact that some assistance has been given by the Government to the families of the persons who have died, if so, how much assistance has been given. Some persons have been caught but many of the accused who are responsible for it have not been arrested and the Government are trying to find them out. Is it a fact that they have stipped away to Pakistan.

श्री ब०सू० मूर्ति : यह कहा जाता है कि पहली पंगत वाले लोगों ने जिसमें 110 व्यक्ति थे, खाना खाया, उसके पश्चात् दूसरी पंगत के बैठने से पहले ही यह दिखाई दिया कि जिन लोगों ने पहली पंगत में खाना खाया था, वे खाना खाने के बाद पीड़ा और बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। तब उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। अस्पताल ले जाने से पहले उनमें से 41 व्यक्ति, जिनमें अधिकतर बच्चे थे, मर गये। बाकी के जो लोग अस्पताल ले जाये गये लगभग सब के सब बच गये। इसीलिये, मैं नहीं सोचता कि वहां चिकित्सा व्यवस्था व दवाइयों के बारे में कोई कठिनाई थी। अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया गया।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Government have any information that the persons who are being traced by them have slipped away to Pakistan or not ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Every body is replying that he has got "no information."

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether any assistance has been given by the Government to the families of the persons who have died ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है कि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

Shri Randhir Singh : May I know whether it is a fact that such gangs are working not only in Bihar but all over the country and there is a great collusion behind it. Is there any Firm or Organisation which is doing all this work of supplying gangs. When there was a fair in Kurukshetra ten farmers were given poison in the same way at the Delhi Station and they died after three hours. I want to know whether any connection has been foundout between this and that gang ? Whether the Government will liquidate this gang after tracing it out?

श्री ब० सू० मूर्ति : जैसा मैंने बताया, हमें इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूँ कि पुलिस से एफ० आई० आर० प्राप्त होने के पश्चात क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार को प्रतिवेदन दिया, यदि हां, तो भारत सरकार को अग्रसारित करने के लिए एफ० आई० आर० को प्रस्तुत करने से पहले पुलिस ने कितने प्रमाण एकत्र किये थे ?

श्री ब० सू० मंति : केवल उतनी ही जानकारी मुझे बिहार सरकार से प्राप्त हुई है जितनी मैं यहां दे रहा हूँ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी के कर्मचारियों का विदेशों के प्रसारण संगठनों में भाग लेना

*572. श्री हरदयाल देवगुण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कुछ कर्मचारी विदेश प्रसारण संगठनों में भी काम करते हैं और उसके लिए वेतन लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या ये लोग सरकार से पूर्व अनुमति लेते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

1. श्री पी० एम० चक्रपाणी, न्यूज रीडर (अब त्याग-पत्र दे गए हैं)
2. श्री आर० एम० शर्मा, सम्पादक, आकाशवाणी पत्रिका समूह । (यह जानकारी केवल आकाशवाणी के स्थानीय कार्यालयों के बारे में है । शेष कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।)

(ग) श्री वी० एम० चक्रपाणी ने पूर्व अनुमति ले ली थी । परन्तु श्री आई० एस० शर्मा ने नही ली थी ।

(घ) श्री शर्मा ने पूर्व अनुमति नहीं ली, क्योंकि बी० बी० सी० से विश्व सेवा के अन्तर्गत प्रसारण के लिए उन्होंने जो दो संक्षिप्त कहानियां दी थीं, वे अविवादास्पद, गैर राजनैतिक और संहित्मिक थी । तथापि, समूचे प्रश्न पर सम्बन्धित विषयों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है ।

Radio Peace and Progress Broadcasts

*573. Shri T. P. Shah :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Onkar Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Indian leaders were criticised by Radio peace and Progress during the months of June and July, 1968;

(b) whether Government consider such broadcasts as anti-Indo-Soviet friendship;

(c) whether Government have sent any protest note to the Government of U. S. S. R. against such broadcasts during these months;

(d) if so, the details of the reply received thereto; and

(e) the reaction of Government to the broadcast to the effect that some senior leaders are the agents of C. I. A. ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Some of the broadcasts of the type referred to are obviously objectionable.

The attention of the Soviet authorities has been drawn towards them and their harmful nature from the point of view of Indo-Soviet relations. The Soviet Government have undertaken to give due consideration to our objections.

(e) The charge is patently wrong and the Government repudiate it.

रोडेशिया के साथ व्यापार सम्बन्ध

***574. श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ ने रोडेशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को नितान्त रूप से समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सुरक्षा परिषद् ने 29 मई, 1968 को एक प्रस्ताव पास करके दक्षिण रोडेशिया के खिलाफ व्यापक प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाए थे। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था। इन प्रतिबंधों में वाणिज्यिक, वित्तीय, आप्रवास और परिवहन संबंधी सुविधाएँ शामिल हैं।

इस प्रस्ताव के पास होने से भी पहले भारत ने दक्षिण रोडेशिया के साथ वाणिज्यिक, राजनयिक और अन्य प्रकार के संबंध तोड़ लिए थे।

भूतपूर्व सैनिकों को दी गई खराब मोटर-गाड़ियां

***575. श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई, 1968 तक भूतपूर्व सैनिकों की एसोसिएशन को कितनी खराब गाड़ियां दी गई; और

(ख) क्या सेवा-मुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अधिक संख्या को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार ऐसी मोटर गाड़ियों का कोटा बढ़ाने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) रक्षा के लिए बेकार घोषित, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोगी समितियों को पूर्वनिर्धारित कीमत पर बेची गई गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है:–

अवधि	**विमुक्त की गई बेकार रक्षा गाड़ियों की संख्या**
1966–67	15
1967–68	9
1968–69 (जुलाई 1968 तक)	एक भी नहीं

(ख) कोई कोटा नियत नहीं हैं, और इसलिए उसे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी नावों की वापसी

***576. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या वैदेशिक–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जल प्रांगण में अतिक्रमण के अभियोग में इस वर्ष जनवरी–फरवरी में भारतीय नौसेना द्वारा पकड़ी गई पाकिस्तानी नावें लौटा दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) पिछली जनवरी–फरवरी के दौरान जो 30 पाकिस्तानी जहाज पकड़े गए थे उनमें से दो के बारे में यह पाया गया था कि वे तस्करी की कार्रवाइयां करते थे और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाही की जा रही है। चूंकि बाकी जहाज इसी तरह की गैर-कानूनी कार्रवाइयां करते नहीं पाए गए थे, इसलिए यह फैसला किया गया है कि उनमें सवार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के खिलाफ अनधिकृत प्रवेश के लिए कानूनी कार्यवाही करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए।

नागालैंड में सैनिक कार्यवाही बन्द रखने के समझौते की अवधि में वृद्धि

***577. श्री वेदव्रत बरूआ :**
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री :
श्री एम० एस० ओवराय :

क्या वैदेशिक–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं ने सैनिक कार्यवाही बन्द रखने के समझौते की अवधि 31 जुलाई, 1968 से आगे बढ़ाने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह मनीपुर के कुछ क्षेत्रों पर भी लागू रहेगा;

(घ) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के सम्बंध में इस समझौते की अवधि को और न बढ़ाने के लिये कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) नागालैंड के राज्यपाल ने कार्यवाही स्थगित रखने के समझौते की अवधि 30 सितम्बर, 1968 तक के लिए बढ़ा दी है। इस समझौते के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; इसमें मणिपुर के तीन उत्तरी सब-डिवीज़न शामिल हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

T. V. for Amritsar

***578. Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Information and Baoadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people in Amritsar and its adjacent are as have television sets and in the absence of Indian television programmes, they see the programmes telecast from Lahore;

(b) if so, whether Government propose to consider the question of setting up a television station at Amritsar at an early date so that the people of that area are not misled by anti-Indian propaganda done by Pakistan through television; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. Two television sets have been licensed at Amritsar in August, 1968. Since only the programmes telecast from Lahore station can be received at Amritsar, it is presumed that they see those programmes on these sets.

(b) No proposal for setting up of a television station at Amritsar has been considered as yet. Nor is one likely to be considered in the near future.

(c) Lack of resources.

नेपाल-पाकिस्तान व्यापार मार्ग

***579. श्री रा० कृ० सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल तथा पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक भू-मार्ग बनाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मार्ग भारत सरकार द्वारा बनाया जायेगा; और

(ग) भारतीय प्रतिरक्षा पर इस मार्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है; लेकिन नेपाल और पाकिस्तान की सीमाएं निस्संदेह कहीं नहीं मिलती और इसलिए सीधे स्थल मार्ग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Difficulties of Tamil-Speaking Persons of Ceylon

*580. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that about seven thousand Tamil-speaking persons of Ceylon are facing great difficulties, because of the fact that only Sinhalese has recently been made the official language of Ceylon;

(b) whether any talks have been held with the Government of Ceylon for the protection of the interests of those people; and

(c) if so, the details and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R Bhagat) : (a) Government of India have seen reports about this matter.

(b) and (c) No, Sir. As the House will appreciate, the matter concerns the internal affairs of another country.

ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय

*581. श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चालीस वर्षों से लंदन स्थित "मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि" के कार्यालय को समाप्त करने के लिए सरकार मैसूर सरकार से अनुरोध करती आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) और (ख) : जी नहीं। बहरहाल, लंदन में मैसूर व्यापार एजेंट के कार्यालय के भविष्य के प्रश्न पर मैसूर राज्य सरकार तथा संवद्ध मन्त्रालयों के परामर्श से विचार किया जाना है ?

भारत-वर्मा पर्वतीय क्षेत्र में छापामार युद्ध की चीन की योजना

*582. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने वियतनाम के नमूने पर भारत-वर्मा पर्वतीय क्षेत्र को छापामार युद्ध स्थल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी किसी विशेष योजना के बारे में तो नहीं मालूम लेकिन उपद्रवी नागा तत्वों के साथ उनके सक्रिय षड्यन्त्र के विषय में जानकारी अवश्य है।

इन चीनी तत्वों की कार्रवाइयों का प्रतिकार करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं ।

जापान–भारत व्यापार सहयोग समिति

*583. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वैदेशिक–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान–भारत व्यापार सहयोग समिति तथा अन्य संयुक्त आयोगों की बैठक कब हुई थीं; और

(ख) यदि हां, उनमें हुई चर्चा का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत–जापान और जापान–भारत व्यवसाय सहकारी समिति की पहली सम्मिलित बैठक तोकियों में 12 सितम्बर से 20 सितम्बर, 1967 तक हुई थी ।

(ख) इस अवसर पर जारी किए गए वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, इसमें बैठक में हुए विचार–विमर्श का पूरा विवरण और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1801/68]**

Eligibility of Polytechnic Diploma Holders for admission to Indian Military Academy

*584. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of eligibility of two-year course Polytechnic Diploma holders for the Indian Military Academy examinations has been under the consideration of Government; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : A diploma examination in engineering, provided that the examination is taken after a course lasting not less than 2 years subsequent to Matriculation, and provided also that the examination is recognised by a State Government for employment under it, is already acceptable for admission to the Indian Military Academy.

Pillai Committee Report on I. F. S,

*585. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether all the recommendations of the Pillai Committee on the Indian Foreign Service have been accepted;

(b) if not, the recommendations which have been accepted and the manner in which they have been implemented; and

(c) the details of the recommendations rejected by Government ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) : Most of the major recommendations of the I.F.S Committee have been acce-

pted in principle. Those which fall within the administrative competence of the Ministry of External Affairs have been implemented or are in the process of implementation. In regard to others which require consultation with other Ministries and the Union Public Service Commission, such consultation is in progress and final decisions will be reached shortly.

(c) Among the major recommendations not accepted by the Ministry of External Affairs are (I) a proposal to revive the post of Secretary-General; (II) the transfer of married women officers to the IAS on an exchange basis; and (III) the borrowing on a regular basis, of officers of the IAS and other services.

चलचित्र उद्योग में विवाद

***586. श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्माताओं, वितरकों तथा प्रदर्शकों के बीच के विवादों तथा मत-भेदों का निपटारा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो एक ओर निर्माताओं तथा चलचित्र कलाकारों और दूसरी वितरकों तथा प्रदर्शकों के बीच के मत-भेदों को किन शर्तों पर दूर किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के बीच हुए करारों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1802/68]** ये प्रतियां इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा मुहैया की गई है ।

गांधी शताब्दी समारोह समिति

***587. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालयों के अधीन गांधी शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति कब बनाई गई थी तथा उसके सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं;

(ग) उस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं; और

(घ) अब तक इस समिति ने क्या काम किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की कार्यसमिति के पारि प्रस्ताव के अनुसार मार्च, 1966 में जन-सम्पर्क के साधन के लिये एक उपसमिति स्थापित की गई । एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें उपसमिति की सदस्यता बताई गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1803/68]**

(ग) उपसमिति का दिल्ली में 23 मार्च, 1966, 20 अक्टूबर, 1966 तथा 18 जून, 1968 को तीन बैठकें हो चुकी है ।

(घ) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विभिन्न विभागों के साथ विचार विमर्श करके उपसमिति ने गांधी शताब्दी समारोह की अवधि के दौरान गांधीजी के संदेश और शिक्षाओं का प्रचार करने के लिये एक विशाल योजनायें बनाई हैं। प्रसिद्ध संस्थाओं, गैर-सरकारी एजेन्सियों, समाचार पत्रों, प्रकाशकों फिल्म उद्योग आदि को संगठन में स्वन्इच्छा से भाग लेने के लिये तथा उन कार्यक्रमों को, जो गांधी शताब्दी के वर्ष में किये जाने हैं, चित्रित करने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इसने राज्य सरकारों से इसी प्रकार का कार्यक्रम तैयार करने के लिये प्रार्थना की है और कई राज्यों ने ऐसा किया है।

भारत द्वारा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

***588. श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग): सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Manufacture of Submarines

***589. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Defence be pleased to state the reasons for which Government are not in a position to manufacture submarines in India ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : The manufacture of submarines involves the acquisition of considerable specialised knowledge and the creation of special facilities which are not available in India at present.

उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्र का मानचित्र

***590. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सूखे की स्थायी हालत का स्थायी आधार पर समाधान करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने के लिये योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार से, उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्र के सम्बन्ध में एक मानचित्र तैयार करने के लिये कहा है, जो सरकार को पेश किया जायेगा;

(ख) क्या यह मानचित्र सरकार को पेश किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस मानचित्र का स्वरूप क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग): खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने उड़ीसा सहित तमाम राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि जिन क्षेत्रों में क्रमश: तीन वर्ष में, छः वर्ष में या दस वर्ष में एक बार बिल्कुल फसल नहीं होती या लगभग न के बराबर होती है उन दीर्घकालीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 'क' 'ख' और 'ग', श्रेणियों में वर्गीकृत करें। जिन क्षेत्रों को 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा उनमें से एक ऐसा क्षेत्र लेकर जो एक औसत जिले से अधिक न हो मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है। स्तरीय जल और खनिज साधनों, छोटी सिंचाई, भूमि तथा जल संरक्षण कार्यों, वन विकास तथा चरागाहों का विकास से सम्बन्धित स्कीमों पर काम करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा सरकार से उत्तर की इन्तजारी की जा रही है।

कार्य से हटाये गये व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिये वैकल्पिक कार्य

*591. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आयुध कारखानों से सेवा से हटाये गये व्यावहारिक प्रशिक्षणार्थियों को अभी भी वैकल्पिक रोजगार नहीं दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अभी भी रोजगार की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) उन्हें नये स्थापित किये गये आयुध कारखानों में रोजगार न देने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) ट्रेड एप्रेंटिसों को एप्रेंटिसिज एक्ट 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत फैक्ट्रियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की सम्पूर्ति पर प्रबन्ध पर एप्रेंटिसों को रोजगार देने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

(ख) ऐसे ट्रेड एप्रेंटिसों की संख्या, कि जिन्होंने प्रशिक्षण सम्पूर्ण कर लिया है परन्तु उन्हें रोजगार की पेशकश नहीं की जा सकी, 1114 है।

(ग) यद्यपि ऐसे एप्रेंटिसों के नाम नई फैक्ट्रियों को परिचालित किए गए हैं, रिक्त स्थानों के अभाव के कारण वह उन्हें खपा नहीं सके।

China-Pak. Violations of Indian Air Space

*592. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether China and Pakistan committed any violation of Indian air space during the last three months;

(b) if so, when and where;

(c) whether any protest notes were sent to the countries concerned; and

(d) the reaction of those countries thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : According to the information available to Government to date, there have been three violations of Indian air space by Pakistani aircraft during the last three months. These violations were in J. and K. and Punjab on 11th June, 10th July and 7th August 1968. There has been no violation of Indian air-space by Chinese aircraft during the above period.

(c) Protests were lodged with the Government of Pakistan for air space violations over areas other than J. and K. Complaint about air space violation in J. and K. was lodged with the U. N. Observers.

(d) Replies are awaited from the Government of Pakistan.

चीन द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों की उड़ानों के बारे में प्रबन्ध करना

*593. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों की उड़ानों के लिए उन देशों के साथ कोई प्रबन्ध कर रहा है, जिन्हें आकस्मिकता की स्थिति में संभवतः सिंकियांग रेगिस्तान से हिन्द महासागर की ओर छोड़ा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कांग्रेस अध्यक्ष के लिये राजनयिक पारपत्र

*594. श्री विश्वम्भरन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा को जापान का दौरा करने के लिये राजनयिक पारपत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को भी विदेश जाते समय राजनयिक पारपत्र दिये जाते हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) श्री एस० निजलिंगप्पा को राजनयिक पासपोर्ट उन नियमों के अनुसार जारी किया गया था, जो 18-12-1967 को प्रश्न संख्या 4754 के उत्तर में, सदन (लोकसभा) की मेज पर रखे गये थे ।

(ग) यह प्रश्न अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है ।

रेडियो पाकिस्तान तथा रेडियो पेकिंग द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*595. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पाकिस्तान तथा रेडियो पेकिंग भारत के विरुद्ध लगातार प्रचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विभिन्न सुलभ माध्यमों से इस प्रकार के प्रचार का प्रतिकार करने की निरन्तर कोशिश की जाती है। हम समझते हैं कि हमारी स्थिति आमतौर से समझी जाती है और चीनी तथा पाकिस्तानी रेडियो प्रसारणों की प्रचारात्मक प्रकृति की कलई खुल जाती है।

कश्मीर के बारे में पाकिस्तान–ईरान को संयुक्त विज्ञप्ति

*596. **श्री प्रम्बुचेजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री के० आर० गणेश :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जुलाई, 1968 को पाकिस्तान और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई विज्ञप्ति की ओर, जिसमें काश्मीर का उल्लेख किया गया है, भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है,

(ख) उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में ईरान सरकार के साथ बातचीत की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : हमने ईरान के भारत–स्थित राजदूतावास और तेहरान-स्थित विदेश कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया है।

जम्मू तथा कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की सेनाओं का जमाव

*597. **श्री वेंगलराया नायडू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जम्मू तथा काश्मीर राज्य के गिलगित क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति जमा कर रहा है और अभी हाल में एक पाकिस्तानी सैनिक विमान गिलगित में घटनाग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान भारतीय राज्यक्षेत्र में भी आ घुसा था;

(ग) भारतीय सेना ने विमान को क्यों नहीं गिराया; और

(घ) पाकिस्तान की युद्ध जैसी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गिलगित क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों के किसी असाधारण जमाव की सरकार को कोई सूचना नहीं है। इस क्षेत्र में हाल ही में दो पाकिस्तानी विमानों के ध्वस्त होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों के विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

काश्मीर विवाद के सम्बन्ध में पूर्वी यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण

***598. श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर विवाद के सम्बन्ध में पूर्वी यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों ने अथवा उनमें से किसी देश ने काश्मीर विवाद के बारे में कोई पृथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी पूर्वी यूरोपीय देश ने काश्मीर विवाद पर पाकिस्तान का खुलम-खुला समर्थन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो किस देश अथवा देशों ने ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ङ): मोटेतौर पर अलबानिया को छोड़ कर, सभी पूर्व यूरोपीय देशों ने काश्मीर पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है। लेकिन, काश्मीर के मामले में अल्बानिया का रुख पाकिस्तान का समर्थन करने का है।

नासिक में मिग विमान कारखाना

***599. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक के मिग विमान कारखाने की बहुत सी महत्वपूर्ण इमारतों और वर्कशापों के निर्माण में विलम्ब के कारण विमान बनाने के कार्यक्रम में विलम्ब हो गया है;

(ख) इन इमारतों को बनाने के ठेके किस फर्म को दिये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने निर्माण कार्य की सीधे निगरानी नहीं की; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य के निर्धारित तिथियों पर पूरा न होने के कारण यदि कोई राशि बसूल की जानी है तो वह कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। कुछ महत्वपूर्ण भवनों और शाप्स के निर्माण में विलम्ब हुआ है। तदपि उत्पादन कार्यक्रम में विलम्ब से उत्पादन शडूल पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) सर्वश्री गम्मान (इण्डिया) लिमिटेड।

(ग) जी हां। असैनिक निर्माण कार्य राज्य सरकार की ऐजेंसी की मार्फत हस्तगत किए गए हैं।

(घ) सैक्शन किए जाने वाली वापसी लौटाए जाने वाली राशियों की शर्त सहित लगभग 224900 रुपये।

नागा समस्या

*600. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में नागालैंड सरकार तथा आसाम और नागालैंड के राज्यपाल की सलाह से नागा समस्या का पुनरीक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया और छिपे नागाओं से निपटने के लिये अपनाई जाने वाली नीति के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के अंग रूप में इस प्रकार की सावधिक समीक्षा की जाती है।

(ख) सदन इस प्रकार की गोपनीय आंतरिक बातचीत का विवरण बताने की प्रत्याशा नहीं करेगा।

आकाशवाणी केन्द्र नागपुर के कर्मचारियों को तंग किया जाना

4673. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 और 1967-68 में आकाशवाणी के केन्द्र नागपुर के स्थानीय कर्मचारियों की शिकायत व्यक्त करने के कुछ कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में आकाशवाणी के कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। परन्तु कुछ उन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है जो दुर्व्यवहार और उच्छृंखल आचरण के दोषी पाए गए थे।

(ख) सवाल नहीं उठता । आकाशवाणी के कर्मचारियों के उचित हितों की सदा रक्षा की जाती है और उनकी शिकायतों पर सेहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

भूमि अर्जन के लिये मुआवजा

4674. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 20 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग जिले के जिन 92 परिवारों के निवास स्थानों की भूमि अर्जित की गई थी, क्या उन सब परिवारों को पहले से निश्चित किया गया मुआवजा इस बीच दे दिया गया है; और

(ख) जिन शेष 58 परिवारों को मुआवजा दिया जाना था, क्या उनका मुआवजा भी अन्तिम रूप से निश्चित करके उनको दे दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । आरंभिक मुआवजे की कुल राशि के 48058.71 रुपये और 2410.02 रुपये वार्षिक के हिसाब से किराये के रूप में मुआवजे की कुल राशि के 7460.64 रुपये स्थानीय राजस्व अधिकरणों द्वारा 92 कुटुम्बों को वितरित कर दिए गए है ।

(ख) शेष 58 कुटुम्बों के मुआवजे का अन्तिम निर्धारण अभी सक्षम अधिकरण द्वारा सम्पूर्ण नहीं किया गया, जिसे शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित करने को कहा गया है, और अन्तःग्रस्त राशिएं अदा कर देने के लिए भी ।

विज्ञापनों का प्रसारण

4675. श्री बाबू राव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के किन-किन केन्द्रों से विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है तथा ऐसा प्रसारण दिन में किस-किस समय किया जाता है;

(ख) शेष केन्द्रों में ऐसा प्रसारण कब से किया जाने लगेगा;

(ग) विज्ञापनों का प्रसारण करने की दरें कितनी-कितनी हैं तथा क्या ये दरें किसी विशेष केन्द्र की हैं अथवा सभी केन्द्रों की;

(घ) क्या विज्ञापन अभिकरणों को कमीशन दिया जाता है;

(ङ) क्या विज्ञापन कार्य के लिये 'टेप्स' स्वीकार किये जाते हैं; और

(च) जब से योजना आरम्भ हुई है तब से लेकर अब तक कितनी शुद्ध आय हुई है तथा किन-किन विज्ञापन अभिकरणों को कितना-कितना कमीशन दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अन्य सभी दिनों विविध भारती से सवेरे 7 बजे से रात्रि के 10 बजकर 40 मिनट तक, बम्बई, पूना और नागपुर से

प्रतिदिन कुल मिलाकर 75 मिनट की अवधि के विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं। शनिवार को प्रसारण का समय रात्रि के 11 बजकर 40 मिनट तक होता है।

(ख) क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक सेवा विविध भारती के अन्य केन्द्रों से भी चालू की जायेगी। इस सेवा का विस्तार अगले कुछ महीनों में कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में किया जायेगा।

(ग) विज्ञापनों की दरें दिन के समय, अवधि और अन्य कई बातों पर निर्भर करती हुई भिन्न-भिन्न होती हैं। रेट कार्ड, जिसमें सारा ब्यौरा होता है, वितरित किये जाते हैं और जिनको आवश्यकता होती है, वे रखते हैं। दरें अलग-अलग केन्द्र में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। बम्बई के लिये जो दरें निर्धारित हैं उनमें पूना और नागपुर से एक साथ प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन भी हैं।

(घ) मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेन्सियों को उनके द्वारा दिये गये विज्ञापनों के सम्बन्ध में पन्द्रह प्रतिशत का कमीशन दिया जाता है।

(ङ) जी, हां। विज्ञापन टेप किये गये रिकार्डों के रूप में लिये जाते हैं। ये टेप विज्ञापनदाताओं के द्वारा दिये जाते हैं।

(च) 1 नवम्बर, 1967 से 31 जुलाई, 1968 तक एजेन्सी कमीशन काटने के उपरान्त इन विज्ञापनों से 29,75,629 रुपए शुद्ध राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। 42 एजेन्सियों को कुल 5,12,036 रुपये कमीशन दिया गया। अलग-अलग एजेन्सियों से सम्बन्धित सूचना गोपनीय है।

Indian Army Major's attempt to Save Kumari Billy (Shri Phizo's Niece)

4677. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Major of the Indian Army, in order to save Kumari Billy, niece of Shri Phizo, the leader of hostile Nagas, ordered his troops not to open fire until Kumari Billy came out safe;

(b) whether it is also a fact that the Major was personally acquainted with Kumari Billy and if so, whether Government are aware of his activities;

(c) whether it is further a fact that the said Major was shot dead by the hostiles when he was going towards the camp of hostiles to escort back Kumari Billy; and

(d) whether Government have knowledge about any other Officer who is connected with any of the families of the hostiles ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d) : Government have information, that according to the information received by the Security Forces in Nagaland, a few girls with Tutu Rassino (daughter of Phizo) were supposed to be present in an underground Camp. The camp was raided by our Security Forces on 7th June,1968, but the hostiles disappeared and no confirmation could be obtained whether the girls had been actually present or not. One Army Major who was leading his battalion against the Underground Nagas to conduct a raid and not, as alleged, to resuce the so-called Kumari Billy, was killed in the encounter.

कनिष्ट सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता

4678. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ सैनिक कमीशन-प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिये मिलने वाला भत्ता उनकी सेवा निवृत्ति पर बन्द कर दिया जाता है, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा पूरी न हुई हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भत्ते को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी उनके बच्चों की शिक्षा पूरी होने तक जारी रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख): जे० सी० ओज़० और अवर श्रेणी सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, उनके शिक्षा वर्ष के मध्य में रिटायर होने या डिस्चार्ज हो जाने की हालत में शिक्षा वर्ष के अन्त तक देय है। वह अन्य निर्धारित शर्तों के पूरा होने की शर्त सहित देय है। मूल शर्तों में एक यह है, कि बच्चे रिटायर या डिस्चार्ज होने वाले सैनिक की रिहाईश के स्थान से अन्यत्र स्थान पर पढ़ते और रहते हों। वर्तमान रियायत में और अधिक छूट देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

रूस से सैनिक प्रतिनिधि मंडल

4679. श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से एक उच्च-शक्ति प्राप्त सैनिक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वही प्रतिनिधिमंडल भारत की अपनी निर्धारित यात्रा के पहले पाकिस्तान गया था; और

(ग) भारत में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य उत्पादन के लिये अणु शक्ति

4680. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये अणु-शक्ति का उपयोग किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। आण्विक विकिरण द्वारा फसलों के पौधों में सुधार लाना अणु शक्ति कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

(ख) चावल तथा मूंगफली के लिये अधिक फसलें देने वाली कई बढ़िया किस्मों के बीजों का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा आयोजित अखिल भारतीय समन्वित चावल तथा मूंगफली विकास परियोजनाओं द्वारा चावल की तीन किस्मों तथा मूंगफली की 8 किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है।

आकाशवाणी में गढ़वाली संस्कृति सम्बन्धी विशेषज्ञ निकाय

4681. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि आकाशवाणी में अपराध निरोध सप्ताह में गढ़वाल के बारे में निन्दात्मक टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) क्या गढ़वाल नव जागरण समिति ने कोई मांग की है कि आकाशवाणी को मंत्रणा देने के लिये गढ़वाल संस्कृति और लोकगीत सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति बनाई जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 10 मिनट की अवधि का एक गढ़वाली कार्यक्रम, जिसमें मुख्यतः गीत होते हैं, सप्ताह में दो बार "सैनिकों के लिए कार्यक्रम" के अन्तर्गत आकाशवाणी, आदि द्वारा प्रसारित किया जाता है। सरकार गढ़वाल की संस्कृति और लोकगीत के विशेषज्ञों की समिति स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि गढ़वाली कार्यक्रम पहले ही एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो गढ़वाली संस्कृति से अच्छी तरह विज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होता है, गढ़वाली कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रस्तुत करने में गढ़वाली संस्कृति और संगीत के विशेषज्ञों और ख्याति प्राप्त लेखकों की सहायता ली जाती है।

अपराध निरोध सप्ताह के बारे में 18 अप्रैल, 1968 को जो फीचर प्रसारित किया गया था वह गढ़वाली समाज या क्षेत्र पर कोई भी तोहमत लगाने के लिए नहीं था।

आकाशवाणी का वन्दना कार्यक्रम

4682. श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के बन्दना कार्यक्रम में प्रात: 6.45 से 7.30 बजे तक के बीच सप्ताह में दो बार मुख्य रूप से भजन गाये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उस कार्यक्रम में वेदों के बारे में प्राचीन भारत के भक्ति के गीत शामिल नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी के बन्दना कार्यक्रम में सप्ताह में एक बार अर्थात रविवार को दस मिनट की अवधि के लिये भजन गाये जाते हैं ।

(ख) जी, नहीं । वैदिक मंत्रों तथा वेदों के बारे में गीतों को सप्ताह में दो बार अर्थात वृहस्पतिवार तथा शनिवार को गाया जाता है । इसके अतिरिक्त बन्दना कार्यक्रम में संस्कृत के भक्ति गीत भी शामिल किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Publications in Connection With Gandhi Centenary Celebrations

4683. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of publications proposed to be brought out by his Ministry in connection with the Gandhi Centenary Celebrations in 1969; and

(b) when these publications would be published ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) 58 books in different languages covering 19 titles.

(b) Ten have already been released; 7 more are expected to be released by 2nd October, 1968 and the remaining publications would be ready during the Centenary Year.

Programme for Gandhi Centenary Celebrations from A.I.R. Darbhanga

4684. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the details of programmes to be broadcast from Darbhanga Station of the All India Radio in 1969 specially for border areas on the occasion of Gandhi Centenary Celebrations;

(b) the names of far-flung areas where troupes of Darbhanga Station have done, are doing and will do publicity work and whether any definite programme has been chalked out for them and the number of Maithili programmes broadcast from there; and

(c) whether Government propose to set up a small Informal Consultative Committee of Members of Parliament for special publicity work to be done from Darbhanga Station for border areas ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) There is no station as yet of All India Radio at Darbhanga and one is not likely to be come up by 1969.

(b) and (c) : Do not arise at this stage but will be considered when the station will be set up.

Performances by Drama Troups

4685. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number of performances given in 1967-68 by the Drama troupe selected for Uttar Pradesh and Bihar and names of Districts and the dates when these performances were held by them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : 103 performances were given during 1967-68 by the Departmental Drama Troupe of the Song and Drama **Division** for U.P. and Bihar. A statement giving details is placed on the table of the **House. [Placed in Library. See. No. Lt. 1804/68].**

Hindi Stenographers

4687. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with orders of the Ministry of Home Affairs;

(c) whether persons belonging to the said Castes and Tribes are working on all the posts reserved for them; and

(d) if not, the reasons therefor

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Two.

(b) to (d) : The question of reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the grade of Stenographers (including Hindi Stenographers) as a whole is under examination at present in the light of the latest orders of the Ministry of Home Affairs on the subject.

Hindi Stenographers in Planning Commission

4688. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in Planning Commission;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs;

(c) whether persons belonging to the said castes and tribes are working on all the posts reserved for them; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d) : Attention is invited to reply given to Unstarred Question No. 2917 answered on 4.12.1967. The position remains the same.

चौथी पंचवर्षीय योजना में छविगृह (सिनेमा)

4689. श्री हिम्मतसिंहका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में छविगृहों (सिनेमाओं) की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस योजना को क्रियान्वित करने में हाथ बटायेंगे और यदि हां, तो किस रूप में ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सिनेमा राज्य विषय है, अतः अभी तक कोई समन्वित योजना तैयार नहीं की जा सकी। तथापि, भारत सरकार विभिन्न समस्याओं जिनमें सिनेमा गृहों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न भी शामिल है, को हल करने के लिए एक समन्वित निकाय गठित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

कीटाणु युद्ध के बारे में ब्रिटेन द्वारा अनुसन्धान

4690. श्री कंवरलाल गुप्त : श्री रामगोपाल शालवाले : श्री शारदानन्द : श्री टी० पी० शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन सरकार कीटाणु युद्ध के बारे में अनुसन्धान कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में इस अनुसन्धान का विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका विरोध किया है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) जी नहीं।

Broadcasts on Agricultuare

4691. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the speeches and talks on agriculture broadcast by A.I.R. are also got published in some newspapers ;

(b) if so, the names of such newspapers ;

(c) if not, the arrangements proposed to be made in this regard to enable the farmers to read and consult them, as and when needed ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) Yes, Sir. Important talks on agriculture are made available to such newspapers and journals as have evinced interest in them.

(b) The following newspapers have published some of the talks, in gist form, in recent months ; 'Swatantra Bharat', Lucknow Mail (Hindi), 'Pioneer' (English), 'Tarun

Bharat' (Marathi), 'Dina Malar' (Tamil), 'Samyukta Karnatak,' 'Vishal Karnatak' and 'Vishvavani' (Kannada).

(c) Many state Governments have made arrangements to publish important talks on agriculture and allied subjects, in whole or in gist form, in their journals devoted to agriculture and rural developmen such journals, usually, are available in Panchayats and rural libraries.

Civilian Employees in Meerut Cantonment

4692. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of civilians in meerut cantonment, whose houses are being got vacated for military requirements and the details of these requirements

(b) whether these requirements could not be met by thousands of acres of available fallow land and farm land ;

(c) whether Government have formulated any rules under which houses of the civilians should not be got vacated when other alternative sites are available to meet the requirements ; and

(d) if so, the reasons for not followings these rules in the case of Meerut Cantonment ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Seven Old Grant bungalows occupied wholl or partly by civilians and covering a total area of nearly 20 acres are being resumed to provide domestic accommodation for military personnel.

(b) Such land in Cantonments is obviously more suitable for the purpose in view

(c) and (d) : Each case of resumption is carefully considered on merits and availability of alternative sites is also taken into account.

Babugarh Farm, Meerut

4693. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the research work in regard to potato development in Babugarh farm in the Meerut District is being conducted by his Ministry ;

(b) if so, the progress made so far in this regard ;and

(c) if not, the names of the persons to whom the land of the said farm has been leased along with the area leased separately and terms and conditions therefor as also the number of years for which the land has been leased ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : There is an Equine Breeding stud of the Army located at Babugarh where farming operations are undertaken. No research work in regard to potato development is done on the land attached to the Stud. Nor is any land of the Stud leased out.

प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक मजदूरों की छुट्टी

4694. **श्री स०मो०बनर्जी** : क्या प्रति-रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक मजदूरों को छुट्टी देने के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सर्वसम्मत सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : 'अर्जित छुट्टी' के अतिरिक्त, रक्षा संस्थानों में औद्योगिक कार्मिकों की छुट्टी से संबंधित द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करदी गई है। जहां तक अर्जित छुट्टी से संबंधित सिफारिश का प्रश्न है, सरकार द्वारा 1960 में यह फैसला किया गया था कि वह जायंटा कन्सल्टेटिव मशीनरी के राष्ट्रीय परिषद् के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यापक इशु अन्तर्ग्रस्त था। परिषद ने इस पर अपनी 11 और 12 जुलाई, 1968 की बैठकों में विचार किया गया था। (1) छुट्टी की हकदारी निर्धारित करने के लिये प्रक्रिया को आसान बनाने और (2) वेतन आयोग की सिफारिशों में परिषद् की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में एक विस्तृत नोट परिचालित किया गया था। चूंकि कर्मचारीगण का पक्ष प्रस्ताव के आशयों पर पूरी तरह विचार करने के लिए कुछ समय चाहता था, इस मद का आगे विचार करना स्थगित कर दिया गया था।

Pak-China War Preparations against India

4695. **Shri Parkash Vir Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China and Pakistan are making war preparation in a planned manner on Assam Nagaland North-East Frontier Agency borders;

(b) whether they have also improved their defence position considerably ; and

(c) whether the maps and other documents seized from rebel Nagas recently also disclose this fact ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : Pakistan's close relations with China, especially in the military field, are well-known. Chinese troops continue to remain in strength across our borders. They have also improved their logistic capability by construction of new roads and improvement of the existing ones. Pakistani military preparations including the build-up of Pakistani armed forces continue. These constitute a threat all along the border and it would not be prudent to deal with it in any particular sector in an isolated manner. The documents captured recently from the Naga hostiles do not relate to the military preparations of Pakistan or China.

कलकत्ता में रूसी वाणिज्य दूतावास

4696. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के कथित निर्णय के विरुद्ध दक्षिण पन्थी विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व में, जिसने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, छात्रों द्वारा जुलाई, 1968 के दूसरे सप्ताह में कलकत्ता स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास पर किये गये हमले की ओर रूसी दूतावास के अधिकारियों ने उनके मंत्रालय के प्रोटोकाल डिवीजन का ध्यान आकर्षित कराया है और ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक- कार्य मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार ने खेद प्रकट करते हुए सोवियत राजदूतावास को यह सूचित कर दिया है कि दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का खास ध्यान रखते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संबद्ध राज्य सरकारों को हिदायत दे दी गई है कि वे इस तरह की कानून विरोधी कार्रवाइयों को रोकने के लिए आवश्यक ऐहतियाती कदम उठाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए हैं और उनके खिलाफ दफा 148/427 के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया है।

तिब्बत में चीन द्वारा प्रचार

4697. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन तिब्बत में यह प्रचार कर रहा है कि भारत दलाई लामा के साथ सांठगांठ करके तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा ; और

(ख) यदि हां, तो इस भारत विरोधी प्रचार का खण्डन करने के लिये सामान्य रूप से वरोध पत्र भेजने के अलावा सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशि-ककार्य मंत्री श्रीमती इन्दरा-गांधी : (क) जी नहीं। सरकार की सूचना के अनुसार तो चीन का प्रचार इस आशय का रहा है कि दलाई लामा तिब्बत नहीं लौटेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ईराक में सैनिक क्रान्ति

4698. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1968 को एक रक्तहीन सैनिक क्रान्ति में राष्ट्रपति अब्दुल रहमान आरेफ की हुकूमत समाप्त कर दी गई थी और मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर को ईराक का राष्ट्रपति चुना गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ईराक की इस नई सरकार को मान्यता दे दी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : शायद माननीय सदस्य का आशय उस सत्ता – परिवर्तन से है जो ईराक में 17 जुलाई, 1968 को हुआ था।

(ख) : जनरल अहमद हसन-अल-बकर की अध्यक्षता में ईराकी सरकार को भारत सरकार ईराक की वैद्य सरकार मानती है । चूंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन ही है इसलिए ईराक की नई सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना की प्रहार शक्ति

4699. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की प्रहार शक्ति में पर्याप्त प्रहार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह पाकिस्तान की तुलना में कैसी है ;

(ग) क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आई०ए०एफ० अन्तरिक्ष में उत्कर्षता बनाए हुए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) वायु सेना का विकास निरन्तर पुनरीक्षण अधीन है ।

"सैनिक समाचार" का मुख्य सम्पादक

4700. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री 28 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैनिक समाचार" के मुख्य सम्पादक के पद पर इस समय आसीन अधिकारी की नियुक्ति की तारीख को उसकी अर्हताएं और अनुभव क्या थे ;

(ख) इस पद के लिये इन के साथ यदि किन्हीं अन्य अधिकारियों के मामलों पर विचार किया गया था तो उनकी अर्हतायें और अनुभव क्या थे ;

(ग) क्या यह अधिकारी शीघ्र ही सेवा निवृत हो रहा है और यदि हां, तो क्या उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करने का कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या इस पद हेतु असैनिक पदधारियों के लिये इस बीच कोई अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वह अधिकारी नियमित सेवा अधिकारी है । वह स्नातक है तथा कई साहित्यक पुस्तकों के लेखक हैं, उन्हें सेवा तथा नौसेना दोनों के कार्य का अनुभव है ।

(ख) किसी अन्य सेवा अधिकारी के मामले पर विचार नहीं किया गया था ।

(ग) 31 मार्च, 1969 को वह अधिकारी 52 का हो जायेगा और तब वह सेवा-निवृत होगा । उसके स्थान पर नियुक्ति का निर्णय उचित समय पर किया जायेगा ।

(घ) इस पद के लिए असैनिक पदधारियों के लिये अर्हतायें निर्धारित करने का प्रश्न अभी विचारधीन है।

प्रतिरक्षा मंत्री को रूस का आमंत्रण

4702. **श्री अम्बुचेजियान :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नि० ० लास्कर :
श्री के०आर० गणेश :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने उन्हें रूस आने के लिये पुनः निमन्त्रण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो वह कब तक उस देश का दौरा करेंगे ; और

(घ) रूस सरकार के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत होने की सम्भावना है ;

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

(घ) ऐसे मामलों में कोई कार्य-सूची निर्धारित नहीं की जाती है।

ताइवान के साथ राजनयिक संबंध

4703. **श्री प्र०न० सोलंकी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का विचार ताइवान के साथ राजनियक संबंध स्थापित करने का है ;

(ख) : यदि हां, तो कब ; और

(ग) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : ताइवान कोई राज्य नहीं है और उसको किसी भी अन्य राज्य ने इस रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है।

चीन के कब्जे में भारतीय राज्य-क्षेत्र

4704. **श्री प्र०न० सोलंकी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय राज्य-क्षेत्र को चीनी मानचित्रों और दस्तावेजों में अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया है ;

(ख) क्या चीन ने किसी अन्य देश को यह भारतीय क्षेत्र पेश करने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी हां ।

(ख) कराकोरम दर्रे के पश्चिम में, सिंकियांग और काश्मीर के बीच के सीमांत के संबंध में, चीन ने पाकिस्तान सरकार के साथ अवैध समझौता कर लिया है । तथाकथित समझौते के अनुसार, 2000 वर्ग मील से अधिक भारतीय प्रदेश चीन को दे दिया गया है । इस क्षेत्र में चीनी दावे के बाकी अंश को, इस अवैध समझौते की शर्तों के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को दे दिया है ।

(ग) चीन और पाकिस्तान के बीच हुए इस अवैध समझौते को भारत सरकार मान्यता प्रदान नहीं करती, क्योंकि भारत के प्रदेश के संबंध में समझौता करते समय दोनों ही पक्षों को कोई वैध अथवा संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था । हमने चीन और पाकिस्तान दोनों सरकारों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

हनोई को भारतीय राजदूत

4705. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई में कोई भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कार्यभार संभाल लिया है और यदि हां, तो कब ;

(ग) इस पद को इतनी लम्बी अवधि तक रिक्त रखने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या इस नियुक्ति के परिणाम स्वरूप वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य और भारत के बीच वाणिज्य तथा व्यापार भी पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हां । एक नए प्रधान कौंसल की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने 2 अगस्त, 1968 को हनोई में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

(ग) यह पद केवल 1 जून, 1968 से 1 अगस्त 1968 तक खाली रहा । जब कोई अदल-बदल होती है तो इस प्रकार थोड़े काल के लिए पद का खाली रह जाना कोई असाधारण बात नहीं है, और मिशन के कार्य की देखभाल अन्य अधिकारी करते रहते हैं ।

(घ) नए प्रधान कौंसल की नियुक्ति सामान्य प्रकार से की गई है । भारत और वियतनाम लोक गणराज्य के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का प्रश्न एक अलग मामला है जिसको बराबर ध्यान में रखा जा रहा है ।

लेह जाने वाले भारतीय वायु सेना के लापता विमान की खोज

4706. श्री बलराज मधोक :
श्री स्वैल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमीन पर अच्छी तरह खोज करने के बावजूद, लगभग एक सौ अधिकारियों और जवानों को लेह जाने वाले भारतीय वायु सेना के एक विमान का, जो 7 फरवरी 1968 से लापता था, अभी तक कोई अवशेष नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अभागे विमान के चीनी राज्य क्षेत्र में भटक जाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में चीन की सरकार से कोई पूछताछ की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने विमान के भटक कर चीनी क्षेत्र में चले जाने की संभावना को नहीं माना ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय मिशनों में नियुक्त भूत-पूर्व संसद् सदस्य

4707. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक दल ने उन भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम तथा संख्या क्या है, जिन्हें सरकार ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में नियुक्त किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस समय निम्नलिखित भूतपूर्व संसद-सदस्य राजनीतिक पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

	नाम	किस दल से संबद्ध
1.	राजमान्य सवाई मानसिंह, जयपुर महाराज, स्पेन में राजदूत	स्वतंत्र
2.	श्री राजबहादुर, नेपाल में राजदूत	कांग्रेस
3.	श्री ए०एम० टामस, आस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर	कांग्रेस
4.	श्री ओ०वी अलगेसन, इथोपिया के लिये मनोनीत राजदूत	कांग्रेस

प्रत्यय-पत्र (एक्रेडिटेशन) सम्बन्धी नियम

4708. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना विभाग तथा केन्द्रीय प्रत्यायन समिति ने पत्रकारिता के अनुभव की अवधि सम्बन्धी प्रत्यय-पत्र नियमों में ढील दी है ;

(ख) यदि हां, तो अपवाद के मामलों की सूची क्या है ;

(ग) क्या एक महिला को, जो अपने कार्यकाल के आरम्भ से केवल व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती रहती है, बिना किसी पत्रकारिता से अनुभव के प्रत्यय-पत्र दिया गया है ;

(घ) क्या बर्मा शेल कुकिंग गैस स्टोर में पूरा दिन कार्य करने वाले एक कर्मचारी को 'फीचर संडीकेट' की ओर से प्रत्यय-पत्र दिया गया है ; और

(ङ) क्या 'आरबिट' साप्ताहिक के व्यापारिक मैनेजर भी प्रत्यय-पत्र प्राप्त संवाददाता हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। प्रत्यायन के लिए पत्रकारिता के अनुभव की अवधि में ढील देने के बारे में केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा दिया गया एक सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) : जी, नहीं । अपनी सिफारिश को अन्तिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति यह तसल्ली कर लेती है कि प्रत्यायन लेने वाला श्रमजीवी पत्रकार है और पूरे समय के लिये संवाददाता के रूप में नौकर है ।

(घ) : सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । पूछताछ की जा रही है ।

(ङ) : जी, नहीं ।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधि

4709. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचार पत्रों के उन मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों जो विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय और समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में कार्य के लिए जाते हैं उनकी एक सूची सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने समाचार-पत्र सूचना ब्यूरो (पी० आई० बी०) को ऐसे समाचार पत्र प्रतिनिधियों की एक सूची दी है जो उद्योग भवन के सम्पर्क एजेन्टों का काम करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी

4710. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त सेना अधिकारियों की छंटनी कर दी गई हैं, जिन्हें सर्वे आफ इण्डिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उनके प्रशिक्षण पर काफी धन व्यय हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें असैनिक अधिकारियों के रूप में रखने की बांछनीयता पर विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उनके प्रशिक्षण पर उनके वेतन और भत्तों तथा अन्य साधारण प्रशिक्षण खर्चों के रूप में खर्चे में उठा है, जो साधारणतः दो वर्षों के लिये होता है ।

(ग) जी हां । रक्षा मन्त्रालय के कहने पर उन्हें सर्वे आफ इण्डिया में असैनिक तौर पर खपाने का प्रश्न, गृह मन्त्रालय और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह मशविरे सहित शिक्षा मन्त्रालय द्वारा विचाराधीन है ।

छिपे नागाओं के साथ बातचीत

4711. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा छिपे नागाओं के बीच बातचीत के पुनः होने की कोई संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या संभावनायें हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जब तक छिपे नागा बाहर से हथियारों का आयात करना और 'स्वतन्त्रता' के लिए बराबर मांग करना नहीं छोड़ेंगे तब तक निकट भविष्य में इस प्रकार की वार्ता करने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चाटीवू द्वीप

4713. श्री बाबू राव पटेल : **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री बल राज मधोक : **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाक स्टेट में कच्चाटीवू द्वीप के बारे में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की श्रीलंका के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसका स्वरूप क्या है;

(ख) इस द्वीप पर श्रीलंका द्वारा किये गये यथार्थ दावे की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस विवाद को हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट करने का विचार है जैसा कि कच्छ के मामले में किया गया था;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) इस समय इस द्वीप पर किस देश का कब्जा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) ; (क) से (घ) कच्चा टिवू के बारे में राजनयिक सूत्रों के जरिये प्रारम्भिक बातचीत हुई किन्तु इस समय इस गोपनीय बातचीत के बारे में कुछ बताना अथवा इसके समाधान के बारे में अटकलें लगाना उचित न होगा।

(ङ) इस द्वीप पर किसी का प्रशासन नहीं है। सामान्यतः इस पर कोई राहत भी नहीं है, केवल सैंट एंथोनी पर्व के अवसर पर भारत और श्रीलंका के यात्री आ जाते हैं।

अफ्रीकी एशियाई मुस्लिम देशों का इस्लामिक ब्लाक

4714. श्री बाबू राव पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप अफ्रीका एशियाई मुस्लिम देशों का एक ब्लाक बनाया गया है और उन्होंने आपस में विशेषकर, तुर्की ईरान, सउदी अरब तथा पाकिस्तान ने आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक ग्रुप सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) क्या अमरीका सहायता से इस इस्लामी ब्लाक द्वारा पाकिस्तान और तेहरान के बीच बनाये जा रहे राजपक्ष से भारत के लिए पैदा होने वाले खतरे से भारत सरकार परिचित है; और

(ग) इन इस्लामी राष्ट्रों की गुप्त गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अफ्रीकी-एशियाई मुस्लिम देशों का किसी न किसी रूप में इस्लामी गुट बनाने के प्रस्ताव समय-समय पर रखे गए हैं, परन्तु फिलहाल तो ऐसा मालूम होता है कि इस दिशा में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं हो रहा है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने किसी गुप्त सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान और तेहरान के बीच अमरीका की सहायता से अफ्रीकी-एशियाई मुस्लिम देशों द्वारा एक नई सड़क का निर्माण हो रहा है। तथापि, ऐसी खबर तो मिली है कि ईरानी सीमा पर मीरजावा सड़क के साथ लाक चौकी (क्वेटा) को मिला देने का कार्य, क्षेत्रीय विकास सहयोग (आर सी डी) के तत्वावधान में चल रहा है। 1964 में, आर सी डी की मन्त्री परिषद इस बात पर सहमत हो गई थी कि

करांची और ईरानी सीमा के बीच सड़क निर्माण करने के काम को पाकिस्तान सरकार संभाल ले और 1968 तक पूरा कर दे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा सड़क संगठन में इंजीनियरों के रिक्त स्थान

4715. श्री बाबू राव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक द्वारा 19 मई, 1968 को दार्जीलिंग में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा सड़क संगठन में इंजीनियर के 2,000 रिक्त स्थान हैं परन्तु जो उम्मीदवार उपलब्ध हैं वे प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये निर्धारित स्तर पर पूरे नहीं उतरते;

(ख) देश में इस समय उपलब्ध 6,000 बेरोजगार इंजीनियरों को नियुक्त न करने और उन्हें अग्रेतर प्रशिक्षण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिये इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) दारजीलिंग में 19-5-1968 को इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियरिंग के तत्वाधान में आयोजित एक परिसंवाद में विचार विमर्श के बीच डी०जी०बी०आर० ने कहा था कि इंजीनियरी सेविवर्ग के लिए रक्षा संगठन और सीमा सड़क संगठन में 2000 रिक्त स्थान विद्यमान हैं । रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिये युवा इंजीनियरों में से पर्याप्त प्रतिकार प्राप्त नहीं हो रहा ।

(ख) और (ग) रक्षा और सीमा सड़क संगठनों में प्राप्य रोजगार अवसरों का समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया जाता है, और भर्ती किए गए व्यक्तियों को, उन कामों के योग्य बनाने के लिए कि जिनके लिए वह भर्ती किए जाते हैं, उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध किया जाता है ।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम पर चलचित्र

4716. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 1857 के महान स्वतन्त्रता संग्राम पर आधारित एक चलचित्र बनाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

Sino-Indian Dispute

4717. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) Whether Government are considering a fresh proposal to solve Sino-Indian dispute; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a)and(b) Government of India have stated on numerous occasions that they are always willing to settle outstanding issues on a basis that is consistent with India's territorial integrity, sovereignty as well as national honour and dignity. Any initiative by the Government of India could only be fruitful if the Chinese Government were to show a sirmilar inclination.

Indian Emigrants Abroad

4718. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to safeguard the interests of Indian emigrants abroad;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to set up some Information Centres in India with a view to safeguarding their interests; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Yes, Sir. The interests of skilled workers like artisans. shop Assistants, domestic servants etc. going abroad are safeguarded under the Emigration Act, 1922 (67 of 1922.) As regards the other emigrants, our missions abroad take necessary steps for the welfare of the emigrants.

(c) There are offices of Protectors of Emigrants at Calcutta, Bombay and Madras and Public Relations Officers are attached to the offices of Regional Passport Officers in the same cities.

(d) The Government of India maintains diplomatic and other representation with all countries where people of Indian origin are settled in large numbers, and endeavours through these missions to render them all possible assistance.

एशिया महाद्वीप में विदेशी सैनिक अड्डे

4719. डा० रानेन सेन : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व के विभिन्न भागों में स्थित विदेशी सैनिक अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का कारण समझती है;

(ख) एशिया महाद्वीप में इस समय ऐसे कितने अड्डे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में ठीक-ठीक सूचना सुलभ नहीं है।

(ग) और (घ) एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में विदेशी सैनिक अड्डों की समाप्ति का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा के तेईसवें नियमित अधिवेशन की अस्थायी कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है।

आयोजन के बारे में पोलैंड का तरीका

4720. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार चतुर्थ पंच वर्षीय योजना बनाते समय पोलैण्ड के अर्थ शास्त्री श्री माइकल कालिकिस के आयोजन के तरीके को अपनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में, हमारे आयोजकों द्वारा प्रोफेसर माइकल कालिकिस सहित प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा निष्पादित तरीकों को ध्यान में रखा जाता है। वस्तुत: वे उन तरीकों और तकनीकों को अपनाते हैं जो उनके विचार के अनुसार हमारी स्थितियों तथा हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये सर्वोत्तम है।

कच्छ सत्याग्रह से सम्बद्ध संसद सदस्यों के बारे में समाचार

4721. श्री शिव चन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ सत्याग्रह के दौरान किन संसद सदस्यों के नाम आकाशवाणी से प्रसारित किये गये थे; और

(ख) किस समय और कितनी बार उन्हें प्रसारित किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है, यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीय लोग

4722. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारत मूलक लोग तथा भारतीय लोग भारत से बाहर (देशवार) गए हुए हैं, और किन-किन देशों को;

(ख) उन देशों में उनके प्रव्रजन और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में उनकी विशिष्ट समस्याएं क्या-क्या हैं;

(ग) उन भारतीयों को अपनी समस्याएं हल करने में सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसमें उसे कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सुलभ सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1805/68**]।

(ख) अन्य समस्याओं के साथ साथ कभी कभी इस बात की भी समस्या खड़ी हुई है कि जिन लोगों ने स्थानीय नागरिकता नहीं ली, वे निरन्तर वहां रहते रहे, और अपने अपने धन्धों में लगे नहीं रह सके।

(ग) इस दिशा में कदम समस्या विशेष की प्रकृति के अनुसार उठाए जाते हैं और एक देश में उठाए गए कदम दूसरे देश से भिन्न होते हैं। सहमत समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है। जब सम्भव होता है, लोगों को उचित सलाह भी दी जाती है। जब जरूरत पड़ी है, ठोस सहायता भी प्रदान की गयी है। सम्बद्ध सभी देशों से विविध स्तरों पर और उनके राजनयिक सूत्रों के द्वारा बातचीत की गई है;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

'परिवार' फिल्म के लिये ऋण

4724. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी ; क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म वित्त निगम ने फिल्म 'परिवार' के उत्पादकों को ऋण पूंजी या अन्य तरीके से विभिन्न सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है और उसके नियम और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस धन राशि के कब तक वापिस लौटाये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते।

नोवोस्ती प्रेस सूचना विभाग करार

4725. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना विभाग से हुए समझौते के अन्तर्गत नोवोस्ती को प्रेस सूचना विभाग से प्राप्त सभी सामग्री को रूस में मुद्रित तथा परिचालित करने का अधिकार है और उसे इस परिचालन की सूचना प्रेस सूचना विभाग को देना आवश्यक है।

(ख) क्या यह सच है कि प्रेस सूचना विभाग द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री की नोबोस्ती द्वारा जांच की जा रही है और उस सामग्री में से कुछ ही भाग को परिचालित किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेस विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी नोबोस्ती ने भारतीय सामग्री के परिचालित किये जाने के बारे में वांछनीय सूचना नहीं दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का प्रस्ताव नोबोस्ती करार को समाप्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) करार के अन्तर्गत 'पत्र सूचना कार्यालय' ए० पी० एन० को विशेष लेख, सन्दर्भ सामग्री और चित्र देगा ताकि यह सोवियत संघ में छपने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं को जो इसमें रूचि रखते हों, वितरित की जा सके और सन्दर्भ के भी काम आ सके। वितरण की बाध्यता के कारण ए० पी० एन० के उपर इस सामग्री के अनुवाद करने, प्रति छापने और पत्रों को भेजने की जिम्मेवारी आ जाती है। करार के अन्तर्गत ए० पी० एन० पत्र सूचना कार्यालय को सामग्री के वितरण के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, परन्तु वास्तव में ए० पी० एन० ने पत्र सूचना कार्यालय को जनवरी, 1968 में 900 सोवियत समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को सामग्री वितरण करने के बारे में सूचित किया।

(ख) जैसी कि करार में व्यवस्था है, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई सामग्री सोवियत समाचार पत्रों में वितरित करने और सन्दर्भ के लिये प्रयोग की जाती है और ये उन पत्रों को वितरित की जाती है जो इसमें रुचि रखते हैं।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री जो जनवरी, 1968 में वितरित की गई थी उसके अतिरिक्त कुछ कतरने अप्रैल में प्राप्त हुई जिनमें ये सामग्री छपी थी और सूचना की प्रतीरक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक कारखाने

4726 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में योजना आयोग के साथ हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मुलाकात के दौरान ये मांगें की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना होना चाहिये और इस सम्बन्ध में आयोजन सोद्देश्य होना चाहिये न कि व्यक्तिनिष्ठ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) यह उपयक्त होगा यदि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक

उर्वरक कारखाना हो, इस प्रकार का एक सुझाव योजना आयोग से बातचीत के दौरान एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था। परन्तु उर्वरक परियोजनाओं सहित औद्योगिक परियोजनाओं का स्थान निर्धारण उद्दिष्ट तकनिकी आर्थिक आधारों पर किया जाता है। अतः इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार का वस्तुपरक निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां की ब्रिटेन यात्रा

4727. श्री एस० आर० दामानी :
श्री श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां ने पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी हाल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना पर ब्रिटिश सरकार का क्या रुख है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) । (क) अखबारों की खबरों के अनुसार यह उम्मीद थी कि प्रेसिडेन्ट अय्यूब खां लंदन में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के साथ अपनी बातचीत में इस उप महाद्वीप में तथाकथित सैनिक सन्तुलन की बात उठाएंगे।

(ख) हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जैसा कि सदन में कई मौकों पर बताया जा चुका है भारत सरकार यह अनुभव करती है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को मजबूत करने के लिए विदेशी सहायता से इस उप महाद्वीप में तनाव पैदा होता है और भारत के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य न करने में पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिलता है।

Ideology

4728. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number and names of the persons among the present staff of A. I. R. Delhi who are Inclined towards Communist ideology ;

(b) whether Government have conducted any secret inquiry in this connection: and

(c) if so, the outcome thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Government have no information that any member of the Staff of All India Radio, Delhi is inclined towards Communist ideology.

(b) and (c) There was no occasion to conduct an enquiry.

आकाशवाणी केन्द्र नागपुर के कर्मचारियों को मुअत्तल करना तथा नौकरी से निकालना

4729. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में आकाशवाणी केन्द्र नागपुर के कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया अथवा नौकरी से निकाला गया; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1966–67 कोई नहीं।

1967–68

मुअत्तल—8 (8 में से 2 को फिर से नौकरी पर रख लिया गया है। 3 को बर्खास्त कर दिया गया है और शेष 3 के विरुद्ध मामलों पर अभी निर्णय किया जाना है।

नौकरी से

निकाला गया—1 (उनको केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों के अन्तर्गत नौकरी से निकाला गया।

(ख) मुअत्तल—बर्खास्त किये जाने के कारण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1806/68]।**

Madhya Pradesh Development Schemes

4730. Shri G. C. Dixit : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the details of the development schemes of Madhya Pradesh included in the First, Second and Third Five Year Plans;

(b) the number and names of such schemes which have been completed;

(c) whether all these development schemes were completed in time; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Attention is invited to reply given to Unstarred Question No. 9183 answered on 1 st May, 1968.

(c) and (d) Information is still awaited from the State Government.

Fourth Plan For Madhya Pradesh

4731. Shri G. C. Dixit : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Finance Commission has suggested for a cut to the tune of Rs. 81 crores in the provisions approved for the Fourth Plan of Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Madhya Pradesh Government have written to the Central Government that no cut should be made in the provision approved for the Fourth Plan as that State is a backward and undeveloped State; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir, Draft Fourth Plan proposals have yet to be received from the State Gnvernment.

(b) and (c) Do not arise,

पाराद्वीप में स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान

4732, श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान को वहां से हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक वर्तमान नौसैना प्रशिक्षण संस्थान से विशाखापत्तनम से पारदीप ले जाने का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मर्मागोम्रा में नौसैनिक अड्डा

4733. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मर्मागोआ में एक नौसैनिक अड्डा बनाने का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मर्मागोआ में नौसैनिक सुविधाओं के विकास का प्रश्न नौसैना तथा अन्य प्रयोजनों के लिये पत्तन के समेकित विकास का अंग है । प्रतिरक्षा तथा नौवहन मन्त्रालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये धन

4734. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में देश की पूर्वी तथा अन्य सीमाओं पर सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ;

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कैपिटल खर्चे के अन्तर्गत, चालू वित्तीय वर्ष में सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल, देश की पूर्वी तथा अन्य सीमाओं में सीमा सड़कों के विकास के लिए अलाट करने के लिए 45.52 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की गई है ।

चीनी सैनिकों द्वारा नाथुला पर भारतीय सैनिकों पर आक्रमण

4735. श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीनी सैनिकों ने नाथुला के निकट भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार

4736, **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या 'समाचार भारती' तथा 'हिन्दुस्तान समाचार' नामक समाचार एजेन्सीयों ने अपने कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है;

(ख) सरकार ने अब तक एजेंसियों को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ग) समाचार भारती द्वारा अपने अंशधारियों की सामन्य बैठक न बुलाने और दो वर्ष से अधिक समय से अपने वार्षिक खाते न प्रस्तुत करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) समाचार भारती एक बहु-भाषी समाचार एजेन्सी है, जिसने अपना कार्य 1966 में प्रारम्भ किया। यह अभी तक हिन्दी मराठी तथा गुजराती भाषाओं में समाचार देती है । इसकी योजना यह है कि सारे देश में देवनागरी में समाचार भेजे जाएं । देवनागरी टेलीप्रिन्टरों की उपलब्धि होने पर इस योजना की कार्यान्वित होने की सम्भावना है । हिन्दुस्तान समाचार जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा आठ अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार देती है, एक व्यापक संगठन है जो सभी राज्यों की राजधानी और प्रसिद्ध शहरों में स्थित है तथा टेलीप्रिन्टर सर्किट में जुड़ा हुआ है, इस ऐजन्सी ने इस वर्ष जनवरी से एक फीचर सेवा चालू की है और इसकी सेवा से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) सरकार ने अभी तक समाचार भारती को 75,000 रुपये का ऋण दिया है। 'हिन्दुस्तान समाचार' को अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। उनकी सरकारी

ऋण प्राप्त करने की एक प्रार्थना विचाराधीन है। आकाशवाणी ने इन दोनों एजेंसियों की सेवा का ग्राहक बनने का निर्णय किया है।

(ग) 'समाचार भारती' से यह मालूम किया गया है कि वार्षिक बैठक 31 जुलाई, 1968 को हुई थी, जिसमें हिसाब-किताब प्रस्तुत किया गया।

उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना

4737. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्योरा क्या है और अनुमानित व्यय कितना-कितना है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितने-कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति, मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है और चौथी योजना में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित औद्योगिक विकास कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विभिन्न देशों द्वारा प्रकाशित मानचित्र (एटलस)

4738. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न देशों द्वारा प्रकाशित मानचित्रों (एटलसों) में भारतीय राज्य क्षेत्र का काफी बड़ा भाग पाकिस्तान तथा चीन के अधिकार में दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इनमें से कुछ मानचित्रावलियां, जो हमारे सामने आई हैं, यू० के०, यू० एस० ए०, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, हांगकांग, ब्राजील, रुमानियां, हंगरी, सोवियत रूस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया इत्यादि से प्रकाशित हुई है।

इनमें से कुछ मानचित्रावलियों में :—

(1) काश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से पृथक सत्ता के रूप में दिखलाया गया है, जिसमें इसकी सीमाओं को या तो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चिह्नों से अंकित किया

गया है अथवा अन्य चिन्हों से। कुछ में इसको पाकिस्तान अथवा भारत के अंग के रूप में भी दिखलाया गया है। कुछ अन्य में युद्ध विराम रेखा को ही भारत और पाकिस्तान के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में दिखलाया गया है;

(2) उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण के कुछ भागों को और काश्मीर के लद्दाख प्रदेश को या तो विवादग्रस्त प्रदेश बतलाया गया है या उन पर चीन का दावा बतलाया गया है। कुछ में इन भागों को आंशिक या पूर्ण रूप से चीन में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले को सम्बन्धित विदेशी सरकारों तथा गैर-सरकारी अभिकरणों दोनों के साथ उठाया है। पहले उनमें से कुछ आवश्यक शुद्धियां करने के लिये सहमत हो गए थे, जबकि बाकी औरों से उत्तर की प्रतीक्षा है। जो प्रकाशक आवश्यक शुद्धियां करने के लिये सहमत नहीं हैं, उनके खिलाफ हमारे कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाही की जाती है।

प्रतिरक्षा कारखानों/प्रयोग शालाओं में विस्फोट

4739. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में विभिन्न प्रतिरक्षा कारखानों/प्रयोगशालओं में कारखाना वार/प्रयोगशाला वार कितने-कितने विस्फोट हुए हैं;

(ख) प्रत्येक विस्फोट के क्या कारण थे;

(ग) विस्फोटों के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनायें कम से कम होंने पायें, क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

हाजीपीर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार

4740. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपीर क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों के दुर्व्यहार के विरूद्ध वहां के लोगों द्वारा किये गये विरोधों की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत हाजीपीर क्षेत्र से भारतीय सेना को हटाते समय उस क्षेत्र के निवासियों के प्रति व्यवहार के बारे में भारत ने रूस अथवा पाकिस्तान से कोई आश्वासन प्राप्त किया था; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास के माध्यम से मानवीय आधार पर हाजीपीर क्षेत्र के निवासियों को कुछ सहायता देने का सरकार का विचार है?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार समाचार-पत्रों में देखे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा।

भारत में मुसलमानों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति अयूब खां का वक्तव्य

4741. श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहंशाह औरंगजेब के समय से भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है;

(ख) क्या सरकार इस वक्तव्य को ताशकन्द भावना का उल्लंघन समझती है; और

(ग) यदि हां, तो भारत के मुसलमानों के साथ किये जा रहे व्यवहार का ठीक रूप प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रपति अयूब खां के एक वक्तव्य के बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं जो उन्होंने हाल ही में दिया था और जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि भारतीय मुसलमानों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के कुछ दूसरे नेताओं ने और पाकिस्तानी अखबारों ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का खण्डन किया जा चुका है और पाकिस्तान सरकार को यह बताया जा चुका है कि भारत में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में पाकिस्तान के नेताओं और प्रचार माध्यमों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है और विकृत कहानियां कही जा रही है वे नेहरू-लियाकत संधि के और ताशकन्द घोषणा के भी विपरीत है। सरकार ने भी विदेश स्थित अपने मिशनों के माध्यम से पाकिस्तान प्रचार का प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

भारतीय चलचित्र संस्था के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच

4742. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूना के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा 1965 के फौजदारी मुकदमा संख्या 493 में 8 नवम्बर, 1965 को दिये गये फैसले की ओर दिलाया गया है, जिसमें विद्वान मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि पूना स्थित भारतीय संस्था के प्रधानाचार्य की गतिविधियों के बारे में सरकार को जांच करनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो ये टिप्पणियां किन परिस्थितियों में की गई थीं और इस मामले में सरकार ने क्या किया है ? और ;

(ग) यदि अभी तक कोई जांच नहीं कराई गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) यह सत्य है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने 1965 के फौजदारी मुकदमा सं० 493 में यह कहा कि इस केस में चाहिये तो यह था कि मामले की पूरी जांच की जाय और इसको छोड़ा न जाए। और बातों के अलावा, इस फैसले में यह भी कहा गया कि पत्र न केवल लिखने वाले को लपेट में लेते हैं, बल्कि अपराधी और सरकार को भी लपेट में लेते हैं। यह आदेश दिया गया कि पत्र दक्षिण जिमखाना पुलिस थाने के अधिकारी को सौंप दिये जाएं और उसे यह आदेश दिया जाए कि मामले की पूरी और अच्छी तरह से छानबीन की जाए और यदि आवश्यकता हो तो सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए। आदेश यह था कि इस मामले की पुलिस तहकीकात करे, न कि सरकार।

जब यह मुकदमा अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में पेश हुआ तो जज ने दोबारा गौर करने को रद्द करते हुए फैसले में यह कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि स्वीकृति देना तो अलग रहा, प्रार्थी अपराधी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं बना सका जिससे उसको सज़ा मिल सके, चाहे वे अपने मुकदमे की पैरवी भी न करे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर कोई कारवाई नहीं की गई थी।

तथापि, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तथा जिमखाना पुलिस स्टेशन से इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

Soviet Warship's visit to Karachi

4745. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External-Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that two Soviet Warships had visited Karachi for a few weeks in May, 1968,

(b) whether Government are also aware that these warships performed naval exercise along with Pakistani warships in Karachi ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) : Two Soviet ships paid a goodwill visit to Karachi from May, 25 to May 31, 1968.

(b) and (c) : No such exercises were carried out.

Arrest of Pak National in Gangtok

4746. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External-Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Indian Military Police arrested a Pakistani National in a Military camp in Gangtok in June, 1968 ;

(b) if so, the details of the articles recovered from the said arrested persons ; and

(c) the action taken by Government against him ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : A Pakistani National was

arrested in the vicinity of the Military Cantonment at Gangtok by the **Indian Military Police** on 21st May, 1968 and handed over to the Sikim Police who in turn **handed him** over to the West Bengal Police, No articles have been recovered from him.

Presentation of Liberator Plane to Canada

4747. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Indian Air Force had presented a Liberator **Plane** to Canada in May, 1968 ; and

(b) if so, the cost thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : A Liberator aircraft was presented to the Government of Canade in June, 1968 for display in the Royal Canadian Air force Museum. Earlier, the Canadian Air Force had presented a Lysander aircraft to the Indian Air Force for display in the Air Force Museum in Palam. The price of the Liberator aircraft could be estimated at about Rs. 17,000/-

फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा चेकोस्लोवाकिया प्रतिनिधि मण्डल के सम्मान में भोज

4748. श्री शंकरलाल भान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलम वित्त निगम बम्बई के अध्यक्ष ने मई, 1968 के पूर्वार्द्ध में दौरा कर रहे चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधिमण्डल के सम्मान में कोई भोज दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस भोज में केवल पूर्वी देशों के राजनयिकों को आमन्त्रित किया गया था और पश्चिमी देशों के राजनयिकों को आमन्त्रित नहीं किया गया था ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां।

(ख) : जी, नहीं। अध्यक्ष के अनुसार, उन्होंने फ्रांस के प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की परन्तु पहले से ही व्यस्त होने के कारण वह निमन्त्रण स्वीकार न कर सके।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य में वृद्धि

4749. श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकार और गैर पत्रकार मज्जूरी बोर्ड के पंचाट के घोषित किये जाने के पश्चात पांच मुख्य दैनिक समाचार पत्रों अर्थात टाइम्स आफ इण्डिया, स्टेटस मैन, हिन्दुस्तान टाइम्स इण्डियन एक्सप्रेस तथा हिन्दू के मूल्यों में क्या वृद्धि हुई है ;

(ख) इस वृद्धि का पंचाट से क्या सम्बन्ध है ; और

(ग) पंचाट के घोषित किये जाने के समय उनके मूल्यों का ब्यौरा क्या था और अब क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के०के० शाह) : (क) इस प्रकार की वृद्धि का कोई मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

भारत में मिग विमानों का निर्माण

4750, श्री लोबो प्रभु : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने मिग विमान बनाये गये हैं ;

(ख) इनमें कितने प्रतिशत भारतीय पुर्जे हैं; और

(ग) इनमें भारतीय पुर्जों के प्रतिशत को बढाने के लिए क्या कार्यक्रम है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

पुरन्धर में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण केन्द्र

4751. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरन्धर स्थित राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण केन्द्र बन्द किया जाने वाला है अथवा उसे अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस केन्द्र में प्रतिवर्ष कितने अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पुरन्धर स्थित राष्ट्रीय छात्र सेवा दल के प्रशिक्षण केन्द्र ने तीन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया :

1965–66	862
1966–67	1170
1967–68	795

स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की पुस्तकों का प्रकाशन

4752. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से लेकर अब तक उनकी कौन-कौन सी पुस्तक तथा अन्य कृतियां प्रकाशित की है, तथा कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई हैं ;

(ख) इन पुस्तकों को प्रकाशित करने पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) इन पुस्तकों पर रायल्टी किन-किन शर्तों पर दी जाती है तथा उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनके साथ रायल्टी देने सम्बन्धी करार हुए है ; और

(घ) अब तक कितनी रायल्टी दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) कोई नहीं, जी ।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठते ।

Danapur Cantonment Board

4753. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of persons against whom suits were filed by Danapur (Patna) Cantoment Board under the Cantoment Act from January, 1960 to the 31st July, 1968, the number of cases won by the Board and the number of those lost by it ;

(b) the amount spent by the Board on litigation during the above period ; and

(c) the justification thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Advertisements Given by Public Undertakings

4754. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the criteria being adopted by Government for giving advertisements to newspapers and the quantum of advertisements given by each industrial undertaking in public sector during the last year ;

(b) the names of 50 prominent newspapers and the comparative of advertisements given to them during the last year ; and

(c) whether Government propose to lay a statement showing the number of classified and unclassified advertisements given the newspapers during the last year on the Table ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : As regards the criteria adopted by Government for giving advertisements to newspapers attention is invited to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 3061 in Lok Sabha on 7-8-1968.

Except for a few, whose advertising is looked after by the Directorate to Advertising and Visual Publicity, the rest the industrial undertakings in the public sector handle the own advertising.

Information regarding the details of advertisements release individual newspapers and the amounts paid to them is treat as confidential between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the individual papers. It would not be good business ethics to divulge this information unilatera without the prior consent of the papers concerned.

During 1967-68, no display advertisements were issued by Directorate of Visual Publicity on behalf of public sector industrial undertakings, but they release 488 classified advertisements on their behalf. This does not include advertisements of undertakings whose advertising is not handled by the Directorate.

Atomic Power Project in Rajasthan

4755. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the **Prime Minister** be please to state :

(a) whether the inquiry into the incident that had taken place in the Atomic Power Project in Rajasthan last year has established that certain anti-national elements openly tried to damage this project ; and

(b) if so, the action taken against them ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) does not arise.

Atomic Power Project in Rajasthan

4756. **Shri OnkarLal Bohra :** Will the **Prime Minister** be please to state :

(a) whether the time schedule for the completion of the Atomic Power Project in Rajasthan by 1971-72 will be adhered to ;

(b) the amount of capital that would be invested in it ; and

(c) the scheme framed by Government in regard to the distribution of the power that would be produced by this project ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of Exrernal-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) According to the present indications, Unit I of the Rajasthan Atomic Power Project will be completed in early 1971 and Unit II in 1973.

(b) Rs. 110.66 crores.

(c) The actual distribution of the power generated in this station has not been settled.

शाखा डाकघरों में भूतपूर्व सैनिक

4757. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक भूतपूर्व सैनिकों को शाखा डाकघरों में आंशिक रूप से काम करने के लिये नियुक्त किया जाता है और उनके मानदेय के साथ उनकी पेंशन में तदर्थ वृद्धि की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे व्यक्तियों की पेंशन में दी गई तदर्थ वृद्धि अब वापिस ली जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) शाखा डाकघरों में आंशिक रूप से काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों को डाक विभाग द्वारा दिये जा रहे इकट्ठे भत्ते के अतिरिक्त पेंशनों में तदर्थ वृद्धि मिल रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञापनों का प्रसारण

4758. श्री एम० एस० ओबराय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा आरम्भ की गई विज्ञापन प्रसारण सेवा इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है कि वह "रेडियो सीलोन" की विज्ञापन सेवा का मुकाबला कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास

4759. श्री एम० एस० ओबराय : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित हमारे बहुत से दूतावासों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और इस आशय के कुछ समाचार हाल में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : यह सच नहीं है कि विदेश-स्थित हमारे बहुत से मिशनों में अमला जरूरत से ज्यादा है । हाल ही में कुछ अखबारों में जो खबरें छपी हैं वे बहुत ही अत्युक्तिपूर्ण हैं । सरकार इस आवश्यकता की ओर पूरी तरह से सजग है कि भारतीय मिशनों में अमला उतना ही रखा जाए जो काम के बोझ को देखते हुए सुचारु रूप से निपटाने के लिए आवश्यक हो और साथ ही मितव्ययता पर भी ध्यान रहे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान

4760, श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य होने से अब तक इन संगठनों का पृथक-पृथक कितनी बार अमरीका तथा कितनी बार रूस के साथ मत दिया है तथा भारत कितनी बार तटस्थ रहा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह सूचना संयुक्त राष्ट्र प्रलेखों में सुलभ है और वहां से लेकर यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

महासभा के पिछले अधिवेशन के मतदान के आंकड़ों के विश्लेशण से यह पता चलता है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 61 प्रस्तावों में मतदान किया और सोवियत संघ के साथ 69 प्रस्तावों पर। भारत ने संयुक्त राज्य अमरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ 57 प्रस्तावों पर मतदान किया।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में तैयार किये गये ट्रांजिस्टर

4761. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा अकादमी (एन० डी० ए०) को सप्लाई किये गये और अकादमी द्वारा उनके निम्न स्तर के होने के कारण अस्वीकार किये गये ट्रांजिस्टरों में क्या त्रुटियां थीं ;

(ख) क्या यह त्रुटियां दूर नहीं की जा सकती थीं ; और

(ग) इस बीच सरकार ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ट्रांजिस्टरों के उत्पादन और उनकी किस्म में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) से (ग) : भारतीय रक्षा अकादमी द्वारा 1967–68 वर्ष में भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० को ट्रांजिस्टर के लिए कोई आर्डर नहीं भेजे गए थे, और न ही बी० ई० एल० द्वारा रक्षा अकादमी को कोई सप्लाईयां भेजी गई थीं।

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर आमन्त्रित व्यक्ति

4762. श्री धीरेश्वर कलिता ; क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीनी कार्यवाहक राजदूत ने 1 अगस्त, 1968 को अपना राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोह मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमे आमन्त्रित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या चीनी कार्यवाहक राजदूत ने भारत सरकार के इस अनुदेश का "सब निमन्त्रण पत्र वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के माध्यम से भेजे जाने चाहिये" पालन किया था;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने आमंत्रित व्यक्तियों को समारोह में भाग लेने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की थी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) चीनी राजदूतावास के कार्यनायक ने 1 अगस्त 1968 को चीनी सेना के स्थापना-दिवस के अवसर पर स्वागत समारोह का आयोजन किया था।

(ख) : आमन्त्रित व्यक्तियों में राजनयिज्ञ, विदेशी छात्र और कुछ भारतीय राष्ट्रिक शामिल थे।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : सरकार की यह मंशा कभी नहीं थी कि आमन्त्रितों को चीनी राजदूतावासों के समारोहों में सम्मिलित होने से रोका जाए। निमंत्रणों को विदेश मंत्रालय के जरिए भेजने की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि चीनी राजदूतावास की समुचित सुरक्षा का सुनिश्चय हो सके। चूंकि चीनी राजदूतावास ने इस तरीके का पालन नहीं किया, इसलिए आमन्त्रित भारतीय व्यक्तियों को चीनी राजदूतावास में प्रवेश करने की इजाजत देने से पहले उन्हें पहचानना जरूरी हो गया।

योजना आयोग के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा रूस का दौरा

4763. श्री श्री० ना० शास्त्री : क्या प्रधान मन्त्री 7 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमण्डल के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालागासी शांति समिति द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन

4764. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालागासी शांति समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि हिंद महासागर के साथ लगने वाले देशों का एक सम्मेलन अगले वर्ष के आरम्भ में होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या उस सम्मेलन में भाग लेने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि मालागासी शांति समिति ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को शान्ति-संस्थाओं के सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है, परन्तु कोई तारीखें निश्चित नहीं हुई हैं।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अंतर सरकारी सम्मेलन का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

विद्रोही नागाओं का इधर-उधर घूमना

4765. **श्री मीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा विशेषतया उनके नेता सरकार तथा उसके कर्मचारियों की पूरी जानकारी में नागालैंड, आसाम तथा देश के अन्य भागों में किसी भी स्थान में आने जाने के लिये स्वतन्त्र है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेष रूप से जबकि ये नेता भारतीय नागरिकों पर आक्रमण करने तथा उनकी हत्या के अपराधी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो श्री केइटो को किन परिस्थितियों में कोहिमा में स्वतन्त्रता-पूर्वक तथा बिना सुरक्षा व्यवस्था के स्वतन्त्रता-पूर्वक घूमने की अनुमति दी गई थी जबकि उन्हें गोली मारी गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यदि न्यायालय द्वारा स्वतन्त्रता से वन्चित न कर दिये गये हों, तो भारत के सभी नागरिकों को, वैधानिक रूप से लागू कानूनों के अन्तर्गत, देश के अन्दर कहीं भी आने जाने की स्वतन्त्रता है।

(ख) अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ, जब भी संभव होता है, कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) नागरिक होने के नाते कइतो देश के अन्दर कहीं भी स्वच्छन्दता पूर्वक आने जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी।

फिल्म उद्योग

4766. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में फिल्म उद्योग की कार्यप्रणाली के बारे में जांच करने के लिये अब तक कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने के लिये सरकार कोई संसदीय समिति बनाना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । श्री एस० के० पाटिल की अध्यक्षता में स्थापित फिल्म जांच समिति ने फिल्म उद्योग की कार्यप्रणाली के बारे में जांच की थी और एक रिपोर्ट सन् 1961 में दी थी । फिल्म उद्योग के प्रोत्साहन और विकास से सम्बन्धित समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लागू कर ली गई थीं । कुछ और सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं ।

अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इण्डोनेशिया के साथ करार

4767, श्री नरसिम्हा राव : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी स्थल सेना, वायु सेना और नौ सेना अकादमी में इण्डोनेशिया के अधिकारियों को सैनिक प्रशिक्षण सुविधायें देने के बारे में भारत और इण्डोनेशिया के बीच कुछ समय पहले एक करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आपस में अभी भी वह करार बना हुआ है अथवा उसमें अब कोई संशोधन किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : कुछ वर्ष पहले इण्डोनेशिया सरकार से करारनामे तय हुए थे, जिनमें और बातों सहित भारत में रक्षा सेवाओं द्वारा इण्डोनेशियन अफसरों के प्रशिक्षण का उपबन्ध किया गया था । वह करारनामे अब लागू नहीं हैं ।

कर्मचारियों की सेवाओं का बढ़ाया जाना

4768. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कार्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी गैर-तकनीकी और प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के कार्यालयों, जिनमें उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय जैसे प्रेस सूचना विभाग और चित्र विभाग (फोटो डिवीजन) भी शामिल है; के कर्मचारियों का सेवा काल 58 वर्ष की सेवा निवृति की निर्धारित आयु हो जाने के बाद भी बढ़ाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन सब कार्यालय कर्मचारियों के नाम क्या हैं, जिनमें पिछले पांच वर्षों में 58 वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी, सेवाकाल की वृद्धि की गई है ;

(ग) प्रत्येक मामले में सेवा निवृति की आयु को बढाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सेवा काल में अधिकतम कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा त्रिलोक चन्द्र गुप्त की गिरफ्तारी

4769. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : पाकिस्तानी अधिकारियों ने त्रिलोक चन्द्र को किस तारीख को गिरफ्तार किया था और इसलामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने उसके इस मामले में किस तारीख को पहली बार हस्तक्षेप किया था ;

(ख) : क्या सरकार ने उसके कानूनी बचाव के लिए प्रबन्ध किया था ;

(ग) : क्या उसके कल्याण की देखभाल करने के लिए सरकार ने रेड क्रास से प्रार्थना की थी और यदि हां, तो उस लड़के को गिरफ्तार किये जाने के कितने दिन पश्चात ; और

(घ) : क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान के इस आरोप का प्रतिरोध नहीं किया कि त्रिलोक चन्द्र गुप्त जासूसी कर रहा था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : भारत सरकार को पाकिस्तान में त्रिलोक चन्द्र की गिरफ्तारी की जानकारी उसके पिता के उस पत्र के द्वारा हुई जो उसने 14 मार्च, 1966 को विदेश मन्त्रालय को लिखा था । मन्त्रालय ने 17 मार्च, 1966 को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को सूचित किया और 24 मार्च, 1966 को हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार को एक नोट भेजा । इसके बाद 25 मार्च, 1966 को हाई कमीशन के प्रथम सचिव और पाकिस्तान सरकार के विदेश मन्त्रालय के निदेशक के बीच व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श हुआ ।

(ख) : पाकिस्तान सरकार ने हमको आज तक ब्योरेवार आरोपों, अभियोग के स्थान और तारीख तथा कारावास की अवधि के बारे में सूचित नहीं किया है । इसलिए त्रिलोक चन्द्र को अपराध सिद्ध होने से पूर्व उसके लिए वकील आदि की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : बालक की कुशल क्षेम का समाचार अपने पिता को लिखे गए उसके पत्रों तथा दिसम्बर 1966 में पाकिस्तान स्थित हमारे मिशन के अधिकारियों की उससे भेंट से ज्ञात होता रहा । जब भी उसके पिता से यह शिकायत मिली कि उसके पत्र मिलने में देरी हो गई है, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया कि उसको अपने पिता के साथ पत्र व्यवहार करने की सुविधा प्रदान की जाए ।

(घ) : जी नहीं। यह आरोप, कि त्रिलोक चन्द्र ने जासूसी कार्य किया था, पाकिस्तान सरकार के विदेश मन्त्रालय ने हमारे हाई कमीशन के एक अधिकारी से एक बातचीत के दौरान केवल मौखिक रूप से लगाया था। हमारे अधिकारी ने तुरन्त ही इस आरोप का खंडन किया और उनको यह बतलाया कि 17 वर्ष के बालक पर यह आरोप लगाना बेहूदा बात है।

संगीत नाटक विभाग में मनीपुर के कलाकार

4770. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक विभाग में अब तक मनीपुर से कलाकार कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये कलाकारों की संख्या, पद और वेतनमान क्या हैं ;

(ख) उनकी सेवा के नियम और शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उनकी नियुक्ति की जाने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : 49 कलाकार जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	पद का नाम	निर्धारित समेकित फीस	निर्धारित फीस का स्केल	नियुक्त किये गये कलाकारों की संख्या
		रुपए	रुपए	
1.	नर्तक	–	215-440	11
2.	अभिनेता/अभिनेत्री	–	215-440	2
3.	गायक	–	215-400	4
4.	वादक	–	215-400	3
5.	प्रशिक्षक	200.00	–	3
6.	परफोरमर	150.00	–	19
7.	प्रशिक्षण सहायक	100.00	–	2
8.	केजुल कलाकार	कोई फीस या फीस का स्केल निर्धारित नहीं किया गया है परन्तु प्रत्येक कलाकार अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर तदर्थ शर्तों पर नियुक्त किया जाता है।		5
				49

(ख) संगीत तथा नाटक प्रभाग में स्टाफ आर्टिस्ट करार पर रखे जाते हैं, जिसकी अवधि फिर से बढ़ाई जा सकती है। उनको उस समेकित फीस या फीस के स्केल पर रखा जाता है जो उस पद के लिये निर्धारित है जिस पर वे रखे जाते हैं। की गई सेवा के आधार पर वे उपदान (ग्रेजुयटी) के अधिकारी हैं। जो रनिंग फी स्केल पर नियुक्त किये जाते हैं, वे महंगाई भत्ते, मकान का किराये भत्ते, प्रतिकार भत्ते तथा अन्य ऐसे भत्तों के हकदार हैं, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं।

(ग) आवश्यक विज्ञापनों द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। उनको तब छांटा जाता है और जो उम्मीदवार प्रथम दृष्टि में योग्य समझे जाते हैं, चयन समिति के सम्मुख स्वर-परीक्षा के लिए बुलाये जाते हैं और अन्तिम चुनाव स्वरपरीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाता है।

श्रीलंका में भारत मूलक लोग

4771. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों ने, जिन्हें भारत में आकर बसना है, हमारे उच्च आयुक्त को उन्हें शीघ्र भारत वापिस भेजने के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके आवेदन-पत्रों की शीघ्र छानबीन करने तथा उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : यह अनुमान किया जाता है कि इस प्रश्न का आशय श्रीलंका में रहने वाले उन राष्ट्रकताहीन भारतमूलक व्यक्तियों से है जिनमें से 5,25,000 को भारत सरकार 15 वर्षों के भीतर ग्रहण करेगी। भारतीय नागरिकता के प्राप्ति हेतु इनके आवेदनपत्र श्री लंका स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के पास आए हैं और आ रहे हैं और हमारे विनियमों के अधीन उनकी सामान्य ढंग से जांच की जा रही है। इस समझौते की तारीख अर्थात् 30-10-64 के और 31-7-68 के बीच 23,889 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। अद्यतन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, इनमें से 5,497 व्यक्ति अपने आप ही भारत लौट आए हैं।

नागालैंड के लिए पृथक राज्यपाल

4772. श्री बी० ना० शास्त्री : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के लिये पृथक राज्यपाल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) । (क) : जी हां ।

(ख) पूर्वी प्रदेश में वर्तमान स्थिति को और प्रशासन तन्त्र में समन्वय लाने की आवश्यकता को देखते हुए, इस समय कोई परिवर्तन करना अच्छा नहीं रहेगा ।

आयुध कारखानों में तकनीकी कर्मचारी

4773. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक आयुध कारखाने में कारीगर, दक्ष कारीगर तथा पर्यवेक्षक आदि संवर्गों में इस समय कितने तकनीकी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक कारखाने में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) विभिन्न कारखानों ने गत पांच वर्षों में उक्त संवर्गों में कितने रिक्त स्थान भरे ; और

(घ) कारखाने-वार उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) । (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सेवाओं का गठन

4774. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बनाई गई अथवा शीघ्र ही बनाई जाने वाली विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक सेवा कब गठित की गई थी तथा प्रत्येक सेवा के लिये उसके गठन के बाद से कब सरकारी नियम बनाये गये ;

(ग) प्रत्येक सेवा के आरम्भ में बनाये जाने के समय प्रत्येक मे कितने व्यक्ति थे तथा प्रति वर्ष प्रत्येक में आज तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ; और

(घ) आरम्भ में सेवा बनाये जाने के समय प्रत्येक में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों की सेवा नियुक्ति की गई तथा उसके बाद आज तक प्रति वर्ष कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रतिरक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों,/अनुसूचित आदिम जातियों के असैनिक प्रशिक्षु

4775. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने 1952 में निर्णय किया था तथा सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें जारी की थीं कि उनके मंत्रालय में असैनिक प्रशिक्षु भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्त स्थान आरक्षित करने के नियमों का सख्ती से पालन किया जाये तथा यदि इन नियमों के पालन न किये जाने से जो कमी रह गई हो, उसे आगामी वर्षों में पूरा किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो जिन अधिकारियों को सूचित किया गया था, उसके नाम क्या है;

(ग) क्या ई० एम० ई० कौर तथा आयुध कारखाने में प्रशिक्षु प्रशिक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट हिदायतें जारी की गई थीं ; और

(घ) कुल प्रशिक्षुओं की संख्या प्रतिवर्ष चुने गये प्रशिक्षुओं की संख्या उनके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिय जातियों के व्यक्तियों की संख्या तथा सम्बन्धित संगठनों में अन्त में नियमित रोजगार दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में सरकार के निर्णय तथा हिदायतों का 1953 से अब तक योजनावार क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवासन संगठन सेवा

4776. श्री प्र० रं० ठाकुर ।
श्री सिद्धया :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवासन संगठित सेवा के गठित किये जाने की तिथि क्या है, और इसके लिये बनाये गये नियम क्या हैं ;

(ख) सेवा के गठन के समय वहां कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और अब तक प्रति वर्ष इसमें कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) इस सेवा के गठन के समय इस में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और अब तक प्रति वर्ष नियुक्त किये गये व्यक्तियों में उनकी संख्या कितनी थी और अब तक प्रतिवर्ष नियुक्त किये गये व्यक्तियों में उनकी संख्या कितनी है ।

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन (प्रारम्भिक गठन एवं पोषण) नियम, 1959, 1 जनवरी 1959 से लागू हुए । ये नियम ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो 1 जनवरी 1959 को भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की

अथवा उत्प्रवास कार्यालयों की सिब्बंदी पर थे, और उन पर भी जो इस तारीख के बाद इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन में नियुक्त किये गए हैं। नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1807/68]**

(ख) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें प्रारम्भिक गठन के समय उसमें कर्मचारियों की जो संख्या थी वह और उसके बाद वर्षवार जो भरती की गई है वह, बनाई गई है (अनुबन्ध 1 और 2)। (इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल नहीं है) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) : 1959 में प्रारम्भिक गठन के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल व्यक्तियों की संख्या 16 थी। उसके बाद वर्षवार भरती इस भांति हुई है:

1960	–	2	
1961	–	8	(जिसमें एक आदिम जाति का भी शामिल है)
1962	–	4	
1963	–	–	
1994	–	1	
1965	–	1	
1966	–	3	(जिनमें एक आदिम जाति का भी शामिल है)
1967	–	2	
1968	–	–	

(इन आंकड़ों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सम्मिलित नहीं है। यह सूचना इकट्ठी की जा रही है।)

मरकारा (मैसूर) में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय झण्डे को सलामी देने से इन्कार

4777. श्री बाबू राव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 21 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरकारा (मैसूर) में राष्ट्रीय छात्रसेना दल के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय झण्डे को सलामी देने से इन्कार किये जाने की घटना के बारे में जांच के लिये नियुक्त जांच न्यायालय की कार्यवाही इस बीच सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जांच से पता चला है कि गवर्नमेंट कालेज, मरकारा के लड़कों तथा लड़कियों के जत्थों के सीनियर डिवीजन कैडेटों ने, जिन्होंने 26 जनवरी, 1968 को गणतन्त्र दिवस परेड में भाग लिया था, हिन्दी में दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया और राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान नहीं किया। न्यायालय के प्रतिवेदन को दृष्टि में रखते हुए मैसूर सरकार को केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण के बारे में सूचित किया गया कि वे कैडेट अनुशासन भंग के दोषी हैं और उन्होंने बुरा उदाहरण स्थापित किया है और राष्ट्रीय छात्रसेना अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत शिक्षाधिकारियों के परामर्श से इन कैडेटों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये। फिर भी, अधिकांश कैडेटों ने बिना शर्त क्षमा याचना की थी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3117 दिनांक, 7-8-1968 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO, 3117, DATED THE 7TH AUGUST, 1968

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंने लोकसभा में दिये गये 7 अगस्त, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) और (ख) के अपने उत्तर में यह कहा था :

"(क) और (ख) जी, हां।"

अनजाने में हुई छपाई की गलती से यह आवश्यक हो जाता है कि उस प्रश्न के उक्त भागों के उत्तर में संशोधन किया जाये :

"(क) जी, हां।

(ख) इस मामले में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाब विनियोग लेखे के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में, जिसकी प्रति परिचालित की जा चुकी है, अपने वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

वक्तव्य

पंजाब विनियोग अधिनियम, 1968 के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मत से दिये गये निर्णय का विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी की शक्ति को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त महत्व है। पंजाब विधान सभा की बैठक 22 फरवरी, 1968 को बुलाई गई थी और

4, 5 तथा 6 मार्च को वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा की गई। अन्तिम दिन अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का संकल्प पेश किया गया जिसे सभा ने अपनी अनुमति दे दी पर अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। अगली बैठक के शुरु होते ही एक सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि वह संकल्प संविधान के अनुच्छेद–179 (ग) के विरुद्ध हैं, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन का प्रस्ताव असंवैधानिक घोषित कर दिया। तब एक उच्च संकल्प पेश किया गया जिस पर सभा में अव्यवस्था फैल गई। अध्यक्ष ने विधान सभा नियम 105 के अन्तर्गत दो महीने के लिए स्थगित कर दी।

बजट 31 मार्च, 1968 से पहले स्वीकार किया जाना था, पर सभा 6 मई, 1968 तक के लिए स्थगित की जा चुकी थी। इस अभूतपूर्व स्थिति को दूर करने के लिए राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद, 174 (2) (क) के अन्तर्गत 11 मार्च, 1968 को विधान सभा का सत्रावसान कर दिया और 13 मार्च, 1968 को पंजाब विधान मंडल (वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1968 प्रख्यापित कर दिया और विधान सभा को 18 मार्च, 1968 को बैठक के लिए आमंत्रित किया और विधान सभा को अनुच्छेद 175 (2) के अन्तर्गत निदेश दिया कि वह पंजाब विनियोग विधेयक, अनुदानों की मांगों और अन्य वित्तीय कार्य पर विचार करें।

18 मार्च, 1968 को विधान सभा में अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया कि राज्यपाल का सभा को बुलाने का आमंत्रण 'गैर-कानूनी, असंवैधानिक तथा प्रभाव शून्य है' और अध्यादेश भी 'नास्तिवत और प्रभाव शून्य' है। इसके पश्चात उन्होंने 7 मार्च को दिये गये अपने विनिर्णय को दोहराया और सभा को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया।

सभा का इस प्रकार से स्थगन करना अध्यादेश की धारा 3 के का स्पष्ट उल्लंघन था। जैसा कि अध्यादेश में निदेश दिया गया था उसके अनुसार सभा चलती रही और उपाध्यक्ष पीठासीन थे। सभा ने विनियोग विधेयक और मांगें पास कर दीं ये विधेयक उपाध्यक्ष के इस प्रमाणपत्र के साथ कि ये धन विधेयक हैं, विधान परिषद के पास भेज दिये गये। जब इन्हें परिषद ने पास कर दिया तो राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी।

इस पर उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं पेश की गई।

उच्च न्यायालय की पूर्ण बैंच ने एकमत से यह ठहराया कि विधान सभा का सत्रावसान और पुनः आमन्त्रण किया जाना नियमित तथा वैध था पर अध्यक्ष ने 18 मार्च, को जो विनिर्णय दिया था उससे सभा की अनुवर्ती कार्यवाही अवैध और विनियोग विधेयक असंवैधानिक हो गये। एकमत से यह भी ठहराया गया कि धन-विधेयक का प्रमाणपत्र देने के अधिकार केवल अध्यक्ष को था और इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का प्रमाणपत्र मान्य नहीं था। अध्यादेश की धारा 3 असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित की गई।

अपील करने पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय का निर्णय अस्वीकृत कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने ठहराया कि विधान सभा का सत्रावसान 18 मार्च को नहीं, वरन 11 मार्च को हुआ। विधान सभा का सत्र 14 मार्च को बुलाना ठीक कदम था और इससे इस राज्य

में प्रजातंत्रीय व्यवस्था जो अध्यक्ष की कार्यवाही से भंग हो गई थी, पुनः स्थापित हो गई और अध्यादेश के फलस्वरूप वित्तीय कार्य शीघ्र निपटा दिया गया। अतः ये मामले विधानमंडल पर ही छोड़ दिये गये पर यह शर्त रखी गई कि जब तक एक तिहाई सदस्यों की इच्छा बिना सभा स्थगित न की जाये।

इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष की व्यवस्था प्रश्नों सम्बन्धी शक्तियों के बारे में विचार किया और यह ठहराया कि व्यवस्था का प्रश्न नियमों तथा सभा के कार्य सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेदों ने स्पष्टीकरण तथा लागू करने के बारे में उठाया जा सकता है और अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाने वाला ऐसा प्रश्न उनके विचाराधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। अतः अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया था वह उनके विचाराधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के बारे में नहीं था। अध्यादेश को केवल संकल्प पास करके अस्वीकृत किया जा सकता है। इस तरह अध्यक्ष महोदय का उक्त विनिर्णय प्रभावशून्य था। उच्चतम न्यायालय ने यह भी ठहराया कि उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की जो कार्यवाही चलाई वह वैध आधार पर थी। उपाध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद -199 (4) के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्र के बारे में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि इस अनुच्छेद के उपबन्ध निदेशात्मक हैं। अतः इस मामले को देखते हुए यह प्रमाणपत्र प्रभावशील है और अनुच्छेद 212 (1) के उपबन्धों को ध्यान में रख कर उस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने एकमत से अपील को स्वीकृति दे दी, उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया और याचिकाओं को रद्द करने का आदेश दिया था।

भारत सरकार का विश्वास है कि पंजाब के इस मामले में उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के कृत्यों तथा शक्तियों के बारे में विवादग्रस्त प्रश्न हल हो जायेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We do not want the hon. Minister to State in brief what the Supreme Court did but what is his reaction to its judgement about the Powers of the Presiding Officers of Legislatures. I feel that the controversy has not ended but it has now started after the Supreme Courts' judgement.

श्री गोविन्द मेनन : उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि "यह कहना विधान सभा के अध्यक्ष का यह काम नहीं था कि उक्त अध्यादेश अवैध है"। यह अध्यादेश उन पर तथा सभा पर दोनों पर ही लागू होता था।

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied to.

अध्यक्ष महोदय : पर यह प्रश्न बहुत ही जटिल हैं और इसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता।

Shri O.P. Tyagi (Moradabad): In the wake of the Supreme Courts' judgement the form of the democracy which we have been recognising in the country has come at Stake. The Governor has been held above administration, judiciary and legislature. You will have to decide whether the Powers of the Governor or the legislature or the Speaker are final.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know how far the ugly incidents taken place in the Punjab legislature Assembly were proper in the opinion of the Government.

Shri Kanwar Lal Gupta : Although I assume that the Speaker of Punjab Assembly had exceeded his powers on certain points but the Supreme Courts' judgement has also far reaching consequences. I think that as a result of this judgement the Governor has assumed himself a large number of Powers and the Central Government may get in opportunity to misuse the institution of Governor. May I know whether Government propose to appoint an expert committee to enquire into the implications of this judgement and to suggest the modification in our constitution in the background of this judgement ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में प्रश्न किये जाने चाहिए । निर्णय में कहा गया है कि राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत सत्रावसान कर सकें । यह भी कहा गया है कि जब सभा का सत्र न चल रहा हो तब अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है । ये मामले विवादग्रस्त नहीं है और इस मामले में विशेषज्ञों की समिति कुछ नहीं कर सकेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका का पेश किया जाना
PRESENTATION OF PETITION

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हारबर) : मैं बिहार उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के कर्मचारियों की तकलीफों के बारे में सर्वश्री अरविन्द घोष और ए० श्रीरमालू की एक याचिका पेश करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 169 में बताया गया है कि किसी सदस्य अथवा सचिव द्वारा याचिका प्रस्तुत हो जाने के बाद उसे याचिका समिति को सौंपा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । याचिका याचिका समिति को भेजी जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राष्ट्रपति शासन में है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह याचिका समिति को सौंपने से पहले सभा में इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये जैसा कि नियम में व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय : पर मैं सभा-पटल पर रखे या प्रस्तुत किये गये किसी पत्र पर एकदम चर्चा करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं। इसके लिए माननीय सदस्य को पहले मुझे सूचना देनी होगी। उस पर विचार करके हमें उस पर चर्चा के लिए समय निकालना पड़ेगा।

नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : परसों उप-प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान मैंने एक बात ऐसी कह दी थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति तब तक मन्त्री नहीं बन सकता जब तक उसके बारे में कोई सन्देहास्पद बात न हो। अपने उस कथन के लिए मैं सदस्यों तथा सरकारी पक्ष के सदयों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय था कि कोई व्यक्ति तब तक मन्त्री नहीं बन सकता जब तक उसे सांसारिक ज्ञान न हो जिसका विरोधी पक्ष में इस समय अभाव है और जो कभी उनको उस पद की आकांक्षा करने पर प्राप्त होगा।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बाईसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :–

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 20 अगस्त, 1968 को पेश किया गया था, सहमत हैं।"

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : One hour allotted for discussion on the Budget of U, P. is insufficient. In view of the incidents of firing and atrocities on Harijans in the State, I think that atleast 3 hours should be allotted for discussion on the U. P, Budget.

Shri Shri Chand Goel (Barabanki): As far as I understand in the first report of the Business Advisory Committee 3 hours were allotted for discussion on the U. P. Budget. U. P. is a biggest State and it has the largest representation in this House. Hence this time should be increased.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Since one hour will not be sufficient, it would be better if this Budget is passed without allowing any discussion thereon.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The time allotted for discussion on the Bihar Budget and delegation of powers should be increased.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is my request that the Kashmir issue should be taken up for discussion defintely in the next week.

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जारी रखे जाने पर चर्चा के लिए माननीय सदस्यों को 3 घन्टे का समय और उत्तर प्रदेश बजट पर चर्चा के लिए 1 घन्टे का समय माननीय सदस्यों को मिल रहा है। काश्मीर के बारे में एक गैर-सरकारी संकल्प को पहला स्थान मिला है। इस पर चर्चा के लिए माननीय सदस्यों को मध्यान्ह पश्चात का पूरा समय मिल जायेगा। यह संकल्प शायद इसी शुक्रवार को रखा जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश बजट पर काफी समय पहले चर्चा हो चुकी है और अब उत्तर प्रदेश की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जानी है। पर बिहार बजट पर अब चर्चा आरम्भ होनी है। काश्मीर के बारे में अध्यक्ष महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संसद-कार्य मंत्री से सिफारिश करता हूँ कि वह बिहार बजट के लिए 12 घंटे और उत्तर प्रदेश के मामले में 16 घंटे का समय नियत करें।

प्रश्न यह है :–

> "कि यह सभा कार्य-मन्त्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 20 अगस्त, 1968 को पेश किया गया था, इस रूपभेद के साथ सहमत है कि उत्तर प्रदेश की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए 1 घंटे का नियत समय बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1968

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 3 BILL, 1968

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : मै श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 1968-69 में सेवा हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 1968-69 में सेवा हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों के भुगतान तथा विनियोग का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री परिमल घोष : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1968

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 4 BILL, 1968

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेलवे के प्रयोजन के लिए कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशियों से अधिक व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है।

"कि 31 मार्च 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेलवे के प्रयोजन के लिए कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशियों से अधिक व्यय की गई राशियों को पूरा करने हेतु भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री परिमल घोष : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—जारी

GOLD (CONTROL) BILL-Contd.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैंने कल अपने भाषण में कहा था कि स्वर्ण नियन्त्रण सम्बन्धी अनौपचारिक दल के प्रतिवेदन में स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के असफल संचालन के कुछ कारणों पर प्रकाश डाला गया है। एक कारण राजनीतिक समर्थन का अभाव बताया गया है। दूसरा कारण हजारों छोटे स्वर्णकारों की उचित शिकायतों की अपेक्षा है और तीसरा

कारण नियन्त्रण को समान और प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव है ।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के वर्तमान रूप से उन आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा जिन्हें इसके द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*

शहरों के बाजारों में अवैध वस्तुओं की बाढ़ सी आ गई है और भारत के गांवों में खाने पीने की चीजों का अभी अभाव है, क्योंकि खाद्यानों पर नियन्त्रण लगा हुआ है और अधिकारी धोखा देते हैं । यह विश्वास कैसे किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में स्वर्णकारों के साथ न्याय होगा जबकि बेरोजगार लोगों के पुनर्वास के बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । देश भर में इन छोटे कलाकारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्या का ऐसी स्थिति में कैसे मुकाबला किया जा सकता है, जबकि उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय और रोजी से ही वंचित किया जा रहा है ।

वर्तमान परिस्थितियों में जब सरकारी बैंक प्रणाली, राज्य अथवा वाणिज्यिक बैंक प्रणाली भी ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हुई है, सोने में पूंजी लगाने की आदत को बदला नहीं जा सकता । यह जीवन का एक सत्य है कि किसी कानून के द्वारा इन सभी बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता । इसलिए यह कानून भी निरर्थक और असफल सिद्ध होगा । इससे प्रशासनिक व्यय तो बढ़ जायेगा पर कोई समस्या हल नहीं होगी । हमें अनाजों पर लगाये नियन्त्रणों, उद्योगों की लाइसेन्स व्यवस्था, नशाबन्दी तथा इसी तरह के अन्य कानूनों से सबक लेना चाहिए था । इन सब के अच्छे उदेश्य थे, मगर इस पर भी परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। यह गारंटी दी जानी चाहिए कि स्वर्णकारों को तंग नहीं किया जायेगा । खण्ड 101 को विशेषरूप से इस तरह से पेश किया जाना चाहिए कि उससे छोटे स्वर्णकारों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।
The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok-Sabha reassembled at fourteen of the Clock after Lunch.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : हालांकि हम इस विधेयक के उदेश्यों के पक्ष में हैं पर तो भी हम यह अनुभव करते हैं कि इन उदेश्यों को इस विधेयक या इस तरह के अन्य किसी

विधेयक द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि स्वर्ण (नियन्त्रण) आदेश लागू किये जाने के बाद सोने की कीमत घटने के बजाय बहुत बढ़ गई है और सोने का तस्कर व्यापार भी कम नहीं हुआ है। इस विधेयक से भी सोने को चोरी छिपे लाने लेजाने में कमी नहीं होगी। इससे विदेशी मुद्रा की समस्या हल नहीं होगी क्योंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई का सोने के तस्कर व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक से कुछ कठिनाइयां ही पैदा होंगी। खास कर गांवों में रहने वाले लाखों स्वर्णकार बेकार हो जायेंगे।

स्वर्णकारों के पुनर्वास के बारे में एक योजना बनाई गई है। लेकिन पुनर्वास व्यवस्था से भी कोई लाभ नहीं होगा। स्वर्णकार इसे पसन्द नहीं करते। वे काम करके जीवन निर्वाह का अधिकार चाहते हैं।

आज जनता का सरकार में कोई विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से कीमतें बढ़ती जा रही है और जब कभी किसी देश में कीमतें बढ़ती हैं सरकार पर से जनता का विश्वास उठने लगता है और मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सोना ही बचाव की एक आड़ रह जाता है, क्योंकि सोने का स्थायी मूल्य होता है। इसलिए जनता सोना जमा करना चाहती है। अकाल की स्थिति में भी हजारों गांवों में सोना ही बचाव का एक मुख्य साधन है। इसके अलावा गांवों में बैंकों की सुविधाए भी नहीं है। गांवों के लोगों में बैंकों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता है।

हमारे देश में सोने के काम की कला पिछले दो हजार वर्षों से चली आ रही है। हमारे देश की कला दुनियां भर में प्रसिद्ध है और यदि यह कानून बन जायेगा तो हमारी यह कला आगे चल कर समाप्त हो जायेगी।

सभी मामलों में कानून द्वारा नहीं किया जा सकता, हमें वास्तविकताओं को समाप्त कर ना पड़ता है। नशाबन्दी लागू किये जाने के बाद लोगों की शराब पीने की आदत और बढ़ गई है और अवैध शराब तैयार करना एक कुटीर उद्योग बन गया है। इस विधेयक की भी यही स्थिति होगी, सोना दबा दिया जायेगा। जनता में सोने के मोह को कम करने के लिये सरकार पहनने का इतना अधिक मोह नहीं रहेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): स्वयं उप प्रधान मन्त्री की यह राय है कि इस तरह कानून समस्या की चुनौती का सामना करने में अधिक सहायक नहीं होगी उन्होंने जो विधेयक पेश किया है उससे न तो उन्हें और सभा को ही सन्तोष हो सकेगा। यह सही है कि सोना भारत में एक निजी बैंक का काम करता है। इस कानून से उस व्यक्ति-गत बैंक में लगाई गई पूंजी को अधिक उपयोगी कार्यों पर नहीं लगाया जा सकेगा।

यह एक सामाजिक-आर्थिक विधान है। लेकिन हमने भूतकाल में पारित कानूनों का इतिहास तथा भाग्य देख लिया है, उदाहरणार्थ, दहेज अधिनियम है, जिसे पारित तो किया गया लेकिन उसकी क्रियान्विति में सफलता नहीं मिली है और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सके। इसी प्रकार यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और जब तक सामाजिक अभिचेतना

जागृत नहीं की जाती कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं उप-प्रधान मंत्री से पूछती हूँ क्या उन्होंने अथवा कांग्रेसी नेताओं या देश में विरोधी नेताओं ने ऐसी सामाजिक अन्तर्भावना पैदा करने के लिये कुछ किया है कि सोना एक निष्क्रिय विनियोजन है और हमें अपनी बचतों का विनियोग सोना खरीदने में नहीं करना चाहिए।

इसलिये, यह आर्थिक-सामाजिक समस्या हल नहीं हुई है और विधान बनाने से हल नहीं की जा सकती है। जब उप-प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तब वह इस विधान को लाये थे जिसकी इस सभा तथा देश के सभी लोगों ने कड़ी आलोचना की थी और सभी दिशाओं ने इस पर भयंकर प्रहार किया था और परिणामस्वरुप उन्हें उसमें फेर-बदल करना पड़ा था। इस दृष्टि से इस विधेयक के पारित करने से कोई लाभ नहीं होगा जैसा कि वित्त-मंत्री समझते हैं।

मेरी धारणा यह थी कि इस विधेयक को वापस लिया जायेगा किन्तु ऐसा हुआ नहीं। मुझे इस बात का भारी दुख है कि इसे सभा के समक्ष ले आया गया है। फिर भी मैं दल के एक वफादार सदस्य के नाते उसके पक्ष में ही मत दूंगी चाहे मेरी भावनाओं को उससे ठेस ही क्यों न पहुंचे।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासक को मनमानी तथा व्यापक शक्तियां दी गई है जिसके परिणामस्वरुप जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी और उसे अनावश्यक रूप से तंग किया जायेगा। हम जानते हैं कि ऐसी ही शक्तियां प्रदान किये जाने के फलस्वरूप सीमा शुल्क विभाग और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग किस तरह काम कर रहे हैं जिनके इतने अधिक हस्तक्षेप के कारण उद्योगों का वांछनीय विकास नहीं हो रहा है। इसलिये प्रशासक को इतनी व्यापक शक्तियां देना वांछनीय नहीं है।

स्वर्णकारों अथवा वर्कर्स के लाइसेंस देने के प्रपत्र केवल अंग्रेजी में नहीं अपितु प्रादेशिक भाषाओं में भी छपवाये जाने चाहिए और आवेदकों को लाइसेंस दिये जाने चाहिए और उनके आवेदनपत्रों का निपटारा करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

विधेयक में खण्ड 34 तथा 25 को दृष्टि में रखते हुए खण्ड 17 बिलकुल अनावश्यक है और उसे हटाया जाना चाहिए। खण्ड 18, 28 तथा 2 (ख), (ग) और (घ) भी अनावश्यक हैं और उन्हें भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है, तो उससे बार-बार, पुनर्नवीकरण के समय, यह प्रमाणित करवाना कि वह वही व्यक्ति है, उपहासजनक है।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : यदि प्रजातंत्र का कोई अर्थ है, तो वित्त मंत्री को बहुमत का आदर करना चाहिए और प्रस्तुत विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष इस विधेयक के पूरी तरह खिलाफ थे और उन्होंने स्वर्णकारों को वचन दिया था कि इसे नहीं लाया जायेगा।

जहां तक विधेयक के उद्देश्य के इस नीति का सम्बन्ध है कि उसका उद्देश्य लोगों के दिमाग से सोने के प्रति मोह छुड़ाना है, कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता, लेकिन

असलियत तो यह है कि प्रस्तुत विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । वित्त मंत्री ने इस तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया, यह नहीं बताया कि इससे इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार होगी । वास्तव में विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि धार्मिक संस्थाएं सोने की मूर्तियां आदि बना सकती है । जब हम लोगों को इजाजत देते हैं कि वे त्यौहारों अथवा अन्य अवसरों पर सोने के इन मूर्तियों अथवा जर-जेवरों के साथ जलूस निकाल सकते हैं, तो इससे जनता का सोने से मोह कैसे हटेगा ? मैं समझता हूँ सरकार धार्मिक न्यासों तथा धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिये ऐसा कर रही है, लेकिन मेरा सुझाव है कि ऐसे जर-जेवर अथवा सोने को विशेष देवी-देवता अथवा ट्रस्टी के नाम पर खजाने में रखना अच्छा होगा ।

सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में लोगों को शिक्षित करने पर उनमें चेतना पैदा करने का हर सम्भव प्रयास करे । लेकिन सरकार बीमारी का इलाज अथवा उसका विश्लेषण न करके उसके लक्षण का इलाज कर रही है । जब तक सोने के रूप में आने वाली विदेशी मुद्रा के ड्रेन को भरा नहीं जाता, इन लक्षणों का इलाज होने वाला नहीं है ।

जब इस विधान को भारत रक्षा नियम, अध्यादेश तथा अन्य बातों के अन्तर्गत लाया गया था, तो राज्य सरकारों ने कहा था कि उन्हें स्वर्णकारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भारी कठिनाइयां उठानी पड़ेगी और उस पर केन्द्र ने वचन दिया था कि यह उसकी जिम्मेदारी है और सारा खर्च वही करेगी । आज अधिकतर राज्यों में स्थिति यह है कि स्वर्णकारों को राज्यों द्वारा केन्द्र की सहमति अथवा सलाह से दिये गये ऋणों की 10 प्रतिशत वसूली की तक संभावना नजर नहीं आती । इसलिये मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इसका स्पष्ट उत्तर दें कि यह किसकी जिम्मेदारी है । यह देखना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वे ऋण या तो वसूल किये जायें अथवा उसके हिसाब में उन्हें बट्टे-खाते में डाल दिया जाये और न कि राज्य सरकारों के हिसाब में, यह निश्चित रूप से एक बहुत गम्भीर समस्या है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इन ऋणों को वसूल करने की जिम्मेदारी केन्द्र की है न कि राज्य सरकारों की । क्योंकि स्वर्णकारों को दयनीय स्थिति में रखने की जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है । इसलिये जब वित्त का प्रश्न है, तो उसे पूर्णतया केन्द्र द्वारा बहन किया जाना चाहिए न कि राज्यों द्वारा ।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : While drafting the Bill this aspect was not taken into consideration that the majority of the population lives in the rural areas and it will result in great harassment to them, Secondly the **bonafides** of the goldsmiths and of those engaged in this profession were also doubted. It is quite improper to have such feelings against a particular community or profession.

The three objectives of this measure as stated were to wean away the lure of gold from public mind to check smuggling in gold and to reduce the price of gold. But all efforts made in this direction proved a failure and none of the objectives was achieved. I am sure this piece of legislation will also not be able to do any thing in the matter because the social obligation has not been built up. Social consciousness has not been evoked. Therefore a socio-economic problem like this should have been dealt with with this perspective in view. Tendency of the people in our country to feel attached towards gold and procure it by force of social obligations cannot be checked unless and until

something very effective is done to rouse the conscience of the country that gold is a dead investment and we should not divert our savings into gold.

The rural population is not in favour of this Bill. Goldsmithy is a profession of artistic things of precise nature. The Govt. should allow goldsmiths to continue their profession and concede all their demands put-forth by the Jaipur Conference of All India Goldsmiths' Association. There is a great demand of gold-ornaments in foreign countries. If the Government takes steps in the direction, I am sure this gold can very well be utilised even for earning foreign exchange.

With these words I request the Finance Minister to concede the demands of the All India Goldsmiths Association.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जब मैंने 1958 में वित्त मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला, इस सभा के कई लोग और मेरे सहयोगी तथा प्रधान मंत्री मुझ पर समय-समय पर दबाव डालते रहे कि मैं स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक लाऊं, क्योंकि सोना देश की अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था, इसके विभिन्न पहलुओं पर चार वर्ष तक विचार करने के पश्चात् मैं इस विधेयक को उस समय लाया जब कि देश में आपात् की स्थिति थी और मुझे यकीन था कि लोग इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में इसे लाने का सबसे अच्छा अवसर वही था। मैंने इस मामले पर बड़े-बड़े विद्वानों तथा पढ़े-लिखे लोग के साथ विचार-विमर्श किया और लोगों में भाषण दिये और खुली गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया। यह सच है कि लोगों ने पहले इसका विरोध किया लेकिन बैठक के अन्त में कहा "आप ठीक कहते हैं और आपको जरूर ऐसा करना चाहिए और आपको विरोधियों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए।" यदि मेरे मित्र अपनी पुरातनपंथी भावनाओं का परित्याग कर दें, तो जनमत शीघ्र ही इसके पक्ष में हो जायेंगे और लोग इस विधान का स्वागत तथा सराहना करेंगे।

ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब कि सामाजिक सुधार केवल कानूनों के माध्यम से आरम्भ हुए हैं और जो बाद में बहुत अच्छे समझे गये हैं—जैसे कि शारदा एक्ट। कार्यकारी समिति में भी कांग्रेस ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था और ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी व्यक्ति ने वचन दिया था, यह कानून नहीं बनाया जायेगा। उन्होंने केवल यह कहा था कि इसमें कुछ परिवर्तन किये जायेंगे, अथवा उस पर विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के कथन का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसके बाद इस मामले पर कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श किया गया था और इसे न लाने का कभी भी कोई आदेश नहीं मिला है। 1965 में इस सम्बन्ध में प्रवर समिति द्वारा 2 लाख अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और तत्पश्चात् इस समूचे मामले पर विचार किया था। उसके बाद 1965 में एक कानून पास किया गया था। यह सच नहीं है कि स्वर्णकारों से परामर्श नहीं किया गया था। उसके बाद भी इस सभा में इस मामले में कुछ शोर-गुल चलता रहा और इसलिये सरकार ने कुछ और रियायतें प्रदान की और 1966 में नये नियम बनाये गये क्योंकि उस समय आपात की स्थिति थी और जल्दी से विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये इसे अब लाया गया है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि सोने की तस्करी पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता नहीं है अथवा देश में लोगों को अधिकाधिक सोना रखने

अथवा खरीदने का प्रोत्साहन दिया जाये या विदेशी मुद्रा की हानि उठाकर बाहर से सोने की तस्करी करने दी जाये। जब ऐसी बात है तो फिर विधान बनाने की आवश्यकता कैसे नहीं है। आज जिन चीजों की तस्करी होती है उनमें 80 प्रतिशत केवल सोना होता है, क्योंकि सोना ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें तस्कर व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ हो सकता है। आज इस विधेयक का इतना तीव्र विरोध किया जा रहा है लेकिन कल को हम देखेंगे कि वह समाप्त प्रायः हो गया है। तब उस पर और अधिक नियन्त्रण किया जा सकता है। इसलिये इस कानून का अधिनियम ग्रन्थ में रहना आवश्यक है ताकि उसका सोने की तस्करी रोकने में धीरे-धीरे प्रयोग किया जा सके और सोने के प्रति मोह खत्म किया जा सके। माननीय सदस्य, यदि चाहें तो, लोगों का सोने के प्रति मोह छुड़ाने में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं।

ऐसा कहा गया है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का सोने के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन सच्चाई यह है कि चार महीने बाद सोने के दाम गिर गये थे। यह कहना ठीक नहीं है कि इस विधान से सोने के दामों में वृद्धि को रोकने में मदद नहीं मिली है। यदि इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं इसे अवश्य ही वापस ले लूंगा। परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयक से सरकार को सोने की तस्करी रोकने तथा ऐसे सोने को जब्त करने में मदद मिलेगी।

श्री स० मो० बनर्जी ने स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये प्राप्त हुए सोने के बारे में कुछ आक्षेप लगाये हैं। यदि उन्होंने इस बारे में पहले हिसाब मांगा होता तो मैं उसे पहले ही दे सकता था। सोने तथा सोने के आभूषणों के रूप में राष्ट्रीय रक्षा कोष को कुल 24.74 लाख ग्राम सोना प्राप्त हुआ था। इसमें से 22 लाख ग्राम को पिघला कर शुद्ध सोने के सरकारी भण्डार में जमा कर दिया गया है। शुद्ध सोने के अन्तर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से उसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपये बैठी जिसे राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा कर दिया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों से प्राप्त किये गये सोने और सोने के आभूषणों के बारे में कोई जांच की जायेगी ?

श्री रा० द्वो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय सदस्य के साथ तर्क में नहीं पड़ना चाहता। मैं उन्हें हिसाब बता रहा हूँ तो वह सुनना नहीं चाहते।

स्वर्ण बांड भी हैं और 5.4 करोड़ रुपये की राशि का वह सोना रिजर्व बैंक को बेच दिया गया है। शेष सोना विदेशों में बेच दिया गया है क्योंकि इससे अधिक पैसा प्राप्त हुआ। कुछ भाग अभी भी सरकार के पास पड़ा हुआ है जिसे बेचा नहीं गया है, क्योंकि उसका उस समय अच्छा मूल्य मिलने की आशा नहीं थी।

यह कहा गया है कि स्वर्ण नियन्त्रण से धीरे-धीरे स्वर्णकारों का व्यवसाय समाप्त हो जायेगा और बेरोजगारी फैल जायेगी। यहां पर स्वर्णकारों की संख्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा-कर

बताई गई है। उस समय के आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या 3½ लाख थी। उनमें से 2½ लाख व्यक्ति स्वर्णकारों के प्रमाण-पत्र ले चुके हैं। एक लाख के लगभग लोगों ने अन्य धन्धा करने के लिये सरकार से ऋण प्राप्त किये हैं।

श्री कन्डप्पन : कितनी राशि के ?

श्री मोरारजी देसाई : 10 करोड़ रुपये। इन ऋणों की राशि 10 करोड़ रुपये से कम नहीं है। हमने राज्यों को 14 करोड़ रुपये दिये थे जिनमें से 10 करोड़ दिये जा चुके हैं। स्वर्णकारों से निबटना राज्यों का काम है, केन्द्र का नहीं। हमने राज्यों को ऋण दिये हैं और उन्होंने सुनारों को ऋण दिये हैं। यदि राज्य उन्हें वसूल करने में लापरवाही करेंगे तो भारत सरकार को हानि होगी।

श्री कन्डप्पन : उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया है और बेकारी के कारण उन्होंने सारा ऋण खा-पी लिया है। मेरी राय में किसी सरकार को ऐसे ऋण को वसूल करने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि केन्द्रीय विधान के कारण ही वे बेरोजगार हुए हैं।

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना गलत है कि उनका रोजगार समाप्त हो गया है। स्वयं कुछ स्वर्णकारों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 14 कैरट का नियम समाप्त किये जाने के बाद उन्होंने अधिक कारोबार किया है और जब पुराने आभूषण बदलाए गये तो उन्होंने लोगों से मनचाहे पैसे वसूल किये। आज भी पहले से कम सोने के आभूषण नहीं है। सोने के आभूषण रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल 350 तोले से अधिक स्वर्ण आभूषण रखने वालों को अपने आपको रजिस्टर कराना होता है और उनका विवरण देना होता है। वे उन्हें रख सकते हैं, बेचना चाहें तो बेच सकते हैं या नए आभूषण बनवा सकते हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब भी आभूषण बनवाए जा रहे हैं। इसलिए स्वर्णकारों का धन्धा समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

श्री नम्बियार : उनकी बड़ी दयनीय दशा है। उनके ऋण माफ कर दिये जाएं।

श्री मोरारजी देसाई : माफ करने का प्रश्न ही नहीं है। उन्हें विधिवत् रूप से वसूल किया जायेगा। मैंने उन्हें कुछ छूट दी है। यदि वे अपने इस पेशे को पुनः अपनाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। वे अपने ऋण इस पेशे को पुनः अपनाने और पैसा कमाने के बाद दे सकते हैं। उन्होंने एक वर्ष की अवधि की मांग की थी परन्तु संयुक्त समिति में मैंने उन्हें इसे दो वर्षों तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। मैंने यह भी छूट दे दी है कि प्रमाणपत्र जीवन भर के लिये वैध होगा और उसे प्रत्येक वर्ष नया कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर्णकार का पुत्र जिसने पीछे एक वर्ष तक सुनार का काम किया है इस पेशे को अपना सकता है। इसलिये स्वर्णकारों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती ही जायेगी और यह धन्धा ज्यों का त्यों बना रहेगा।

यह भी तर्क पेश किया गया है कि सोने के अभाव के कारण यह धन्धा समाप्त हो जायेगा। हम सोने की तस्करी समाप्त करना चाहते हैं और इसके समाप्त होने से बाहर से सोना नहीं आ सकेगा, और हमारे यहां नहीं के बराबर ही सोना निकलता है। फिर भी स्वर्णकारों को काम की कमी नहीं होगी क्योंकि कुछ लोगों द्वारा लगाए गये अनुमान के अनुसार देश में लगभग 3000 करोड़ रुपये के मूल्य के स्वर्ण आभूषण हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि ये आंकड़े सही हैं। परन्तु ऐसा ख्याल किया जाता है कि इतने सोने के आभूषण है और प्रति. वर्ष 150–200 करोड़ रुपये के मूल्य के स्वर्ण आभूषण बदलवाए जाते हैं या बेचे जाते हैं। इसलिये उनका धन्धा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त वे चांदी, हीरों तथा मोतियों का काम भी करते हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पीतल आदि के भी आभूषण बनाए जाते हैं।

स्वर्णकारों का पक्ष संयुक्त समिति में पेश किया गया है और उनकी आपत्तियों तथा सुझावों को ध्यान में रख कर वर्तमान नियमों में काफी परिवर्तन किये गये हैं।

स्वर्णकारों द्वारा आत्महत्याएं मार्च और अगस्त, 1963 के बीच ही की गई है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उस अवधि में ऐसे 17 मामले हुए थे और उन 17 मामलों में से कई आत्म-हत्याएं किसी और कारण से ही की गईं थीं। यह बात नहीं है कि हमें इनसे दुःख नहीं पहुँचा है। परन्तु माननीय सदस्यों ने जो आंकड़े बताए हैं वे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताए गये हैं।

यह बात नहीं है कि केवल हमारे देश में ही इस तरह का विधान है। संसार के अधिकांश देशों में मनचाहा सोना रखने तथा उसके निर्बाध व्यापार की अनुमति नहीं है। 1929 की आर्थिक मन्दी के बाद अमरीका में भी सोने को शुद्ध करने, उसके प्रयोग तथा उसे रखने पर प्रतिबन्ध लगाए गये थे। वे प्रतिबन्ध हमारे द्वारा लागू किये गये प्रतिबन्धों के समान ही थे। यदि यह महसूस कर लिया जाये कि यह मेरे दिमाग की ही उपज नहीं है तो माननीय सदस्यों की गलतफहमी दूर होने की काफी गुंजायश है।

यह कहा गया है कि प्रशासक को शक्तियां दिये जाने से लोगों को परेशान किया जा सकेगा। परन्तु ये शक्तियां किसी न किसी को तो अवश्य ही सौंपी जानी है। संयुक्त समिति में कहा गया था कि सरकार के पास ये शक्तियां नहीं रहनी चाहिये और केवल प्रशासक के पास ही ये शक्तियां रहनी चाहिये। हमने उसे मान लिया। ये शक्तियां ऐसी हैं जिनसे उन्हीं व्यक्तियों को तंग किया जा सकता है जो तस्करी करते हैं, अन्य व्यक्तियों को नहीं। यदि किसी अधिकारी को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि प्रशासन में अभी यहां तक सुधार नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि अब लोगों को परेशान नहीं किया जाता है। उनके इस कथन में कुछ सचाई हो सकती है। प्रशासन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और मैंने कई व्यक्तियों से सुना है कि वित्त मंत्रालय में लगातार सुधार हो रहा है। यदि तंग किये जाने का कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो हम अवश्य ही उसकी जांच करेंगे। माननीय सदस्यों को प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिये जिससे उसमें जो दोष हैं वे दूर हो सकें। इस

तरह का दृष्टिकोण यदि माननीय सदस्य अपनाएंगे तो प्रशासन अवश्य ही सुधर जायेगा और फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री यशपाल सिंह का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को 31 दिसम्बर, 1968 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस समय इस विधेयक को 31 मार्च, 1969 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, 'कि लोक समाज के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग तथा इन्हें रखने और इनके व्यापार पर नियंत्रण के लिए उपबन्ध करने के लिए तथा तत्संबंधी अथवा आनुषांगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok-Sabha divided ·

पक्ष में 126, विपक्ष में 89।

Aye 126 Noes 89

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री सूरजभान (अम्बाला) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I move my amendments Nos. 141 and 142.

श्री यशवन्तसिंह कुशवाह (भिंड): मैं अपना संशोधन संख्या 232 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 233 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : If my amendments are not accepted, the goldsmith will be faced with many difficulties. I admit tbat the hon. Finace Minister is a strict administrator.

But sometimes it is beneficial foı the administration of the country to adopt a softer attitude. I request him to accept these amendments of mine.

श्री मोरारजी देसाई : मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री स० मो बनर्जी : मन्त्री महोदय को संशोधन संख्या 4 स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ? हमने संयुक्त समिति में भी यह निवेदन किया था ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे तो सारा इरादा ही बदल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendments No. 4 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री नारायण दांडेकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 14—'Act' ('अधिनियम') के बाद ये शब्द जोड़ दिये जाये ।

"Other than the powers under sub-section (6) of this section or under clause (a) of sub-section (1) of section 80 or under section 81".

["इस धारा की उपधारा (6) के अन्तर्गत या धारा 80 या धारा 81 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत शक्तियों के अतिरिक्त") (200)

मेरे संशोधन का अभिप्राय हीन बातों में प्रशासक को अपनी शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी को सौंपने से रो ना है ।

श्री मोरारजी देसाई : शक्तियां किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी जाएंगी। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री नारायण राव : प्रशासक की बजाय सरकार को स्वयं ये शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने का अधिकार होना चाहिये। उसे यह शक्ति अपने पास ही रखनी चाहिये।

श्री नम्बियार : किसी मामले में प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा और सरकार को अपील की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस खण्ड के उपखण्ड द्वारा उसको अपनी शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने का अधिकार दिया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने यह संशोधन स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 14, 'Act' ('अधिनियम') के पश्चात

"Other then the powers under sub-section (6) of this section or under clause (a) of sub-section (1) of section 80 or under section 81".

"इस धारा की उपधारा (6) अथवा धारा 80 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अथवा 81 के अन्तर्गत शक्तियों के अतिरिक्त शब्द जोड़े जावें,, (200)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, 'कि खण्ड 4, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4, as amended, was added to the Bill

खण्ड 5-(अनुदेश तथा आदेश जारी रखने की प्रशासक की शक्तियां)

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 126 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : प्रशासक को खण्ड 5 (1) के अन्तर्गत अधिकार दिए गए हैं तथा खण्ड 115 के अन्तर्गत भी वैसे ही अधिकार दिए जा रहे हैं। इसे इतने खण्डों में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपखण्ड (1) निकाल दी जानी चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : आप प्रशासन को असीमित शक्तियां दे रहे हैं और ये शक्तियां कई धाराओं में दी जा रही है। खण्ड 5 (2) (ख) के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 में मिले सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा उपबंध असंवैधानिक है, यह कहना कि सम्बन्धित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, बहुत ही क्रूरता पूर्ण है, क्योंकि सम्बन्धित पक्ष छोटे स्वर्णकार हैं।

श्री मोरारजी देसाई : खण्ड 5 (एक) आवश्यक नहीं है। अतः मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। यह कहना बिलकुल गलत है कि खण्ड (ख) मूल अधिकारों के विरुद्ध है। मेरे विचार में तथा विधि मंत्रालय के विचार में यह पूर्णतया संवैधानिक हैं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 5 के संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60 तथा 126 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

Shri Hukam Chand Kachwai : I move amendment No. 143. This clause relates to maintenace of accounts. When greater powers are vested in officers, they harass all sorts of persons. A majority of goldsmiths can not afford to have accounts. I therefore request that clause (1) and (2) should be deleted.

श्री नम्बियार : यह बड़ा व्यापक उपलब्ध है। ग्रामों में लोग सोना अपनी आवश्यकता के समय गिरवी आदि रखने के लिये रखते है। यदि आप यह उपबन्ध रखें कि जिसके पास सोना गिरवी रखा जाये, वह इस सम्बन्ध में सभी तथ्य बताये, तो इससे बडी कठिनाई हो जाएगी। स्वर्ण नियंत्रण अथवा उसके अभिकर्त्ता जिसे चाहें, आंतरित कह सकेंगे। अतः मैं श्री कछवाय के संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : यह प्रतिबन्ध ऋणदाताओं पर लागू होगा। मैं नहीं समझता कि उससे उसे क्या कठिनाई होगी ?

श्री पी० राममूर्ति : यह ठीक है कि सभी ऋणदाताओं को जो सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं, हिसाब रखना चाहिये। परन्तु यदि ऋण देने वाला किसान हो तो यह कहना कि उसे भी हिसाब रखना चाहिये, उचित नहीं है।

Shri K. N. Tiwary (Betiah) : The Minister should accept this amendments. A limit should be fixed above which the clause should be applicable,

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon): Many people hypothecate their Jewellery with their relatives and they do not go to money lenders. This clause will creat hardship for them, I hope the Minister will accept this amendment.

श्री मोरारजी देसाई : इसमें निर्धन कृषकों के सम्बन्धित होने का कोई प्रश्न नहीं है। हम कृषकों को दंड नहीं दे रहे अथवा उन्हें आतंकित नहीं कर रहे परन्तु यदि कोई कृषक यह कार्य व्यापार के रुप में करता है, तो उसे छूट नहीं दी जाएगी।

Shri Abdul Gani Dar : After the Act has been passed, the matter will not be left in the hends of the Minister. The power will vest in officers.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : The people hypothecate their jewellery in case of need and they obtain a receipt for the same. Now, unscrupulous money lenders will not issue any receipt to avoid this clause, which may also endanger the confiscation of ornaments. I, therefore, request that this provision may apply to urban areas but It should not apply to rural area.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : खन्ड 6 के ध्यान पूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि उसमें "सामान्यतः व्यापार करने वालों" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः यदि कोई अधिकारी एक दो बार धन उधार देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करे तो यह उचित ही होगा। आशा है कि माननीय वित्तमन्त्री इस बात पर विचार करेंगे और एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। यदि 'जो व्यापार करता हो अथवा जिसके पास व्यापार करने का लाइसेंस हो' शब्द जोड़ दिये जाये, तो बात स्पष्ट हो जाएगी।

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone) : Everyone knows that the villagers are badly in the grip of money lenders. If any leniency is shown on this clause and there is no record of hypothecation of gold with any government officers, the money lenders will get an opportunity to exploit the people. I request Shri Morarji Desai to pass this caluse in its present form,

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I have much experiences of the misuse of such powers. Here, in this case no time limit has been fixed and the officer has been given blanket powers to call for accounts whenever he likes. I request that a limit should be fixed beyond which it should be necessary to file the returns. I hope, the Minister will accept the amendment.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : The poor goldsmith used to earn their livelihood through this profession but as a result of Gold Control Ordinance they have been deprived of their livelihood. On the other hand the jewellers have benefited thereby.

श्री क० नारायण राव : (बोब्बिली) : इस उपबन्ध का उद्देश्य कुछ व्यापारियों के ऋण देने के कार्य को विनियमित करना नहीं है। यह उपबन्ध तस्कर व्यापार का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिये रखा गया है, उनसे केवल यही आशा की जाती है कि वह हिसाब रखे ताकि सरकार का कार्य सरल हो जाये। मेरे विचार में यह समूचा उपबन्ध बिलकुल आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति प्रविष्टि करना भूल जाए तो यह समझा जाएगा कि उसके पास गैर कानूनी सोना है।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The words "any person" in the second line of this cluse should be changed to "licensed moneylender". The words "to the satisfaction of such officer' have been used in the cluse. These words should not be included in the clause. No one should be harassed because of this clause.

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस खन्ड का उद्देश्य तस्कर व्यापार को रोकना है, सीमा के निकट के क्षेत्रों में तस्कर व्यापार होता है, इस खण्ड में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये । अन्य क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिये ।

Shri O. P. Tyagi (Muradabad) : The words "any person" will create great coufusion and people will be harassed thereby. The words "any person' should be substituted by the words 'professional monylender' or 'licensed moneylender'.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There is no substance in the argument that this clause is against the farmers or villages. A provision should be incorporated to the effect that an villagers can pledge his ornaments to his neighbourer and get rupees one hundred or two hundred. There should be an exception for bonafide persons.

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : The hon. Member has not followed its implications. The emphasis in this clause is on the words "any person". These words should be substituted by 'moneylender".

श्री मोरारजी देसाई : यह उपबन्ध 2 नवम्बर, 1956 से हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये गये । किसी पड़ौसी अथवा मित्र के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये जायेंगे । हम इस सम्बन्ध में उचित नियम बनायेगें ताकि किसी को कोई परेशानी न हो । सरकार को प्रशासक को हिदायतें देने के अधिकार हैं । कोई सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, प्रशासक वित्त मन्त्रालय में काम करेगा और इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उस पर तुरन्त नियंत्रण न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 143 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

Shri Rabi Ray (Puri) : At the time of discussion regarding Czechoslovakia this morning it was decided that discussion will take place today. But we don't know at what time the hon. Prime Minister will make a statement. Hence she should be asked to make a statement on this matter of vital importance.

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ माननीय प्रधान मन्त्री जी 5 बजे शाम को अपना भाषण देंगी ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : आज सुबह हमारे और अध्यक्ष महोदय के बीच यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सभा को अपने विचार व्यक्त करने का आज अवसर प्रदान किया जाएगा । इस सम्बन्ध में हम प्रधान मन्त्री को भी मिले थे । मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये । क्योंकि चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता के बारे में बाद से चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री मोरारजी देसाई; जैसा कि अभी कहा गया है, चर्चा आज शाम को 5 बजे आरम्भ होगी ।

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 6 को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है:

'कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 6 added to the Bill

खण्ड 7 विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8-(सोना लेने, रखने और बेचने पर प्रतिबन्ध)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपने संशोधन संख्या 61 और 62 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मै अपने संशोधन संख्या 75 और 76 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मै अपने संशोधन संख्या 86, 87, 88, 89, 90 तथा 201 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मै अपना संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशखापत्तनम्): मै अपने संशोधन संख्या 234 तथा 235 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : खण्ड 8 में शुद्ध सोना (प्राइमरी गोल्ड) रखने पर प्रत्येक व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । परन्तु मान लीजिये किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार अथवा उपहार के रूप में सोना प्राप्त हो जाता है तो वह इसमें क्या कर सकता है । वह इसके लिए उत्तरदाई नहीं है, परन्तु फिर भी उस पर उस सोने को लेने के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

तब उप खण्ड 4 ऐसी वस्तुओं के बारे में है जो सोने की तो बनी हुई है परन्तु आभूषणों के रूप में काम में नहीं लाई जाती है । आभूषण ऐसी वस्तुओं को कहते जो लोग अपने अपने स्थान के रस्मों रिवाज के अनुसार पहनते हैं । इसलिये जहां तक ऐसी वस्तुओं का सम्बन्ध है जो महिलाओं अथवा पुरुषों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है । उन्हें लोग इच्छा पत्र के बिना अथवा इच्छापत्र के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं परन्तु मेरा निवेदन यह है कि आभूषणों के

मामले में यह विशेषाधिकार क्यों नहीं दिया गया है। क्योंकि महिलाओं को अपने माता पिता से वस्तुओं मिलती है। इसलिये मेरा सझाव है कि इस खण्ड के अन्त में "इच्छाहीन अथवा इच्छा पत्र के अनुसार उत्तराधिकार के रुप में मिलने के आपवाद में' शब्द जोड़ दिए जाएं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey : In my amendment I have suggested that the number of coins should be raised from five to ten and the total should be raised from 50 grams to 100 grams.

श्री नारायण दांडेकर : सबसे पहले मै अपना संशोधन संख्या 87 लूंगा। मेरे संशोधन में भी वही बात बताई गई है जो श्री श्रीनिवास मिश्र ने यहां बताई है कि यह बहुत भूल की गई है कि किसी वस्तु को लेने की तो अनुमती दी गई है परन्तु किसी आभूषण को नहीं। अतः मन्त्री महोदय इस भूल का सुधार किसी भी तरह से कर सकते है।

इस के बाद मैं संशोधन संख्या 86 और 88 को तथा 89 को लेता हूं। इसके उपखण्ड (2) उपखण्ड 3 तथा उपखण्ड 4 की योजना के अन्तर्गत एक स्पष्ट ब्यानी करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार वस्तुओं आदि को खरीदने अथवा बेचने के तरीके की तुलना में आभूषण कैसे लिये अथवा बेचे जा सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि माननीय उप प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि इसमें व्यावसायिक लोगों का सम्बन्ध नहीं है, बल्कि साधारण व्यक्तियों का है। अभी ही एक माननीय सदस्य वस्तु तथा आभूषण में कोई अन्तर नहीं समझ रहे थे, क्योंकि आभूषण भी एक वस्तु ही होती है, परन्तु स्वर्ण नियंत्रण विधेयक में दोनों में बहुत अन्तर है।

अब मेरा निवेदन यह है कि उप-खण्ड (3) और (4) में दिए गये उपबन्धों को जिनका सम्बन्ध वस्तुओं से है, वहां से निकाल दिया जाय तथा वस्तुओं के बारे में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाये जो आभूषणों के बारे में अपनाई जाती है। यह तभी सम्भव हो सकता है यदि मेरे संशोधनों स्वीकार कर लिया जाय।

अब मैं अपना संशोधन संख्या 201 लेता हूं।मैं जानता हूं कि उप प्रधान मंत्री ने मेरे सुझावों को अस्वीकार कर दिया था परन्तु मैं अब फिर विचारार्थ उन्हें प्रस्तुत करता हूं। परन्तु यदि किसी कारण वह उन्हें अब भी स्वीकार नहीं कर सकते तो उन्हें कम से कम मेरा संशोधन संख्या 201 स्वीकार कर लेना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि साधारण व्यक्ति के लिए प्रसाशक की अनुमति लेकर किसी वस्तु को देना कठिन होता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि उस पर केवल प्रशासक को सूचना देने की ही शर्त लगा देनी चाहिए।

अब मैं उप खण्ड 5 से सम्बन्धित संशोधन पर आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिक्कों को हस्तान्तरित करने के बारे में है। मुझे खेद है कि पहले तो मैंने खण्ड को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था और मैंने अपना संशोधन वापिस ले लिया था। परन्तु अब मैं समझा हूं कि इसका दायित्व लेने वाले और देने वाले दोनों पर होता है। कोई भी व्यक्ति उपहार के रूप में किसी सीमा तक सोने के सिक्के दे सकता है परन्तु प्राप्तकर्त्ता के पास उसे मिलाकर 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि इससे लोगों को विवाह

शादियों में बहुत कठिनाई होगी। अतः मेरा यह सुझाव है कि इसके पिछले भाग को हटा दिया जाना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : यह खण्ड केवल स्वर्णकारों के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि इस देश के 52 करोड़ लोगों के विरुद्ध। इससे मिलकियत, खरीद और बिक्री के बारे में उन पर विभिन्न उत्तरदायित्व आ जाते हैं। इस कानूनी सिद्धान्त को दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कानून का पता न होने से तत्सम्बन्धी दण्ड को माफ नहीं किया जा सकता। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस कानून को जिस में 117 खण्ड हैं साधारण व्यक्तियों पर कैसे लादा जा सकता है। अतः इसे या तो बिल्कुल ही समाप्त किया जाना चाहिये अथवा उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय उप प्रधान मन्त्री को यह समझना चाहिये कि चाहे इस कानून के एक भाग को ही लागू किया जाये परन्तु इस से अधिकारियों को बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है। 1966 में जब आंकड़े इकट्ठे किये गये तो पता चला कि तीन वर्षों की अवधि में सारे देश में केवल 97 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था। अतः मैं यह चाहता हूं कि ऐसे कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिये जिसे समझना कठिन हो। अतः इस बारे में भी लोगों को अधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं खण्ड 8 के बारे में कुछ बातें उप प्रधान मन्त्री को कहना चाहूंगा। मेरा निवेदन यह है कि यह उत्तरदायित्व बेचने वाले व्यक्ति पर होने चाहिये कि जो चीज वह बेच रहा है उसे घोषणा-पत्र में शामिल की गई है। इसका उत्तरदायित्व खरीददार पर नहीं होना चाहिये जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं समझता हूं कि उप- प्रधान मन्त्री को इस खण्ड में संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा खरीददार सम्बन्धी उपबन्ध को निकाल देना चाहिये क्योंकि इसका उत्तरदायित्व विक्रेता पर आता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : खण्ड 8 के उप खण्ड (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो अपने पास शुद्ध सोना रख सकता है तथा न वह उसे खरीद सकता है, ले सकता है अथवा उसे बेच सकता है। इस विधेयक के बारे में सब से पहली आपत्ति तो यह है कि इस विधेयक के अनुसार कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने पास सोना नहीं रख सकता।

इस विधेयक का उद्देश्य तो यह है कि सोने का तस्कर व्यापार न हो तथा सोने के जेवरात बनाने वाले व्यक्तियों अर्थात सुनारों को सोने के तस्कर व्यापार में प्रयोग में न लाया जाये। परन्तु यह बात बहुत आपत्तिजनक है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शुद्ध सोना नहीं रख सकता। इसके अलावा एक और आपत्तिजनक बात यह है कि उप खण्ड 6 में एक अपवाद है कि प्रशासक किसी व्यक्ति अथवा किसी वर्ग के लोगों को छूट दे सकता है। अतः मेरा यह निवेदन है कि प्रशासक की इच्छा पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसलिये यह खण्ड सभी पहलुओं को देखते हुए आपत्तिजनक है।

तब इस खण्ड में शुद्ध सोने और घोषणा-पत्र में शामिल किये जाने वाले तथा उसमें शामिल न किये जाने वाले आभूषणों में अन्तर किया गया है। इस खण्ड की मूल आपत्ति

यह है कि, इससे साधारण व्यक्ति को अपने पास सोना रखने से मना किया गया है जो इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है ।

साधारण व्यक्ति के लिये यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि किसे घोषणा-पत्र में शामिल करना है और किसे नहीं । खण्ड 16 में केवल प्रक्रिया बताई गई है । यह खण्ड बहुत पेचीदा खण्ड है । यह खण्ड इस पुस्तक के 4½ पृष्ठों में छपा हुआ है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ऐसे कानून को सरल बनाया जाना चाहिये जिस में कई धारायें हों जिनसे दण्ड दिया जाता हो । माननीय मन्त्री का यह कहना ठीक नहीं है कि चूंकि यह चीज तीन वर्षों से लागू है इसलिये लोग इस से परिचित हैं । पिछले अनुभव से पता चलता है कि लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि किस-किस को घोषणा-पत्र में शामिल करना है और किस-किस को नहीं । मैंने तो यही देखा है कि लोग इन वर्षों में हमेशा सन्देह में ही पड़े रहे हैं । लोगों को तो यह आशा थी कि भारत रक्षा नियमों के समाप्त होने पर स्वर्ण नियंत्रण आदेश भी समाप्त हो जायेगा । परन्तु उसे समाप्त नहीं किया गया है क्योंकि वित्त मन्त्री यह समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही ठीक हो सकती है । फिर भी मेरा निवेदन यह है कि कानून बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये तथा उसे जनसाधारण पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लागू किया जाना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : इस खण्ड पर प्रवर समिति में भी चर्चा हुई थी परन्तु बहुत विचार करने के बाद भी मैं इस सुझाव को स्वीकार न कर सका । आज भी सब कुछ सुनने के बाद मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता । योजना तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास शुद्ध सोना नहीं होना चाहिये, परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रशासक को इसलिये शक्ति प्रदान की गई है क्योंकि शुद्ध सोने की कभी-कभी औद्योगिक प्रयोजनाओं और कभी-कभी औषधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यकता होती है । इसलिये प्रशासक को शक्ति प्रदान की गई है जिस लिये इस खण्ड का होना आवश्यक है । कोई भी व्यक्ति नई वस्तुयें नहीं ले सकता । परन्तु ऐसा प्रतिबन्ध जेवरात के बारे में नहीं है । वस्तुओं के मामले में उत्तराधिकार की इसलिये अनुमति दी गई है क्योंकि उन्हें अन्यथा नहीं लिया जा सकता ।

श्री नारायण दांडेकर : जिस प्रकार किसी वस्तु को उत्तराधिकार से लिया जा सकता है वैसी व्यवस्था उत्तराधिकार से आभूषण प्राप्त करने के बारे में न होने के क्या कारण हैं ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : एक कठिनाई यह है । मान लो किसी व्यक्ति के पास कुछ आभूषण हैं । उसने उन्हें घोषित नहीं किया है । क्या वह उसे अपने बच्चों को दे सकता है ? यदि नहीं तो उन आभूषणों का क्या होगा ? क्या सरकार उन आभूषणों को इस लिये ले लेगी कि उनकी घोषणा नहीं की गई है ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि घोषणा न की गई हो तो उन्हें जब्त कर लिया जायेगा । इसीलिये यह व्यवस्था की गई है । इसका यही उद्देश्य है ।

श्री क० नारायण राव : पिता की गलती का अपराध बच्चों को क्यों भुगतना पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : बात यह है कि पिता ने अपने सारे जीवन में उन आभूषणों को घोषित क्यों नहीं किया। इसलिये उन्हें अवश्य जब्त कर लिया जाना चाहिये।

दूसरे अघोषित आभूषणों को बेचने से यह स्थिति पैदा हो जायेगी कि उनको बार बार बेचा जाने लगेगा। जिससे इस कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

सभापति महोदय : आपकी अनुमति से मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The Amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10

मूल स्वर्ण अथवा अघोषित स्वर्ण को रहन रख कर ऋणों का न लिया जाना।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 128 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : (कटक) खण्ड 10 एक प्रतिबन्ध लगाने वाला खण्ड है। मुझे इस खण्ड के उपबन्ध पर आपत्ति है। इसमें कहा गया है जिन स्वर्ण आभूषणों को घोषणा में शामिल करना आवश्यक नहीं है उनको हस्तान्तरित करते समय प्रशासक को लिखित रूप में सूचना देना आवश्यक है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

सब जानते हैं कि भारत में केवल 20 प्रतिशत व्यक्ति ही पढ़े–लिखे हैं। अतः शेष इस बारे में कैसे सूचना देंगे? और वे दें भी क्यों? परन्तु इस उपबन्ध में यह प्रतिबन्ध हर व्यक्ति पर लगाया गया है। खण्ड 16 में कुछ वस्तुएं घोषणा से निकाल दी गई हैं, फिर उनके बारे में लिखित सूचना लेने की क्या आवश्यकता है। अतः पंक्ति 1--4 इस खण्ड से निकाल दी जायें।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) उप-प्रधान मन्त्री भारतीय लोगों की विद्वता के बारे में कुछ भी समझें, परन्तु एक सामान्य व्यक्ति को यह मालूम नहीं हो सकता कि घोषणा में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। (व्यवधान) अतः वित्त मन्त्री इस तथ्य को समझकर यह प्रतिबन्ध उन व्यक्तियों पर से हटालें जिन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं हो सकता कि कौनसी वस्तु घोषणा में शामिल है और कौनसी नहीं।

दूसरी बात यह है कि गांवों में प्राय: 80 प्रतिशत लोग सरकारी बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों से नहीं प्रत्युत सामान्य साहूकारों से लेन-देन करते हैं तथा वे लोग उनसे स्वर्ण जमा कराने को कहते हैं।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** *in the Chair* }

प्राय: सारे देश में इसी प्रकार उधार का लेन देन चलता है। अतः उप प्रधान इस प्रकार की शर्तें मत लागायें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह एक बहुत ही बुरा उपबन्ध है। इसका अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति घोषणा में सम्मिलित होने वाली किसी भी स्वर्ण की वस्तु को रहन आदि रखकर उधार नहीं ले सकता, जब तक कि वह वस्तु घोषणा में शामिल न कर ली जाये। परन्तु कोई कैसे जान सकता है कि कौन-कौन सी वस्तुएं घोषणा में शामिल हैं। हर व्यक्ति के लिये यह जान सकना असम्भव है। अतः यह प्रतिबन्ध अस्पष्ट तथा निरर्थक है। अतः आप इस खण्ड को संशोधित करने के लिये मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : As per proviso of clause 10 every body who wants to sell or transfer his articles or gold ornaments will have to go to the Administrator. It is Just like enslaving the people. Proper accounts might be required for the articles included in the declaration but there should be no restrictions on other artidles. I, therefore, oppose the proviso to this clause.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : इस उपबन्ध के कारण भोले भाले लोग कानून के पंजे में फंस जायेंगे क्योंकि इस उपबन्ध में दण्ड का विधान है जबकि लोगों को यह नहीं पता लगेगा कि कौनसी वस्तु घोषणा में शामिल है और कौनसी नहीं। वित्त मन्त्री महोदय को भोले-भाले लोगों को कानून के पंजे में लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। किसी भी माध्यम से घोषित वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। ये लोग हरबार प्रशासक के पास आकर पूछ नहीं सकेंगे तथा वह भी इन्हें एक दम नहीं बता सकेगा। ऐसी स्थिति में लोग परेशान होंगे। अतः इस खण्ड को या तो परिवर्तित कर लिया जाये अथवा छोड़ दिया जाये।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : पहले तो यह बात स्पष्ट हो जाये कि इस धारा के द्वारा ऋण लेने वाले का ही कोई कर्तव्य बनता है। अतः ऋण दाता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। जो व्यक्ति इसकी सूचना न देगा उसे दण्ड मिलेगा। परन्तु कठिनाई यह है कि यह कैसे मालूम पड़े कि कौन सी वस्तु पर छूट है तथा कौन सी वस्तु पर नहीं। खण्ड 16 के

अन्तर्गत एक परिवार 4,000 ग्राम स्वर्ण रख सकता है, परन्तु इतने स्वर्ण के तो विभिन्न भार के अनेक आभूषण आदि हो सकते हैं। अतः कैसे मालूम पड़े कि कौनसी वस्तु पर छूट है। मेरे विचार से इस उपबन्ध को लागू करने में बड़ी कठिनाई आयेगी।

श्री मोरारजी देसाई : मेरा निवेदन है कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि मूल स्वर्ण किसी के पास नहीं रहे। अतः कोई व्यक्ति किसी अन्य से रहन, वायदे आदि पर मूल स्वर्ण कैसे ले सकता है। वह नहीं ले सकता। और हां, लेने वाला देने वाले से पूछ सकता है कि अमुक वस्तु घोषित है अथवा नहीं। वह जांच करे। यह अधिनियम यह जिम्मेवारी लगाता है। यदि कोई वस्तु चोरी आदि की हो तो इसके लिये लेने वाले को पहले जांच भी तो करनी होती है। अतः यह बड़ा आवश्यक है। इस उपबन्ध में संशोधन संयुक्त समिति में किया गया था। पहले इसमें प्रशासक की पूर्व अनुमति लेने का विधान था। अब केवल सूचना देना होती है। अतः मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लोबो प्रभु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 128 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 10 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 11 पर विचार करेंगे।

खण्ड 11

मूल स्वर्ण की वस्तुएं, आभूषण आदि के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 129 प्रस्तुत करता हूँ, तथा प्रस्ताव करता हूं कि पंक्ति संख्या 8-16 इस खन्ड से निकाल दी जाये।

जब मैंने खण्ड (4) के बारे में संवैधानिक आपत्तियां प्रस्तुत की थीं तथा उप प्रधान मन्त्री को वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करने की प्रार्थना की तो उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इस

खण्ड के असंवैधानिक होने के आधार प्रस्तुत करने को कहा था। परन्तु इसके लिये यथेष्ट वातावरण की आवश्यकता है। केवल पांच मिनट में मैं यह कुछ नहीं कर सकता, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि खण्ड 11 स्वर्णकारों तथा इस धन्धे में लगे अन्य लोगों पर पूरा नियन्त्रण करना चाहता है तथा संविधान की धारा 19 (जी) के विरुद्ध है, जिसमें हर नागरिक को कुछ अपवाद छोड़कर किसी भी व्यवसाय, व्यापार, धन्धे आदि के करने के लिये छूट दी गई है। इस विधेयक के लिये दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं—एक तो यह कि यह सामान्य जनता के हित में हो तथा दूसरे यह कि ये शर्तें संगत हों। इस विधेयक को भली प्रकार समझने के लिये सारे ही विधेयक का अध्ययन करना आवश्यक है। इस विधेयक के लिये तीन कारण किये गये हैं—यह तस्करी को रोकेगा, यह स्वर्ण के प्रति मोह को घटायेगा तथा सरकार के धन स्रोतों में वृद्धि करेगा। परन्तु ये तीनों कारण अनुभव की कसौटी पर असफल हुए हैं। सोने के दाम बहुत ऊंचे बढ़ गये तथा इसी के साथ ही तस्करी में वृद्धि हुई है। सामान्य जनता का कोई हित नहीं हुआ।

स्वर्ण के प्रति लोगों का मोह घटाने वाली बात भी झूठ ही सिद्ध हुई क्योंकि आज लोग स्वर्ण का मूल्य पहले से 70 प्रतिशत अधिक देने को तैयार हैं। तीसरा कारण था सरकार की आर्थिक आय बढ़ाना सो यह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि यद्यपि आर्थिक स्थिति सुधरी है, विदेशी मुद्रा बढ़ी है, फिर भी तस्करी में इस कदर वृद्धि हुई है कि ये दोनों उद्देश्य विफल हो गये हैं।

अब मैं उप प्रधान मन्त्री से यह पूछता हूं कि इससे जनता का कौनसा हित पूरा हुआ है। क्या लोगों का अधिक गुप्त ढंग से ऋण लेने, अधिक ब्याज दर देने, अपनी अनभिज्ञता के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने अथवा नित्य प्रति आत्म हत्या करने को बाध्य होना ही जनता का हित है।

अगला उपबन्ध न्यायसंगत प्रतिबन्ध के बारे में है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सवा पांच बज गये हैं।

चैकोस्लोवेकिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आज जो चैकोस्लोवेकिया में हो रहा है उसकी सूचना सभा को मैं बड़े भारी मन तथा गहरी चिन्ता से दे रही हूं।

संसार में हम स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के पोषक हैं, अतः प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता के हम समर्थक रहे हैं। अपना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये हमने अपने कुछ सिद्धान्त

बना रखे हैं, इन सिद्धान्तों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अर्थात किसी देश के आन्तरिक मामलों में दखल न देना भी एक बड़ा आधार भूत सिद्धान्त है। हम विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाये रखने हेतु हमें हर छोटे अथवा बड़े देश की अपनी प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का खयाल रखना है। जब भी इन सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है भारत ने सदा अपनी आवाज ऊंची की है।

हमें संसार के समाचार पत्रों, रेडियो तथा हमारी स्वयं की उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि सोवियत संघ तथा वारसा संधि के अन्य चार देशों की सेनाओं ने आज भारतीय समय के अनुसार 03.30 बजे चकोस्लोवेकिया की सीमाओं को पार करना आरम्भ किया। मालूम हुआ है कि वे अब प्राग तथा चैकोस्लोवेकिया के अन्य नगरों में हैं। सोवियत संघ के दिल्ली स्थित अधिकारी ने भी हमें यह सूचना दी है, तथा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है।

चैकोस्लोवेकिया से हमारी पुरानी मित्रता है। वर्ष 1938-1939 में हुई दुःखदायी घटनाओं के समय भी हमारी सहानुभूति चैकोस्लोवेकिया तथा वहां के लोगों के साथ थी। मुझे विश्वास है कि आज भी सारी सभा मेरे साथ मिलकर आज की स्थिति में चैकोस्लोवेकिया के साथ अपनी चिन्ता प्रकट करेगी।

सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी तथा बुलगारिया से हमारे सम्बन्ध अनेक तरह से बड़े निकट के हैं। हम मित्रता का आदर करते हैं तथा इसे निरन्तर बनाये रखने के इच्छुक हैं। चैकोस्लोवेकिया में होने वाली घटनाओं पर हम अपना क्षोभ प्रकट किये बिना नहीं रह सकते। अतः यह सभा निस्सन्देह यह कहेगी कि वे देश तथा उनकी सेनायें इन परिणामों के बारे में पूरी तरह सोच-विचार करेंगे।

हम योरूप पर छाये भय तथा इन मतभेदों के कारण हो सकने वाले विश्व-युद्ध की सम्भावना के बारे में भी पूरी तरह अवगत हैं। मुझे विश्वास है कि सभा मेरे इस मत से सहमत होगी कि चैकोस्लोवेकिया में प्रवेश करने वाली सेनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चैकोस्लोवेकिया से वापस आजाना चाहिये तथा वहां के लोगों को अपनी इच्छानुसार अपने हितों, अपनी समस्याओं आदि के बारे में स्वयं निश्चय करने दिया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि चैकोस्लोवेकिया तथा सम्बद्ध देशों के मध्य कोई शान्तिपूर्ण फैसला हो जायेगा। किसी भी देश को शान्तिपूर्ण तथा किसी बाहरी दखल के बिना रहने से केवल धर्म अथवा सिद्धान्तों के आधार पर ही नहीं रोका जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या उनके पास श्री कोशिजन के त्यागपत्र के बारे में कोई अन्तिमतम् समाचार है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। अभी अभी टेलीप्रिन्टर पर समाचार मिला है कि श्री कोशिजन तथा वहां के उप-प्रधान मन्त्री ने त्याग पत्र दे दिया है। मैं नहीं जानता कि प्रधान मन्त्री इस बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई अधिकृत समाचार नहीं है। पी० टी० आई० ने भी सोवियत रक्षा मन्त्री के त्याग पत्र की बात कही है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : उन लोगों को देखिये कि विरोध रूप में उन्होंने त्यागपत्र तक दे दिया। परन्तु हमारी प्रधान मन्त्री खुलकर इसकी निन्दा भी नहीं कर सकती। सरकार की इस असफलता पर एक पूरा वाद-विवाद होना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। मैंने भी प्रातः कहा था कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिये। मेरा विचार था कि प्रधान मन्त्री से हुई दलों के नेताओं की बैठक में कोई हल निकल आया होगा, परन्तु अभी तक मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अभी अभी मुझे टेलीप्रिन्टर से समाचार मिला था, परन्तु मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है क्योंकि बाद में समाचारों का खण्डन भी होता है। यदि रूस में कुछ हो रहा है तो यह गम्भीर बात है। हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। (व्यवधान) हम विवाद के लिये कल कोई समय तय कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : हमारी प्रधान मन्त्री के वक्तव्य ने हमें निराश किया है। हम चाहते थे कि उनका व्यवहार एक प्रजातंत्र देश की प्रधान मन्त्री की तरह होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। यहां योग्यता की बात आ रही है। श्री नाथ पाई।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरे विचार से हमें क्षमा मांगनी चाहिये कि यहां की जानकारी के बारे में आपको अन्धकार में रखा गया है। हम आपके कहने पर प्रधान मन्त्री से केवल इस उद्देश्य के लिये मिले थे, ताकि इस नग्न आक्रमण की भर्तसना करने वाला एक प्रस्ताव रख कर अपने गहरे क्षोभ को व्यक्त कर सकें। हम एक राष्ट्रीय मत एकत्रित करना चाहते थे। हम जानते थे कि इस बारे में सर्व सम्मति नहीं हो सकती क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि चैकोस्लोवेकिया स्वतन्त्र कराया गया है न कि ····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। श्री नाथपाई भी कृपया बैठ जायें। सब बैठ जाइये। सभी दल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु आप सब शान्त रहिये। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता था कि हम यह वाद-विवाद कर सकते हैं, क्योंकि वह भी एक दल की नेता हैं। (व्यवधान) अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सभा के नेता बतायें कि हम कब यह वाद विवाद करें। प्रधान मन्त्री कृपया इस बारे में बतायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह हम आप पर छोड़ते हैं। हम वाद-विवाद को टालना नहीं चाहते।

मैं तो यही कहूंगी कि विपक्षी सदस्यों तथा अपने दल के सदस्यों के कहने पर ही मैंने यह वक्तव्य दिया है अन्यथा आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री को छोड़ कर किसी ने भी अधिकृत वक्तव्य नहीं दिया है। सभी मामले पर विचार कर रहे हैं तथा जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। (व्यवधान) और यही किया भी जाना चाहिये। सरकार को विभिन्न सूत्रों से अधिकृत जान-

कारी प्राप्त करनी होती है। इसके लिये समय भी चाहिये। यही बात मैंने कही थी। सभी लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

जहां तक वाद-विवाद की बात है, इसके लिये समय आप अपनी सुविधानुसार तय करें। हम बीच में नहीं आना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : हम कल इस पर वाद-विवाद करेंगे। समय तय किया जायेगा। मैं अन्य सभी दलों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वह ये बात मुझ पर छोड़ दें। मैं कल जल्दी ही समय निश्चित कर दूंगा। मैं समझता हूं कि श्री डांगे तथा अन्य सदस्य मुझसे सहमत होंगे। हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। हम सभी को जिज्ञासा है। सब लोग कल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह वाद-विवाद सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर होगा या कि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के ऊपर ? आप सबसे पूर्व प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद-विवाद कराइये।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : I do not have any objection to the time and date you fix up. But as the Prime Minister also admits that the four countries of Warsaw pact have invaded a weak country; and as her statement will appear as a representative national statement, I request that it may also be added in the statement that this House condemns this action of those countries.

अध्यक्ष महोदय : आप योग्यता की बात पर जा रहे हैं। उसके लिये यह समय नहीं है। कुछ सदस्यों की यह आदत हो गई है कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो भी वे उठकर चिल्लाना आरम्भ कर देते हैं। यह आदत छोड़ दी जानी चाहिए। डा० राम सुभगसिंह तथा अन्य दलों के नेता सभा विसर्जित होने पर मेरे कमरे में आकर बात-चीत कर सकते हैं। हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे। प्रधान मंत्री नहीं आ सकेंगी क्योंकि उन्हें राज्य-सभा में वक्तव्य देना है। मैं दल के नेताओं से मेरे कमरे में आने की प्रार्थना करता हूँ।

अब मैं कल प्रातः ग्यारह बजे तक के लिये सभा स्थगित करता हूँ।

इसके बाद लोक-सभा गुरुवार दिनांक 22 अगस्त, 1968/31 श्रावण 1890 (शक) के ग्यारह बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha thne adjourned till Eleven of the Clock on Thursday August 22, 1968/ Sravana 31, 1890 (Saka)

P.L.S. 48. XIX. 20. 68 (N)
600

© 1968 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर—३ द्वारा मुद्रित ।

© 1968 BY LOK-SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK-SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, DIAMOND PRINTING PRESS, JAIPUR-3